

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023—ज्येष्ठ 19, शक 1945

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्र. एफ 3-3-2022-एक-4.—राज्य शासन महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयंती पर दिनांक 27 दिसम्बर 2023 बुधवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2023 में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से तीन अवकाश लेने की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. 864-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन, भोपाल को दिनांक 9 से 12 मई 2023 तक कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

क्र. 888-2030-2018-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक कुल पाँच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2023

क्र. एफ. 3-1-6-0002-2023-जीएडी-एक-01-(जीएडी).—माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर का ओ.-एस.-डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी-3069-(दो-2-11-2022)

6121

दिनांक 25 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2023 तक छह दिन का पूर्ण वेतन तथा भुजों सहित कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव,

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 1302560-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई., पु. मु., भोपाल को दिनांक 25 मई से 2 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती मंजुलता खत्री, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1302574-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर को दिनांक 22 मई से 2 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति एवं दिनांक 27 से 31 मई 2023 तक की अवधि में सपरिवार मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1302707-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (लेखा), पु. मु., भोपाल को दिनांक 29 मई से 1 जून 2023 तक चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती अंशुमन अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, (लेखा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ 1(ए) 13-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 28 मई व 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती दीपाली जैन, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए) 29-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल वर्तमान सेनानी, 35वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए) 29-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 35वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला वर्तमान में सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए) 108-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2023 द्वारा श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 12 से 26 फरवरी 2023 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित केरल जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

भोपाल, दिनांक 29 मई 2023

क्र. एफ 1(ए) 02-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक वि. शा. (सामान्य), पु. मु. भोपाल को दिनांक 3 से 12 मई 2023 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री खान, भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए)191-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 1, 2 व 15, 16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत

तिरूपति (आंध्रप्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. अशोक अवस्थी,      | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती मंजरी अवस्थी, | — | पत्नी  |
| 3. कु. आतिष्या अवस्थी,   | — | पुत्री |
| 4. कु. आरूषी अवस्थी      | — | पुत्री |

(2) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 145-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 05, 06 जून 2023 के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2023 में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत केरस्युंग Kerseung (पश्चिम बंगाल) जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 129-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अमित सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10, 11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अमित सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, सेनानी, 24वीं वाहिनी, विसबल, जावरा, रतलाम एवं अतिरिक्त प्रभार पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, मन्दसौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मई 2023

फा. क्र. 2404-2023-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), उमरिया के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), उमरिया की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services) की जाए.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1994 के नियम 11(सी) के अंतर्गत एतद्द्वारा राज्य शासन सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), उमरिया की सेवा समाप्त (Termination of Services) करता है.



भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. फा. 2471-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
“45.	अलीराजपुर	श्री रामलाल शाक्य, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 2471-XXI (B-I)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20<sup>th</sup> September, 2013, Namely :—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

### TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
“45.	Alirajpur	Shri Ramlal Shakya, I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge, Alirajpur.”

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 2-01-1-0001-2023-अठारह -2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्री-परिषद् आयटम क्रमांक-14, दिनांक 24 जनवरी 2023 के परिपालन में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जिन महिला स्व-सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है, उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान सुविधा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करता है.

2. राज्य शासन द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जाएगी तथा यह लाभ प्रति समूह 03.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा.

नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव.

**वन विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्र. 1094-आर-1264596-2023-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°54'40.52" से 24°51'09.27" उत्तर अक्षांश तथा 80°12'00.43" से 80°09'23.23" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

**अनुसूची**

जिला—पन्ना, तहसील—अजयगढ़, वनमण्डल—उत्तर पन्ना, वनपरिक्षेत्र—अजयगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण				क्षेत्रफल (हेक्टर)	वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मझगांव 'ए'	मझगांव	म. प्र. शासन वन विभाग	773/1/kh	25.00	उत्तर—मझगांव डेम लाईन.
2.	"	"	"	774/1	0.500	पूर्व—वनखण्ड उदयपुर के वन कक्ष क्रमांक पी-188 के मुनारा क्रमांक 43 से 31 तक एवं मुनारा क्रमांक-31 से वन कक्ष क्रमांक पी-189 के मुनारा क्रमांक-63 तक डेम लाईन एवं मुनारा क्रमांक-63 से मुनारा क्रमांक-12 तक तथा मुनारा क्रमांक-12 से वन कक्ष क्रमांक पी-190 के मुनारा क्रमांक-26 तक डेम लाईन.
3.	"	"	"	775/3	0.050	
4.	"	"	"	840	2.670	
5.	"	"	"	853	1.420	
6.	"	"	"	856	0.280	
7.	"	"	"	875	0.300	
8.	"	"	"	877	0.150	
9.	"	"	"	878	0.100	
10.	"	"	"	879	0.070	दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक पी-190 के मुनारा क्रमांक-26 से 23 तक एवं मुनारा क्रमांक-23 से वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक-40 तक डेम लाईन तथा वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक-40 से मुनारा क्रमांक-24 तक.
11.	"	"	"	838	1.330	
12.	"	"	"	789	3.720	
13.	"	"	"	727/2	0.970	
14.	"	"	"	728	1.030	
15.	"	"	"	941/1	0.430	पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक-01 तक एवं मुनारा क्रमांक-01 से प्राकृतिक नाला सीमा से होते हुए वन कक्ष क्रमांक
16.	"	"	"	955	0.67	
17.	"	"	"	986	3.50	
18.	"	"	"	527	0.33	

19.	मझगाँव 'ए'	मझगाँव	म. प्र. शासन वन विभाग	753/2	1.200	पी-181 के मुनारा क्रमांक-91 तक तथा मुनारा क्रमांक-91 से मझगाँव डेम लाईन तक की सीमा.
20.	--	--	--	1009/2	2.080	
21.	--	--	--	674	0.840	
22.	--	--	--	778	1.180	
23.	--	--	--	805/5/gha	0.100	
24.	--	--	--	805/3	2.000	
25.	--	--	--	983/3	0.41	
26.	--	--	--	1004/2/kh	0.32	
27.	--	--	--	1036/2/kh	0.32	
28.	--	--	--	946/3	0.55	
29.	--	--	--	959/1	0.19	
30.	--	--	--	972/2	0.46	
31.	--	--	--	977/2	0.20	
32.	--	--	--	961/2	0.04	
33.	--	--	--	981/2	0.22	
34.	--	--	--	1004/2/ka	0.32	
35.	--	--	--	1036/2/ka	0.32	
36.	--	--	--	946/2	0.55	
37.	--	--	--	972/1	0.39	
38.	--	--	--	977/1	0.20	
39.	--	--	--	961/1	0.04	
40.	--	--	--	981/1	0.22	
41.	--	--	--	948	0.18	
42.	--	--	--	991	0.08	
43.	--	--	--	832/2	0.600	
44.	--	--	--	325/2	1.000	
45.	--	--	--	964	0.32	
46.	--	--	--	832/1/ka	0.300	
47.	--	--	--	825/1/ka	0.50	
48.	--	--	--	934/2	1.72	
49.	--	--	--	781	2.020	
50.	--	--	--	1069/1	2.06	
51.	--	--	--	1068/2	4.00	
52.	--	--	--	902/3	0.940	
53.	--	--	--	526	3.430	
54.	--	--	--	797	0.060	
55.	--	--	--	798/1	0.020	
56.	--	--	--	799	0.060	
57.	--	--	--	800	0.110	
58.	--	--	--	810/1	0.610	
59.	--	--	--	811	0.040	
60.	--	--	--	813	0.010	
61.	--	--	--	865/1	0.120	

62.	—''—	—''—	—''—	874/1	0.520
63.	—''—	—''—	—''—	730	2.020
64.	—''—	—''—	—''—	805/11	2.000
65.	—''—	—''—	—''—	826	0.620
66.	—''—	—''—	—''—	841/2	0.870
67.	—''—	—''—	—''—	844/2	0.940
68.	—''—	—''—	—''—	769/1	0.400
69.	—''—	—''—	—''—	971	2.570
70.	—''—	—''—	—''—	690	0.700
71.	—''—	—''—	—''—	692	1.490
72.	—''—	—''—	—''—	761/1	0.670
73.	—''—	—''—	—''—	673	2.010
74.	—''—	—''—	—''—	740	2.020
75.	—''—	—''—	—''—	757	2.020
76.	—''—	—''—	—''—	901	0.800
77.	—''—	—''—	—''—	997/2	1.200
78.	—''—	—''—	—''—	899	0.760
79.	—''—	—''—	—''—	1033/2	1.500
80.	—''—	—''—	—''—	931	2.02
81.	—''—	—''—	—''—	761/2	0.670
82.	—''—	—''—	—''—	898	0.87
83.	—''—	—''—	—''—	983/2	0.40
84.	—''—	—''—	—''—	984/2	1.13
85.	—''—	—''—	—''—	788/1	0.480
86.	—''—	—''—	—''—	788/2	0.480
87.	—''—	—''—	—''—	788/3	0.480
88.	—''—	—''—	—''—	998/2/ka	0.01
89.	—''—	—''—	—''—	1000/2/ka	1.00
90.	—''—	—''—	—''—	998/2/kh	0.01
91.	—''—	—''—	—''—	1000/2/kh	1.00
92.	—''—	—''—	—''—	998/2/ga	0.01
93.	—''—	—''—	—''—	1000/2/ga	1.00
94.	—''—	—''—	—''—	934/1	0.32
95.	—''—	—''—	—''—	805/6/M+	0.400
96.	—''—	—''—	—''—	842/5	0.110
97.	—''—	—''—	—''—	873/1/M+	0.460
98.	—''—	—''—	—''—	904/1	0.50
99.	—''—	—''—	—''—	805/4/ka	0.040
100.	—''—	—''—	—''—	896/2	0.070
101.	—''—	—''—	—''—	906	0.070
102.	—''—	—''—	—''—	942	0.88
103.	—''—	—''—	—''—	916/1/ka	0.12
104.	—''—	—''—	—''—	916/1/ga	0.42
105.	—''—	—''—	—''—	652/1	0.140
106.	—''—	—''—	—''—	1009/3	0.24
107.	—''—	—''—	—''—	1014	0.80

108.	—''—	—''—	—''—	745	2.020
109.	—''—	—''—	—''—	773/1/ka	0.420
110.	—''—	—''—	—''—	775/1	1.600
111.	—''—	—''—	—''—	870/1	0.260
112.	—''—	—''—	—''—	962/2	0.50
113.	—''—	—''—	—''—	1033/4/kh	0.50
114.	—''—	—''—	—''—	766	1.620
115.	—''—	—''—	—''—	755	2.020
116.	—''—	—''—	—''—	780	1.610
117.	—''—	—''—	—''—	727/3	1.330
118.	—''—	—''—	—''—	902/1	0.330
119.	—''—	—''—	—''—	786/2/kh	0.700
120.	—''—	—''—	—''—	993/1	2.00
121.	—''—	—''—	—''—	773/3	2.000
122.	—''—	—''—	—''—	866	2.480
123.	—''—	—''—	—''—	805/6/kh	0.400
124.	—''—	—''—	—''—	842/2	0.110
125.	—''—	—''—	—''—	873/1/gh	0.440
126.	—''—	—''—	—''—	1038	2.02
127.	—''—	—''—	—''—	665	1.600
128.	—''—	—''—	—''—	864	0.060
129.	—''—	—''—	—''—	1097/763	2.000
130.	—''—	—''—	—''—	787/1	0.260
131.	—''—	—''—	—''—	787/2	0.260
132.	—''—	—''—	—''—	787/3	0.260
133.	—''—	—''—	—''—	787/4	0.260
134.	—''—	—''—	—''—	787/5	0.260
135.	—''—	—''—	—''—	787/6	0.250
136.	—''—	—''—	—''—	859/1/gh	1.190
137.	—''—	—''—	—''—	860/1	0.030
138.	—''—	—''—	—''—	861/4	0.020
139.	—''—	—''—	—''—	672	2.020
140.	—''—	—''—	—''—	691	0.440
141.	—''—	—''—	—''—	846	1.210
142.	—''—	—''—	—''—	869	0.130
143.	—''—	—''—	—''—	947	4.46
144.	—''—	—''—	—''—	960	0.11
145.	—''—	—''—	—''—	973	0.92
146.	—''—	—''—	—''—	975	0.40
147.	—''—	—''—	—''—	978	0.87
148.	—''—	—''—	—''—	990	2.47
149.	—''—	—''—	—''—	928/4	1.46
150.	—''—	—''—	—''—	1004/2/gha	0.34
151.	—''—	—''—	—''—	946/5	0.53
152.	—''—	—''—	—''—	959/3	0.19
153.	—''—	—''—	—''—	972/4	0.49

154.	—''—	—''—	—''—	977/4	0.20
155.	—''—	—''—	—''—	981/4	0.23
156.	—''—	—''—	—''—	805/6/gha	0.400
157.	—''—	—''—	—''—	842/4	0.110
158.	—''—	—''—	—''—	873/1/kh	0.440
159.	—''—	—''—	—''—	932	1.00
160.	—''—	—''—	—''—	857	1.170
161.	—''—	—''—	—''—	677/1	0.810
162.	—''—	—''—	—''—	716/2	2.030
163.	—''—	—''—	—''—	680/1	1.120
164.	—''—	—''—	—''—	1009/1	1.04
165.	—''—	—''—	—''—	732/1	0.890
166.	—''—	—''—	—''—	732/2	0.600
167.	—''—	—''—	—''—	791/1	0.290
168.	—''—	—''—	—''—	791/2	0.240
169.	—''—	—''—	—''—	798/2/ja	0.650
170.	—''—	—''—	—''—	812/1	0.010
171.	—''—	—''—	—''—	791/3	0.100
172.	—''—	—''—	—''—	791/4	0.040
173.	—''—	—''—	—''—	829	0.070
174.	—''—	—''—	—''—	830	5.890
175.	—''—	—''—	—''—	954	0.37
176.	—''—	—''—	—''—	810/2	0.610
177.	—''—	—''—	—''—	867	0.810
178.	—''—	—''—	—''—	873/2	2.100
179.	—''—	—''—	—''—	833	1.100
180.	—''—	—''—	—''—	1098/668	2.000
181.	—''—	—''—	—''—	678/2	1.420
182.	—''—	—''—	—''—	680/2	0.500
183.	—''—	—''—	—''—	681/2	0.040
184.	—''—	—''—	—''—	682/2	0.040
185.	—''—	—''—	—''—	687	0.130
186.	—''—	—''—	—''—	679	2.030
187.	—''—	—''—	—''—	1002	2.02
188.	—''—	—''—	—''—	1034/1	2.070
189.	—''—	—''—	—''—	1004/2/ga	0.32
190.	—''—	—''—	—''—	1036/2/ga	0.32
191.	—''—	—''—	—''—	946/4	0.55
192.	—''—	—''—	—''—	959/2	0.19
193.	—''—	—''—	—''—	972/3	0.46
194.	—''—	—''—	—''—	977/3	0.20
195.	—''—	—''—	—''—	961/3	0.03
196.	—''—	—''—	—''—	981/3	0.23
197.	—''—	—''—	—''—	805/4/ga	0.040
198.	—''—	—''—	—''—	896/3	0.070
199.	—''—	—''—	—''—	904/2	0.34

200.	—''—	—''—	—''—	909/1	0.23
201.	—''—	—''—	—''—	938	2.03
202.	—''—	—''—	—''—	1004/2/ang	0.30
203.	—''—	—''—	—''—	946/6	0.53
204.	—''—	—''—	—''—	972/5	0.48
205.	—''—	—''—	—''—	977/5	0.19
206.	—''—	—''—	—''—	981/5	0.20
207.	—''—	—''—	—''—	979	0.29
208.	—''—	—''—	—''—	982	1.43
209.	—''—	—''—	—''—	677/2	1.000
210.	—''—	—''—	—''—	680/3	0.400
211.	—''—	—''—	—''—	682/3	0.040
212.	—''—	—''—	—''—	676/2	0.600
213.	—''—	—''—	—''—	907	0.610
214.	—''—	—''—	—''—	1092/947	0.540
215.	—''—	—''—	—''—	895	0.220
216.	—''—	—''—	—''—	805/6/ka	0.400
217.	—''—	—''—	—''—	842/1	0.110
218.	—''—	—''—	—''—	873/1/g	0.440
219.	—''—	—''—	—''—	873/1/ch	0.010
220.	—''—	—''—	—''—	742	2.020
221.	—''—	—''—	—''—	805/4/gha	0.100
222.	—''—	—''—	—''—	785/3	2.000
223.	—''—	—''—	—''—	903	1.00
224.	—''—	—''—	—''—	908	0.150
225.	—''—	—''—	—''—	905	0.07
226.	—''—	—''—	—''—	943	0.09
227.	—''—	—''—	—''—	944	1.50
228.	—''—	—''—	—''—	805/5/ga	0.620
229.	—''—	—''—	—''—	678/1	0.490
230.	—''—	—''—	—''—	761/3	0.680
231.	—''—	—''—	—''—	805/5/ka	0.620
232.	—''—	—''—	—''—	916/1/kh	0.60
233.	—''—	—''—	—''—	930	2.02
234.	—''—	—''—	—''—	805/5/M+	0.010
235.	—''—	—''—	—''—	1037	2.02
236.	—''—	—''—	—''—	859/1/ka	0.400
237.	—''—	—''—	—''—	861/1	0.020
238.	—''—	—''—	—''—	675	2.020
239.	—''—	—''—	—''—	998/1	0.04
240.	—''—	—''—	—''—	1000/1	3.00
241.	—''—	—''—	—''—	744/1	0.670
242.	—''—	—''—	—''—	744/2	0.670
243.	—''—	—''—	—''—	744/3	0.680
244.	—''—	—''—	—''—	1091/688	1.250
245.	—''—	—''—	—''—	584	0.260

246.	—''—	—''—	—''—	756	2.020
247.	—''—	—''—	—''—	940	0.69
248.	—''—	—''—	—''—	949	1.34
249.	—''—	—''—	—''—	750	2.020
250.	—''—	—''—	—''—	684	0.360
251.	—''—	—''—	—''—	1007/2	0.50
252.	—''—	—''—	—''—	1006/2	0.070
253.	—''—	—''—	—''—	1010	1.170
254.	—''—	—''—	—''—	1011	0.600
255.	—''—	—''—	—''—	1012/2	0.700
256.	—''—	—''—	—''—	734	0.740
257.	—''—	—''—	—''—	777	2.020
258.	—''—	—''—	—''—	950	1.20
259.	—''—	—''—	—''—	957	0.15
260.	—''—	—''—	—''—	1004/1	0.42
261.	—''—	—''—	—''—	1033/3	2.00
262.	—''—	—''—	—''—	805/4/kh	0.040
263.	—''—	—''—	—''—	896/1	0.110
264.	—''—	—''—	—''—	904/3	0.360
265.	—''—	—''—	—''—	909/2	0.160
266.	—''—	—''—	—''—	962/3	0.50
267.	—''—	—''—	—''—	1033/4/ga	0.50
268.	—''—	—''—	—''—	676/1	1.420
269.	—''—	—''—	—''—	935	0.570
270.	—''—	—''—	—''—	1015	0.900
271.	—''—	—''—	—''—	994	0.900
272.	—''—	—''—	—''—	832/1/kh	0.300
273.	—''—	—''—	—''—	825/1/kh	0.500
274.	—''—	—''—	—''—	815	7.260
275.	—''—	—''—	—''—	770/2/kh	0.160
276.	—''—	—''—	—''—	774/2	0.900
277.	—''—	—''—	—''—	774/3	0.620
278.	—''—	—''—	—''—	775/2	0.370
279.	—''—	—''—	—''—	776/2	0.750
280.	—''—	—''—	—''—	776/3	0.400
281.	—''—	—''—	—''—	946/1	0.630
282.	—''—	—''—	—''—	974	0.170
283.	—''—	—''—	—''—	713/1/ka	0.290
284.	—''—	—''—	—''—	996	1.860
285.	—''—	—''—	—''—	997/4	0.140
286.	—''—	—''—	—''—	741	2.020
287.	—''—	—''—	—''—	689	0.630
288.	—''—	—''—	—''—	805/6/ga	0.400
289.	—''—	—''—	—''—	842/3	2.020
290.	—''—	—''—	—''—	873/1/	0.110
291.	—''—	—''—	—''—	812/2	0.400

292.	—''—	—''—	—''—	798/2/kh	0.440
293.	—''—	—''—	—''—	828	0.100
294.	—''—	—''—	—''—	963	0.770
295.	—''—	—''—	—''—	827	0.710
296.	—''—	—''—	—''—	841/1	0.880
297.	—''—	—''—	—''—	844/1	0.900
298.	—''—	—''—	—''—	845	0.040
299.	—''—	—''—	—''—	769/3	0.300
300.	—''—	—''—	—''—	763	1.200
301.	—''—	—''—	—''—	773/2	0.800
302.	—''—	—''—	—''—	772/2	0.600
303.	—''—	—''—	—''—	664	0.400
304.	—''—	—''—	—''—	801	2.020
305.	—''—	—''—	—''—	786/1	1.400
306.	—''—	—''—	—''—	962/4	0.530
307.	—''—	—''—	—''—	1033/4/gh	0.500
308.	—''—	—''—	—''—	804	2.020
309.	—''—	—''—	—''—	752	2.020
310.	—''—	—''—	—''—	1003	2.030
311.	—''—	—''—	—''—	970	5.490
312.	—''—	—''—	—''—	850/2	0.660
313.	—''—	—''—	—''—	871/2	0.070
314.	—''—	—''—	—''—	872/2	0.030
315.	—''—	—''—	—''—	796	2.020
316.	—''—	—''—	—''—	1035	2.020
317.	—''—	—''—	—''—	997/1	1.990
318.	—''—	—''—	—''—	859/2	1.160
319.	—''—	—''—	—''—	860/2	0.060
320.	—''—	—''—	—''—	805/2	2.000
321.	—''—	—''—	—''—	805/7	1.600
322.	—''—	—''—	—''—	992/2	0.400
323.	—''—	—''—	—''—	667	0.350
324.	—''—	—''—	—''—	841/3	0.870
325.	—''—	—''—	—''—	844/3	0.940
326.	—''—	—''—	—''—	768	2.020
327.	—''—	—''—	—''—	803	2.020
328.	—''—	—''—	—''—	729	2.020
329.	—''—	—''—	—''—	817/2	2.000
330.	—''—	—''—	—''—	681/1/ka	0.650
331.	—''—	—''—	—''—	681/1/kh	0.650
332.	—''—	—''—	—''—	681/1/ga	0.640
333.	—''—	—''—	—''—	1034/2	1.620
334.	—''—	—''—	—''—	834	0.050
335.	—''—	—''—	—''—	835	2.030
336.	—''—	—''—	—''—	807	0.580
337.	—''—	—''—	—''—	808	1.110

338.	—''—	—''—	—''—	967	2.030
339.	—''—	—''—	—''—	983/1	0.400
340.	—''—	—''—	—''—	997/3	2.000
341.	—''—	—''—	—''—	839/1	2.000
342.	—''—	—''—	—''—	852	0.040
343.	—''—	—''—	—''—	854	0.050
344.	—''—	—''—	—''—	848	0.470
345.	—''—	—''—	—''—	839/2	0.200
346.	—''—	—''—	—''—	849	0.690
347.	—''—	—''—	—''—	851	1.360
348.	—''—	—''—	—''—	862/2	1.170
349.	—''—	—''—	—''—	862/3	0.480
350.	—''—	—''—	—''—	855	0.110
351.	—''—	—''—	—''—	839/3	0.200
352.	—''—	—''—	—''—	868	0.120
353.	—''—	—''—	—''—	858	1.350
354.	—''—	—''—	—''—	839/4	0.200
355.	—''—	—''—	—''—	862/1	1.000
356.	—''—	—''—	—''—	751	0.020
357.	—''—	—''—	—''—	962/1	0.500
358.	—''—	—''—	—''—	1033/4/ka	0.500
359.	—''—	—''—	—''—	1008	2.030
360.	—''—	—''—	—''—	918	0.930
361.	—''—	—''—	—''—	876/2	0.330
362.	—''—	—''—	—''—	682/1	0.690
363.	—''—	—''—	—''—	760	2.020
364.	—''—	—''—	—''—	1036/1	0.420
365.	—''—	—''—	—''—	688	0.380
366.	—''—	—''—	—''—	743/2	2.000
367.	—''—	—''—	—''—	660	0.960
368.	—''—	—''—	—''—	802	2.020
369.	—''—	—''—	—''—	786/2/ka	0.690
370.	—''—	—''—	—''—	727/4	0.670
371.	—''—	—''—	—''—	683	0.250
372.	—''—	—''—	—''—	669/2	0.650
373.	—''—	—''—	—''—	670	1.350
374.	—''—	—''—	—''—	859/1/kh	0.400
375.	—''—	—''—	—''—	861/2	0.020
376.	—''—	—''—	—''—	892/5	0.120
377.	—''—	—''—	—''—	876/1	0.340
378.	—''—	—''—	—''—	891	0.100
379.	—''—	—''—	—''—	893	0.600
380.	—''—	—''—	—''—	1049	1.800
381.	—''—	—''—	—''—	1050	0.030
382.	—''—	—''—	—''—	1057	0.220
383.	—''—	—''—	—''—	1056	0.040

384.	—''—	—''—	—''—	1046	1.100
385.	—''—	—''—	—''—	1048	0.090
386.	—''—	—''—	—''—	966	2.100
387.	—''—	—''—	—''—	824	0.250
388.	—''—	—''—	—''—	1007/1	0.500
389.	—''—	—''—	—''—	965	2.500
390.	—''—	—''—	—''—	870/2	0.260
391.	—''—	—''—	—''—	662/1	0.490
392.	—''—	—''—	—''—	859/1/ga	0.400
393.	—''—	—''—	—''—	861/3	0.200
394.	—''—	—''—	—''—	769/2	1.000
395.	—''—	—''—	—''—	770/2/ka	0.440
396.	—''—	—''—	—''—	771/3	0.670
397.	—''—	—''—	—''—	995	1.150
398.	—''—	—''—	—''—	1001	0.700
399.	—''—	—''—	—''—	785/2	2.000
400.	—''—	—''—	—''—	805/5/kh	0.620
401.	—''—	—''—	—''—	805/16	1.500
402.	—''—	—''—	—''—	1005/2	0.980
403.	—''—	—''—	—''—	1006/1	1.550
404.	—''—	—''—	—''—	1007/1	0.500
405.	—''—	—''—	—''—	945	1.500
406.	—''—	—''—	—''—	666	2.020
407.	—''—	—''—	—''—	753/1	0.820
408.	—''—	—''—	—''—	902/2	0.740
409.	—''—	—''—	—''—	941/2	0.670
410.	—''—	—''—	—''—	984/4	2.000
411.	—''—	—''—	—''—	985	1.820
412.	—''—	—''—	—''—	987	0.150
413.	—''—	—''—	—''—	989	0.810
414.	—''—	—''—	—''—	929	2.020
415.	—''—	—''—	—''—	836	2.250
416.	—''—	—''—	—''—	79/2/ga	0.200
417.	—''—	—''—	—''—	816	0.300
418.	—''—	—''—	—''—	733/1	1.010
419.	—''—	—''—	—''—	733/2	1.010
420.	—''—	—''—	—''—	731	2.020
421.	—''—	—''—	—''—	1036/2/gha	0.320
422.	—''—	—''—	—''—	1036/2/M+	0.320
423.	—''—	—''—	—''—	581	3.870
424.	—''—	—''—	—''—	582	3.040
425.	—''—	—''—	—''—	583	4.580
426.	—''—	—''—	—''—	587	3.450
427.	—''—	—''—	—''—	661	0.200
428.	—''—	—''—	—''—	663	0.070
429.	—''—	—''—	—''—	668	1.520

430.	—''—	—''—	—''—	669/1	0.420
431.	—''—	—''—	—''—	671	0.270
432.	—''—	—''—	—''—	716/1	0.050
433.	—''—	—''—	—''—	717	0.520
434.	—''—	—''—	—''—	746	8.500
435.	—''—	—''—	—''—	747	0.300
436.	—''—	—''—	—''—	748	1.950
437.	—''—	—''—	—''—	749	2.020
438.	—''—	—''—	—''—	758	2.020
439.	—''—	—''—	—''—	759	2.020
440.	—''—	हनुमतपुर	—''—	4	0.05
441.	—''—	—''—	—''—	5	0.11
442.	—''—	—''—	—''—	6	0.42
443.	—''—	—''—	—''—	7	0.14
444.	—''—	—''—	—''—	8	0.23
445.	—''—	—''—	—''—	9	0.17
446.	—''—	—''—	—''—	10	0.12
447.	—''—	—''—	—''—	11	0.14
448.	—''—	—''—	—''—	12	0.41
449.	—''—	—''—	—''—	14	0.61
450.	—''—	—''—	—''—	15	0.26
451.	—''—	—''—	—''—	16	0.12
452.	—''—	—''—	—''—	17	0.19
453.	—''—	—''—	—''—	18	0.11
454.	—''—	—''—	—''—	19	0.5
455.	—''—	—''—	—''—	20	0.17
456.	—''—	—''—	—''—	21	0.13
457.	—''—	—''—	—''—	22	0.18
458.	—''—	—''—	—''—	23	0.24
459.	—''—	—''—	—''—	24	0.48
460.	—''—	—''—	—''—	25	0.14
461.	—''—	—''—	—''—	26	0.12
462.	—''—	—''—	—''—	27	0.7
463.	—''—	—''—	—''—	28	0.11
464.	—''—	—''—	—''—	29	0.16
465.	—''—	—''—	—''—	30	0.06
466.	—''—	—''—	—''—	31	0.16
467.	—''—	—''—	—''—	32	0.26
468.	—''—	—''—	—''—	33	0.49
469.	—''—	—''—	—''—	34	0.17
470.	—''—	—''—	—''—	36	0.16
471.	—''—	—''—	—''—	37	0.13
472.	—''—	—''—	—''—	38	0.15
473.	—''—	—''—	—''—	39	0.26
474.	—''—	—''—	—''—	40	0.16
475.	—''—	—''—	—''—	41	0.11

476.	—''—	—''—	—''—	42	0.47
477.	—''—	—''—	—''—	43	0.25
478.	—''—	—''—	—''—	44	0.24
479.	—''—	—''—	—''—	45	0.14
480.	—''—	—''—	—''—	46	0.09
481.	—''—	—''—	—''—	47	0.17
482.	—''—	—''—	—''—	48	0.2
483.	—''—	—''—	—''—	49	0.18
484.	—''—	—''—	—''—	50	0.21
485.	—''—	—''—	—''—	51	0.22
486.	—''—	—''—	—''—	52	0.23
487.	—''—	—''—	—''—	53	0.12
488.	—''—	—''—	—''—	54	0.14
489.	—''—	—''—	—''—	55	0.18
490.	—''—	—''—	—''—	56	0.31
491.	—''—	—''—	—''—	57	0.12
492.	—''—	—''—	—''—	58	0.18
493.	—''—	—''—	—''—	59	0.82
494.	—''—	—''—	—''—	60	0.24
495.	—''—	—''—	—''—	61	0.37
496.	—''—	—''—	—''—	62	0.16
497.	—''—	—''—	—''—	63	0.15
498.	—''—	—''—	—''—	64	0.11
499.	—''—	—''—	—''—	65	0.03
500.	—''—	—''—	—''—	66	0.03
501.	—''—	—''—	—''—	67	0.01
502.	—''—	—''—	—''—	68	0.13
503.	—''—	—''—	—''—	69	0.18
504.	—''—	—''—	—''—	70	1.35
505.	—''—	—''—	—''—	73	0.06
506.	—''—	—''—	—''—	94	0.11
507.	—''—	—''—	—''—	95	0.03
508.	—''—	—''—	—''—	96	0.3
509.	—''—	—''—	—''—	97	0.3
510.	—''—	—''—	—''—	98	0.08
511.	—''—	—''—	—''—	99	0.13
512.	—''—	—''—	—''—	100	0.12
513.	—''—	—''—	—''—	101	0.2
514.	—''—	—''—	—''—	102	0.4
515.	—''—	—''—	—''—	104	0.21
516.	—''—	—''—	—''—	117	0.07
517.	—''—	—''—	—''—	118	0.19
518.	—''—	—''—	—''—	129	0.05
519.	—''—	—''—	—''—	130	0.35
520.	—''—	—''—	—''—	131	0.63
521.	—''—	—''—	—''—	132	0.49

522.	—''—	—''—	—''—	133	0.05
523.	—''—	—''—	—''—	134	0.08
524.	—''—	—''—	—''—	135	0.04
525.	—''—	—''—	—''—	136	0.56
526.	—''—	—''—	—''—	137	0.12
527.	—''—	—''—	—''—	138	0.08
528.	—''—	—''—	—''—	139	0.09
529.	—''—	—''—	—''—	140	0.07
530.	—''—	—''—	—''—	141	0.2
531.	—''—	—''—	—''—	144	0.92
532.	—''—	—''—	—''—	146	0.44
533.	—''—	—''—	—''—	148	0.35
534.	—''—	—''—	—''—	149	0.39
535.	—''—	—''—	—''—	150	0.15
536.	—''—	—''—	—''—	151/1	0.12
537.	—''—	—''—	—''—	151/2	0.01
538.	—''—	—''—	—''—	151/3	0.01
539.	—''—	—''—	—''—	152	0.1
540.	—''—	—''—	—''—	153	0.17
541.	—''—	—''—	—''—	154	0.13
542.	—''—	—''—	—''—	155	0.2
543.	—''—	—''—	—''—	156	0.33
544.	—''—	—''—	—''—	157	0.42
545.	—''—	—''—	—''—	158	.01
546.	—''—	—''—	—''—	160	0.07
547.	—''—	—''—	—''—	161	0.33
548.	—''—	—''—	—''—	164	0.48
549.	—''—	—''—	—''—	165	0.08
550.	—''—	—''—	—''—	166	0.1
551.	—''—	—''—	—''—	246	0.5
552.	—''—	—''—	—''—	251	0.12
553.	—''—	—''—	—''—	252	0.46
554.	—''—	—''—	—''—	254	1.6
555.	—''—	—''—	—''—	255	0.46
556.	—''—	—''—	—''—	256	0.55
557.	—''—	—''—	—''—	257	0.23
558.	—''—	—''—	—''—	258	0.08
559.	—''—	—''—	—''—	259	0.18
560.	—''—	—''—	—''—	260	0.32
561.	—''—	—''—	—''—	261	0.14
562.	—''—	—''—	—''—	262	0.25
563.	—''—	—''—	—''—	263	0.14
564.	—''—	—''—	—''—	264	0.09
565.	—''—	—''—	—''—	265	0.48
566.	—''—	—''—	—''—	266	0.24
567.	—''—	—''—	—''—	267	0.3

568.	—''—	—''—	—''—	268	0.13
569.	—''—	—''—	—''—	269	0.17
570.	—''—	—''—	—''—	270	0.2
571.	—''—	—''—	—''—	272	0.43
572.	—''—	—''—	—''—	273	0.22
573.	—''—	—''—	—''—	274	0.08
574.	—''—	—''—	—''—	275	0.09
575.	—''—	—''—	—''—	276	0.3
576.	—''—	—''—	—''—	277	0.21
577.	—''—	—''—	—''—	278	0.26
578.	—''—	—''—	—''—	279	0.3
579.	—''—	—''—	—''—	280	0.1
580.	—''—	—''—	—''—	281	0.14
581.	—''—	—''—	—''—	282	0.17
582.	—''—	—''—	—''—	283	0.16
583.	—''—	—''—	—''—	284	0.26
584.	—''—	—''—	—''—	285	0.25
585.	—''—	—''—	—''—	286	0.41
586.	—''—	—''—	—''—	287	0.31
587.	—''—	—''—	—''—	288	0.13
588.	—''—	—''—	—''—	289	0.31
589.	—''—	—''—	—''—	290	0.14
590.	—''—	—''—	—''—	291	0.22
591.	—''—	—''—	—''—	292	0.05
592.	—''—	—''—	—''—	293	0.02
593.	—''—	—''—	—''—	294	0.23
594.	—''—	—''—	—''—	295	0.13
595.	—''—	—''—	—''—	296	0.04
596.	—''—	—''—	—''—	297	0.15
597.	—''—	—''—	—''—	298	0.05
598.	—''—	—''—	—''—	299	0.33
599.	—''—	—''—	—''—	300	0.1
600.	—''—	—''—	—''—	301	0.04
601.	—''—	—''—	—''—	303	0.04
602.	—''—	—''—	—''—	304	0.17
603.	—''—	—''—	—''—	305	0.37
604.	—''—	—''—	—''—	307/1	0.65
605.	—''—	—''—	—''—	307/2	0.44
606.	—''—	—''—	—''—	309	0.1
607.	—''—	—''—	—''—	310	0.81
608.	—''—	—''—	—''—	311	0.22
609.	—''—	—''—	—''—	312	0.12
610.	—''—	—''—	—''—	313	0.12
611.	—''—	—''—	—''—	314	0.16
612.	—''—	—''—	—''—	315	0.24
613.	—''—	—''—	—''—	316	0.19

614.	—''—	—''—	—''—	317	0.28
615.	—''—	—''—	—''—	318	0.17
616.	—''—	—''—	—''—	319	0.18
617.	—''—	—''—	—''—	320	0.18
618.	—''—	—''—	—''—	321	0.06
619.	—''—	—''—	—''—	325	0.17
620.	—''—	—''—	—''—	327	0.18
621.	—''—	—''—	—''—	328	0.13
622.	—''—	—''—	—''—	329	0.25
623.	—''—	—''—	—''—	330	0.13
624.	—''—	—''—	—''—	331	0.93
625.	—''—	—''—	—''—	333	0.04
626.	—''—	—''—	—''—	334	1.17
627.	—''—	—''—	—''—	335	0.06
628.	—''—	—''—	—''—	336	0.35
629.	—''—	—''—	—''—	337	0.4
630.	—''—	—''—	—''—	338	0.73
631.	—''—	—''—	—''—	341	0.3
632.	—''—	—''—	—''—	342	0.54
633.	—''—	—''—	—''—	343	0.34
634.	—''—	—''—	—''—	344	0.15
635.	—''—	—''—	—''—	346	1.37
636.	—''—	—''—	—''—	347	0.3
637.	—''—	—''—	—''—	349	0.68
638.	—''—	—''—	—''—	351	1.4
639.	—''—	—''—	—''—	354	0.25
640.	—''—	—''—	—''—	356/1	0.6
641.	—''—	—''—	—''—	356!2	0.67
642.	—''—	—''—	—''—	357	1.07
643.	—''—	—''—	—''—	358	0.19
644.	—''—	—''—	—''—	359	0.25
645.	—''—	—''—	—''—	360	0.16
646.	—''—	—''—	—''—	361	0.2
647.	—''—	—''—	—''—	362	0.42
648.	—''—	—''—	—''—	363/1	0.03
649.	—''—	—''—	—''—	363/2	0.3
650.	—''—	—''—	—''—	364	0.29
651.	—''—	—''—	—''—	365	0.48
652.	—''—	—''—	—''—	377	0.7
653.	—''—	—''—	—''—	378	0.56
654.	—''—	—''—	—''—	391	0.25
655.	—''—	—''—	—''—	392	0.75
656.	—''—	—''—	—''—	394	0.13
657.	—''—	—''—	—''—	396	0.21
658.	—''—	—''—	—''—	396	0.16
659.	—''—	—''—	—''—	397	0.56

660.	—''—	—''—	—''—	598	0.14
661.	—''—	—''—	—''—	399	0.25
662.	—''—	—''—	—''—	400	0.065
663.	—''—	—''—	—''—	401	0.14
664.	—''—	—''—	—''—	402	0.19
665.	—''—	—''—	—''—	403/1	0.24
666.	—''—	—''—	—''—	403/2	0.08
667.	—''—	—''—	—''—	404	0.14
668.	—''—	—''—	—''—	405	0.16
669.	—''—	—''—	—''—	406/1	0.22
670.	—''—	—''—	—''—	406/2	0.08
671.	—''—	—''—	—''—	407	0.15
672.	—''—	—''—	—''—	408	0.22
673.	—''—	—''—	—''—	409	0.1
674.	—''—	—''—	—''—	410	0.18
675.	—''—	—''—	—''—	411	0.22
676.	—''—	—''—	—''—	412	0.21
677.	—''—	—''—	—''—	413	0.35
678.	—''—	—''—	—''—	414	0.19
679.	—''—	—''—	—''—	415	0.14
680.	—''—	—''—	—''—	416	0.06
681.	—''—	—''—	—''—	417	0.05
682.	—''—	—''—	—''—	419	0.06
683.	—''—	—''—	—''—	423	0.05
684.	—''—	—''—	—''—	424	0.1
685.	—''—	—''—	—''—	425	0.27
686.	—''—	—''—	—''—	426	0.25
687.	—''—	—''—	—''—	427	0.68
688.	—''—	—''—	—''—	428	0.13
689.	—''—	—''—	—''—	429	0.06
690.	—''—	—''—	—''—	430	0.07
691.	—''—	—''—	—''—	431	0.24
692.	—''—	—''—	—''—	432	0.25
693.	—''—	—''—	—''—	433	0.04
694.	—''—	—''—	—''—	461	0.09
695.	—''—	—''—	—''—	846	0.05
696.	—''—	—''—	—''—	847	0.04
697.	—''—	—''—	—''—	851	0.08
698.	—''—	—''—	—''—	852	0.04
699.	—''—	—''—	—''—	854	0.22
700.	—''—	—''—	—''—	856	0.12
701.	—''—	—''—	—''—	857	0.04
702.	—''—	—''—	—''—	859	0.26
703.	—''—	—''—	—''—	860	0.12
704.	—''—	—''—	—''—	871	0.09
705.	—''—	—''—	—''—	872	0.12

706.	—''—	—''—	—''—	873	0.11
707.	—''—	—''—	—''—	874	0.05
708.	—''—	—''—	—''—	875	0.16
709.	—''—	—''—	—''—	876	0.28
710.	—''—	—''—	—''—	988	0.12
711.	—''—	—''—	—''—	993	0.17
712.	—''—	—''—	—''—	995	0.28
713.	—''—	—''—	—''—	1015	0.16
714.	—''—	—''—	—''—	1016	0.23
715.	—''—	—''—	—''—	1019	0.14
716.	—''—	—''—	—''—	1020	0.19
717.	—''—	—''—	—''—	1021	0.65
718.	—''—	—''—	—''—	1022	0.4
719.	—''—	—''—	—''—	1023	0.23
720.	—''—	—''—	—''—	1024	0.51
721.	—''—	—''—	—''—	1026	0.36
722.	—''—	—''—	—''—	1027	0.18
723.	—''—	—''—	—''—	1029	0.04
724.	—''—	—''—	—''—	1039	0.27
725.	—''—	—''—	—''—	1040	0.12
726.	—''—	—''—	—''—	1041	0.14
727.	—''—	—''—	—''—	1042	0.5
728.	—''—	—''—	—''—	1043/1	0.37
729.	—''—	—''—	—''—	1043/2	0.37
730.	—''—	—''—	—''—	1045	1.22
731.	—''—	—''—	—''—	1046	0.5
732.	—''—	—''—	—''—	1056	0.22
733.	—''—	—''—	—''—	1057	0.15
734.	—''—	—''—	—''—	1058	2.19
735.	—''—	—''—	—''—	1059	0.38
736.	—''—	—''—	—''—	1060	0.16
737.	—''—	—''—	—''—	1062	0.03
738.	—''—	—''—	—''—	1063	0.22
739.	—''—	—''—	—''—	1064	0.14
740.	—''—	—''—	—''—	1065	0.18
741.	—''—	—''—	—''—	1066	0.16
742.	—''—	—''—	—''—	1067	0.2
743.	—''—	—''—	—''—	1068	0.15
744.	—''—	—''—	—''—	1069	0.03
745.	—''—	—''—	—''—	1070	0.1
746.	—''—	—''—	—''—	1441/16	0.22
747.	—''—	—''—	—''—	1442/239	0.68
748.	—''—	—''—	—''—	1448/119	1.57
749.	—''—	—''—	—''—	1	0.1
750.	—''—	—''—	—''—	2	0.17
751.	—''—	—''—	—''—	35	0.19

752.	—''—	—''—	—''—	89	0.3
753.	—''—	—''—	—''—	114	2.4
754.	—''—	—''—	—''—	142	0.94
755.	—''—	—''—	—''—	143	0.73
756.	—''—	—''—	—''—	147	0.27
757.	—''—	—''—	—''—	193	0.61
758.	—''—	—''—	—''—	194	5.49
759.	—''—	—''—	—''—	195	0.41
760.	—''—	—''—	—''—	196/1	1.89
761.	—''—	—''—	—''—	253	0.65
762.	—''—	—''—	—''—	302	0.03
763.	—''—	कुवरपुर	—''—	15	0.22
764.	—''—	—''—	—''—	16	0.87
765.	—''—	—''—	—''—	17	0.72
766.	—''—	—''—	—''—	18	1.06
767.	—''—	—''—	—''—	19	0.65
768.	—''—	—''—	—''—	20	0.70
769.	—''—	—''—	—''—	21/1	0.60
770.	—''—	—''—	—''—	21/2	0.40
771.	—''—	—''—	—''—	22	1.29
772.	—''—	—''—	—''—	29	0.54
773.	—''—	—''—	—''—	34	1.06
774.	—''—	—''—	—''—	35/1	1.00
775.	—''—	—''—	—''—	36/1	1.00
776.	—''—	—''—	—''—	37	1.21
777.	—''—	—''—	—''—	39/1	0.30
778.	—''—	—''—	—''—	39/2	0.41
779.	—''—	—''—	—''—	39/3	0.41
780.	—''—	—''—	—''—	39/4	0.41
781.	—''—	—''—	—''—	39/5	0.41
782.	—''—	—''—	—''—	41/1	2.00
783.	—''—	—''—	—''—	42	0.64
784.	—''—	—''—	—''—	43	1.13
785.	—''—	—''—	—''—	44	1.61
786.	—''—	—''—	—''—	45	1.14
787.	—''—	—''—	—''—	46	0.64
788.	—''—	—''—	—''—	47/2	2.00
789.	—''—	—''—	—''—	49/1	0.16
790.	—''—	—''—	—''—	49/2	0.17
791.	—''—	—''—	—''—	50/1	0.16
792.	—''—	—''—	—''—	50/2	0.16
793.	—''—	—''—	—''—	51/2	1.13
794.	—''—	—''—	—''—	52/1	0.16
795.	—''—	—''—	—''—	52/2	0.16
796.	—''—	—''—	—''—	53	0.97
797.	—''—	—''—	—''—	54	0.50

798.	—''—	—''—	—''—	55	0.56
799.	—''—	—''—	—''—	57	0.41
800.	—''—	—''—	—''—	58	0.97
801.	—''—	—''—	—''—	59	0.97
802.	—''—	—''—	—''—	63	0.80
803.	—''—	—''—	—''—	64/2	1.91
804.	—''—	—''—	—''—	64/3	0.55
805.	—''—	—''—	—''—	65	1.00
806.	—''—	—''—	—''—	67	0.49
807.	—''—	—''—	—''—	68	0.97
808.	—''—	—''—	—''—	70	0.53
809.	—''—	—''—	—''—	71/2	0.55
810.	—''—	—''—	—''—	73	1.00
811.	—''—	—''—	—''—	74	0.49
812.	—''—	—''—	—''—	76	0.97
813.	—''—	—''—	—''—	77	0.18
814.	—''—	—''—	—''—	78/1	0.10
815.	—''—	—''—	—''—	78/2	0.39
816.	—''—	—''—	—''—	78/3	0.39
817.	—''—	—''—	—''—	78/4	0.39
818.	—''—	—''—	—''—	81	1.29
819.	—''—	—''—	—''—	82	0.80
820.	—''—	—''—	—''—	83/1	0.20
821.	—''—	—''—	—''—	83/2	0.60
822.	—''—	—''—	—''—	87	0.73
823.	—''—	—''—	—''—	91	1.03
824.	—''—	—''—	—''—	93	0.92
825.	—''—	—''—	—''—	94	1.39
826.	—''—	—''—	—''—	95/1 d	0.13
827.	—''—	—''—	—''—	95/1 [k	0.14
828.	—''—	—''—	—''—	95/2	0.80
829.	—''—	—''—	—''—	98	1.97
830.	—''—	—''—	—''—	99	0.66
831.	—''—	—''—	—''—	100	0.90
832.	—''—	—''—	—''—	101	0.45
833.	—''—	—''—	—''—	102	0.42
834.	—''—	—''—	—''—	103	0.74
835.	—''—	—''—	—''—	104	0.11
836.	—''—	—''—	—''—	105	0.17
837.	—''—	—''—	—''—	106	0.12
838.	—''—	—''—	—''—	107	0.12
839.	—''—	—''—	—''—	108	0.38
840.	—''—	—''—	—''—	109	0.41
841.	—''—	—''—	—''—	110	0.43
842.	—''—	—''—	—''—	111/1	0.90
843.	—''—	—''—	—''—	111/2	0.90

844.	—''—	—''—	—''—	112	0.79
845.	—''—	—''—	—''—	113	0.68
846.	—''—	—''—	—''—	114	0.41
847.	—''—	—''—	—''—	116	0.17
848.	—''—	—''—	—''—	117	0.17
849.	—''—	—''—	—''—	119	0.33
850.	—''—	—''—	—''—	120	0.33
851.	—''—	—''—	—''—	121	0.23
852.	—''—	—''—	—''—	123	0.46
853.	—''—	—''—	—''—	126	0.46
854.	—''—	—''—	—''—	129/1	0.44
855.	—''—	—''—	—''—	129/2	0.45
856.	—''—	—''—	—''—	130/1	0.23
857.	—''—	—''—	—''—	130/2	0.24
858.	—''—	—''—	—''—	132/1	0.19
859.	—''—	—''—	—''—	132/2	0.20
860.	—''—	—''—	—''—	139	0.55
861.	—''—	—''—	—''—	141	1.79
862.	—''—	—''—	—''—	142	0.97
863.	—''—	—''—	—''—	143	0.25
864.	—''—	—''—	—''—	144	0.83
865.	—''—	—''—	—''—	145	0.97
866.	—''—	—''—	—''—	146	0.50
867.	—''—	—''—	—''—	147	0.89
868.	—''—	—''—	—''—	148/2	1.50
869.	—''—	—''—	—''—	149	0.43
870.	—''—	—''—	—''—	151	1.41
871.	—''—	—''—	—''—	152	1.49
872.	—''—	—''—	—''—	153	0.71
873.	—''—	—''—	—''—	154	0.94
874.	—''—	—''—	—''—	155	0.53
875.	—''—	—''—	—''—	156	1.63
876.	—''—	—''—	—''—	158	1.07
877.	—''—	—''—	—''—	159	1.07
878.	—''—	—''—	—''—	160	1.00
879.	—''—	—''—	—''—	161	1.14
880.	—''—	—''—	—''—	162	0.80
881.	—''—	—''—	—''—	163	2.04
882.	—''—	—''—	—''—	164	0.58
883.	—''—	—''—	—''—	165	0.54
884.	—''—	—''—	—''—	166	1.52
885.	—''—	—''—	—''—	169	0.14
886.	—''—	—''—	—''—	170	0.03
887.	—''—	—''—	—''—	173	0.85
888.	—''—	—''—	—''—	174	1.51
889.	—''—	—''—	—''—	175	1.51

890.	—''—	—''—	—''—	176	2.11
891.	—''—	—''—	—''—	177	0.34
892.	—''—	—''—	—''—	178	0.25
893.	—''—	—''—	—''—	179	0.03
894.	—''—	—''—	—''—	180/1	2.14
895.	—''—	—''—	—''—	180/2	0.18
896.	—''—	—''—	—''—	182	0.82
897.	—''—	—''—	—''—	184	0.20
898.	—''—	—''—	—''—	186	1.29
899.	—''—	—''—	—''—	187	0.97
900.	—''—	—''—	—''—	188	0.13
901.	—''—	—''—	—''—	189	0.09
902.	—''—	—''—	—''—	190	0.25
903.	—''—	—''—	—''—	191	1.00
904.	—''—	—''—	—''—	192	0.25
905.	—''—	—''—	—''—	194	0.72
906.	—''—	—''—	—''—	195	0.49
907.	—''—	—''—	—''—	197	2.07
908.	—''—	—''—	—''—	198	0.54
909.	—''—	—''—	—''—	199	0.21
910.	—''—	—''—	—''—	200/2	2.00
911.	—''—	—''—	—''—	201	0.50
912.	—''—	—''—	—''—	203	0.97
913.	—''—	—''—	—''—	204	1.37
914.	—''—	—''—	—''—	206	0.11
915.	—''—	—''—	—''—	207	1.62
916.	—''—	—''—	—''—	208	0.96
917.	—''—	—''—	—''—	209	1.25
918.	—''—	—''—	—''—	210	0.48
919.	—''—	—''—	—''—	211	0.42
920.	—''—	—''—	—''—	212	0.79
921.	—''—	—''—	—''—	213	0.39
922.	—''—	—''—	—''—	214	1.64
923.	—''—	—''—	—''—	216	2.02
924.	—''—	—''—	—''—	216/2	2.00
925.	—''—	—''—	—''—	219	0.54
926.	—''—	—''—	—''—	220	1.07
927.	—''—	—''—	—''—	221	0.97
928.	—''—	—''—	—''—	223	0.25
929.	—''—	—''—	—''—	225	1.26
930.	—''—	—''—	—''—	226	1.29
931.	—''—	—''—	—''—	227	0.46
932.	—''—	—''—	—''—	228	0.25
933.	—''—	—''—	—''—	229	0.51
934.	—''—	—''—	—''—	230	0.48
935.	—''—	—''—	—''—	231	0.48

936.	—''—	—''—	—''—	232	0.32
937.	—''—	—''—	—''—	233	0.67
938.	—''—	—''—	—''—	234	0.56
939.	—''—	—''—	—''—	235	0.96
940.	—''—	—''—	—''—	236	0.65
941.	—''—	—''—	—''—	238	1.32
942.	—''—	—''—	—''—	239	0.40
943.	—''—	—''—	—''—	240	0.31
944.	—''—	—''—	—''—	241	1.47
945.	—''—	—''—	—''—	242/1	0.72
946.	—''—	—''—	—''—	242/2	0.36
947.	—''—	—''—	—''—	243/1	0.78
948.	—''—	—''—	—''—	243/2	0.40
949.	—''—	—''—	—''—	244/1	0.60
950.	—''—	—''—	—''—	244/2	0.61
951.	—''—	—''—	—''—	246	0.47
952.	—''—	—''—	—''—	249/1	0.32
953.	—''—	—''—	—''—	249/2	0.32
954.	—''—	—''—	—''—	249/3	0.33
955.	—''—	—''—	—''—	249/4	0.33
956.	—''—	—''—	—''—	254	0.66
957.	—''—	—''—	—''—	257	1.33
958.	—''—	—''—	—''—	258	0.18
959.	—''—	—''—	—''—	259	0.02
960.	—''—	—''—	—''—	260	0.30
961.	—''—	—''—	—''—	261	0.54
962.	—''—	—''—	—''—	262	0.21
963.	—''—	—''—	—''—	263	0.18
964.	—''—	—''—	—''—	264	0.15
965.	—''—	—''—	—''—	265	0.21
966.	—''—	—''—	—''—	266	0.31
967.	—''—	—''—	—''—	267	0.26
968.	—''—	—''—	—''—	268	0.68
969.	—''—	—''—	—''—	269	0.50
970.	—''—	—''—	—''—	270	0.25
971.	—''—	—''—	—''—	271	0.22
972.	—''—	—''—	—''—	272	0.18
973.	—''—	—''—	—''—	273	0.17
974.	—''—	—''—	—''—	274	0.66
975.	—''—	—''—	—''—	275	0.45
976.	—''—	—''—	—''—	276	0.06
977.	—''—	—''—	—''—	277	0.71
978.	—''—	—''—	—''—	278	0.70
979.	—''—	—''—	—''—	279	0.27
980.	—''—	—''—	—''—	280	0.78
981.	—''—	—''—	—''—	281	0.74

982.	—''—	—''—	—''—	283	0.33
983.	—''—	—''—	—''—	284	0.30
984.	—''—	—''—	—''—	285	0.17
985.	—''—	—''—	—''—	286	0.18
986.	—''—	—''—	—''—	287	0.09
987.	—''—	—''—	—''—	268	0.12
988.	—''—	—''—	—''—	289	0.22
989.	—''—	—''—	—''—	290	0.33
990.	—''—	—''—	—''—	292	1.27
991.	—''—	—''—	—''—	293	0.19
992.	—''—	—''—	—''—	294	0.16
993.	—''—	—''—	—''—	295	0.18
994.	—''—	—''—	—''—	298	0.08
995.	—''—	—''—	—''—	300	0.21
996.	—''—	—''—	—''—	301	0.33
997.	—''—	—''—	—''—	302	0.17
998.	—''—	—''—	—''—	303	0.17
999.	—''—	—''—	—''—	304	0.17
1000.	—''—	—''—	—''—	305	0.01
1001.	—''—	—''—	—''—	306	0.24
1002.	—''—	—''—	—''—	307	0.24
1003.	—''—	—''—	—''—	308	0.21
1004.	—''—	—''—	—''—	309	0.15
1005.	—''—	—''—	—''—	310	0.13
1006.	—''—	—''—	—''—	311	0.16
1007.	—''—	—''—	—''—	312	0.20
1008.	—''—	—''—	—''—	313	0.22
1009.	—''—	—''—	—''—	314	0.13
1010.	—''—	—''—	—''—	315	0.11
1011.	—''—	—''—	—''—	316	0.10
1012.	—''—	—''—	—''—	317	0.10
1013.	—''—	—''—	—''—	318	0.10
1014.	—''—	—''—	—''—	319	0.14
1015.	—''—	—''—	—''—	320	0.13
1016.	—''—	—''—	—''—	321	0.18
1017.	—''—	—''—	—''—	322	0.04
1018.	—''—	—''—	—''—	323	0.06
1019.	—''—	—''—	—''—	324	0.15
1020.	—''—	—''—	—''—	325	0.15
1021.	—''—	—''—	—''—	326	0.17
1022.	—''—	—''—	—''—	327	0.18
1023.	—''—	—''—	—''—	328	0.22
1024.	—''—	—''—	—''—	329	0.13
1025.	—''—	—''—	—''—	330	0.20
1026.	—''—	—''—	—''—	331	0.16
1027.	—''—	—''—	—''—	332	0.31

1028.	—''—	—''—	—''—	334/1	0.32
1029.	—''—	—''—	—''—	334/2	0.03
1030.	—''—	—''—	—''—	334/3	0.12
1031.	—''—	—''—	—''—	335	0.17
1032.	—''—	—''—	—''—	336/1	0.03
1033.	—''—	—''—	—''—	336/2	0.16
1034.	—''—	—''—	—''—	337	0.23
1035.	—''—	—''—	—''—	338	0.05
1036.	—''—	—''—	—''—	339	0.20
1037.	—''—	—''—	—''—	340	0.33
1038.	—''—	—''—	—''—	341	0.32
1039.	—''—	—''—	—''—	342	1.87
1040.	—''—	—''—	—''—	343	0.19
1041.	—''—	—''—	—''—	344/1	0.12
1042.	—''—	—''—	—''—	344/2	0.11
1043.	—''—	—''—	—''—	345	0.31
1044.	—''—	—''—	—''—	346	0.42
1045.	—''—	—''—	—''—	347	0.15
1046.	—''—	—''—	—''—	348	0.21
1047.	—''—	—''—	—''—	349	0.17
1048.	—''—	—''—	—''—	350	0.30
1049.	—''—	—''—	—''—	351	0.39
1050.	—''—	—''—	—''—	352	0.42
1051.	—''—	—''—	—''—	353	0.41
1052.	—''—	—''—	—''—	354	0.18
1053.	—''—	—''—	—''—	355	0.04
1054.	—''—	—''—	—''—	356/1	0.60
1055.	—''—	—''—	—''—	356/2	0.36
1056.	—''—	—''—	—''—	357	0.14
1057.	—''—	—''—	—''—	358	0.25
1058.	—''—	—''—	—''—	359	0.26
1059.	—''—	—''—	—''—	360/1	0.68
1060.	—''—	—''—	—''—	360/2	0.24
1061.	—''—	—''—	—''—	361	0.26
1062.	—''—	—''—	—''—	363	0.50
1063.	—''—	—''—	—''—	364	0.47
1064.	—''—	—''—	—''—	366	0.53
1065.	—''—	—''—	—''—	367	1.69
1066.	—''—	—''—	—''—	368	0.79
1067.	—''—	—''—	—''—	369	0.48
1068.	—''—	—''—	—''—	370	0.95
1069.	—''—	—''—	—''—	371	1.59
1070.	—''—	—''—	—''—	372	0.35
1071.	—''—	—''—	—''—	373	0.63
1072.	—''—	—''—	—''—	374	0.95
1073.	—''—	—''—	—''—	375	1.38

1074.	—''—	—''—	—''—	376	0.59
1075.	—''—	—''—	—''—	377	0.48
1076.	—''—	—''—	—''—	378	0.02
1077.	—''—	—''—	—''—	379	3.05
1078.	—''—	—''—	—''—	380	0.66
1079.	—''—	—''—	—''—	381	0.71
1080.	—''—	—''—	—''—	382	1.08
1081.	—''—	—''—	—''—	384	0.76
1082.	—''—	—''—	—''—	385	0.61
1083.	—''—	—''—	—''—	386	0.30
1084.	—''—	—''—	—''—	387	0.90
1085.	—''—	—''—	—''—	389	0.91
1086.	—''—	—''—	—''—	390	1.28
1087.	—''—	—''—	—''—	391	0.91
1088.	—''—	—''—	—''—	392	0.22
1089.	—''—	—''—	—''—	395	0.01
1090.	—''—	—''—	—''—	396	0.71
1091.	—''—	—''—	—''—	399/1	0.33
1092.	—''—	—''—	—''—	400	0.76
1093.	—''—	—''—	—''—	401	0.09
1094.	—''—	—''—	—''—	402	0.12
1095.	—''—	—''—	—''—	403	1.01
1096.	—''—	—''—	—''—	404	1.60
1097.	—''—	—''—	—''—	405	0.10
1098.	—''—	—''—	—''—	406	0.27
1099.	—''—	—''—	—''—	412	0.09
1100.	—''—	—''—	—''—	413	0.16
1101.	—''—	—''—	—''—	414	0.30
1102.	—''—	—''—	—''—	415	0.10
1103.	—''—	—''—	—''—	416	0.07
1104.	—''—	—''—	—''—	417	0.26
1105.	—''—	—''—	—''—	418	0.02
1106.	—''—	—''—	—''—	420	0.04
1107.	—''—	—''—	—''—	421	0.13
1108.	—''—	—''—	—''—	422	0.15
1109.	—''—	—''—	—''—	423	0.31
1110.	—''—	—''—	—''—	424	0.18
1111.	—''—	—''—	—''—	425	0.22
1112.	—''—	—''—	—''—	426	0.90
1113.	—''—	—''—	—''—	427	0.27
1114.	—''—	—''—	—''—	428	0.22
1115.	—''—	—''—	—''—	429	0.18
1116.	—''—	—''—	—''—	430	0.16
1117.	—''—	—''—	—''—	431	0.09
1118.	—''—	—''—	—''—	433	0.02
1119.	—''—	—''—	—''—	440	0.13

1120.	—''—	—''—	—''—	441	0.22
1121.	—''—	—''—	—''—	442	0.17
1122.	—''—	—''—	—''—	443	0.18
1123.	—''—	—''—	—''—	444	0.11
1124.	—''—	—''—	—''—	445	0.06
1125.	—''—	—''—	—''—	447	0.08
1126.	—''—	—''—	—''—	448	0.11
1127.	—''—	—''—	—''—	449	0.13
1128.	—''—	—''—	—''—	450	0.06
1129.	—''—	—''—	—''—	456	0.25
1130.	—''—	—''—	—''—	458	0.01
1131.	—''—	—''—	—''—	505/1	1.82
1132.	—''—	—''—	—''—	505/2	1.72
1133.	—''—	—''—	—''—	503/3	0.23
1134.	—''—	—''—	—''—	507	0.77
1135.	—''—	—''—	—''—	508	1.20
1136.	—''—	—''—	—''—	509	3.50
1137.	—''—	—''—	—''—	510	0.14
1138.	—''—	—''—	—''—	511	0.38
1139.	—''—	—''—	—''—	512	0.31
1140.	—''—	—''—	—''—	513	0.22
1141.	—''—	—''—	—''—	514/1	0.30
1142.	—''—	—''—	—''—	514/2	0.30
1143.	—''—	—''—	—''—	515	0.17
1144.	—''—	—''—	—''—	516	0.10
1145.	—''—	—''—	—''—	517/1	0.01
1146.	—''—	—''—	—''—	517/2	0.06
1147.	—''—	—''—	—''—	517/3	0.04
1148.	—''—	—''—	—''—	519	0.19
1149.	—''—	—''—	—''—	520	0.61
1150.	—''—	—''—	—''—	521	0.02
1151.	—''—	—''—	—''—	522	0.11
1152.	—''—	—''—	—''—	523	0.04
1153.	—''—	—''—	—''—	524	0.84
1154.	—''—	—''—	—''—	525	0.18
1155.	—''—	—''—	—''—	526	0.17
1156.	—''—	—''—	—''—	527	0.01
1157.	—''—	—''—	—''—	528	0.14
1158.	—''—	—''—	—''—	529	0.03
1159.	—''—	—''—	—''—	530	0.14
1160.	—''—	—''—	—''—	531	0.12
1161.	—''—	—''—	—''—	532	0.15
1162.	—''—	—''—	—''—	533	0.05
1163.	—''—	—''—	—''—	534	0.15
1164.	—''—	—''—	—''—	535	0.03
1165.	—''—	—''—	—''—	536	0.34

1166.	—''—	—''—	—''—	537/1	0.19
1167.	—''—	—''—	—''—	537/2	0.10
1168.	—''—	—''—	—''—	538	0.17
1169.	—''—	—''—	—''—	539	0.34
1170.	—''—	—''—	—''—	5440	0.06
1171.	—''—	—''—	—''—	541	0.27
1172.	—''—	—''—	—''—	543	0.65
1173.	—''—	—''—	—''—	544	0.12
1174.	—''—	—''—	—''—	545	0.15
1175.	—''—	—''—	—''—	547	1.15
1176.	—''—	—''—	—''—	548	0.05
1177.	—''—	—''—	—''—	549	0.33
1178.	—''—	—''—	—''—	550	0.40
1179.	—''—	—''—	—''—	551	0.12
1180.	—''—	—''—	—''—	553	0.15
1181.	—''—	—''—	—''—	554	0.55
1182.	—''—	—''—	—''—	555	0.37
1183.	—''—	—''—	—''—	556	0.79
1184.	—''—	—''—	—''—	557	0.93
1185.	—''—	—''—	—''—	558	1.39
1186.	—''—	—''—	—''—	559	0.18
1187.	—''—	—''—	—''—	560/1	0.20
1188.	—''—	—''—	—''—	560/2	0.27
1189.	—''—	—''—	—''—	561	0.25
1190.	—''—	—''—	—''—	562/1	0.05
1191.	—''—	—''—	—''—	562/2	0.01
1192.	—''—	—''—	—''—	562/3	0.01
1193.	—''—	—''—	—''—	562/4	0.01
1194.	—''—	—''—	—''—	563	0.45
1195.	—''—	—''—	—''—	564	0.40
1196.	—''—	—''—	—''—	565	0.11
1197.	—''—	—''—	—''—	566	0.36
1198.	—''—	—''—	—''—	567	0.90
1199.	—''—	—''—	—''—	571	0.02
1200.	—''—	—''—	—''—	572	0.43
1201.	—''—	—''—	—''—	574	0.55
1202.	—''—	—''—	—''—	576/1	0.78
1203.	—''—	—''—	—''—	576/2	0.78
1204.	—''—	—''—	—''—	578	1.61
1205.	—''—	—''—	—''—	579	1.61
1206.	—''—	—''—	—''—	581/1 d	0.20
1207.	—''—	—''—	—''—	581/1 [k	0.20
1208.	—''—	—''—	—''—	581/1 x	0.21
1209.	—''—	—''—	—''—	581/1 ?k	0.20
1210.	—''—	—''—	—''—	581/2	0.80
1211.	—''—	—''—	—''—	583	0.16

1212.	—''—	—''—	—''—	584	0.38
1213.	—''—	—''—	—''—	585	0.03
1214.	—''—	—''—	—''—	586	0.62
1215.	—''—	—''—	—''—	587	1.14
1216.	—''—	—''—	—''—	588	0.85
1217.	—''—	—''—	—''—	589/1	1.12
1218.	—''—	—''—	—''—	589/2	0.28
1219.	—''—	—''—	—''—	590	0.25
1220.	—''—	—''—	—''—	591/1	0.27
1221.	—''—	—''—	—''—	591/2	0.10
1222.	—''—	—''—	—''—	591/3	0.10
1223.	—''—	—''—	—''—	592/1	0.29
1224.	—''—	—''—	—''—	592/2	0.29
1225.	—''—	—''—	—''—	593	0.05
1226.	—''—	—''—	—''—	594	0.32
1227.	—''—	—''—	—''—	595	0.76
1228.	—''—	—''—	—''—	596	0.02
1229.	—''—	—''—	—''—	597/1	0.38
1230.	—''—	—''—	—''—	597/2	0.29
1231.	—''—	—''—	—''—	597/3	0.28
1232.	—''—	—''—	—''—	598	0.09
1233.	—''—	—''—	—''—	600/1	0.23
1234.	—''—	—''—	—''—	600/2	0.15
1235.	—''—	—''—	—''—	601/1	0.69
1236.	—''—	—''—	—''—	601/2	0.20
1237.	—''—	—''—	—''—	602	1.48
1238.	—''—	—''—	—''—	603	0.11
1239.	—''—	—''—	—''—	604	0.73
1240.	—''—	—''—	—''—	605	0.23
1241.	—''—	—''—	—''—	606/1	0.01
1242.	—''—	—''—	—''—	606/2	0.01
1243.	—''—	—''—	—''—	606/3	0.01
1244.	—''—	—''—	—''—	607/1	0.13
1245.	—''—	—''—	—''—	607/2	0.12
1246.	—''—	—''—	—''—	608/1	0.14
1247.	—''—	—''—	—''—	608/2	0.13
1248.	—''—	—''—	—''—	608/3	0.14
1249.	—''—	—''—	—''—	609/1	0.12
1250.	—''—	—''—	—''—	609/2	0.12
1251.	—''—	—''—	—''—	609/3	0.12
1252.	—''—	—''—	—''—	610/1	0.11
1253.	—''—	—''—	—''—	610/2	1.80
1254.	—''—	—''—	—''—	611	0.90
1255.	—''—	—''—	—''—	612	0.02
1256.	—''—	—''—	—''—	613	1.78
1257.	—''—	—''—	—''—	614	0.28

1258.	—''—	—''—	—''—	615	1.02
1259.	—''—	—''—	—''—	616/1	0.14
1260.	—''—	—''—	—''—	616/2	0.14
1261.	—''—	—''—	—''—	617/1	0.14
1262.	—''—	—''—	—''—	617/2	0.14
1263.	—''—	—''—	—''—	618	0.07
1264.	—''—	—''—	—''—	619	0.01
1265.	—''—	—''—	—''—	623	0.10
1266.	—''—	—''—	—''—	624	0.14
1267.	—''—	—''—	—''—	632	0.22
1268.	—''—	—''—	—''—	633	0.81
1269.	—''—	—''—	—''—	634	0.27
1270.	—''—	—''—	—''—	635	0.17
1271.	—''—	—''—	—''—	636	0.37
1272.	—''—	—''—	—''—	637	0.67
1273.	—''—	—''—	—''—	638/1	0.18
1274.	—''—	—''—	—''—	638/2	0.17
1275.	—''—	—''—	—''—	641/1	0.02
1276.	—''—	—''—	—''—	641/2	0.03
1277.	—''—	—''—	—''—	643/1	0.48
1278.	—''—	—''—	—''—	643/2	0.47
1279.	—''—	—''—	—''—	644	0.01
1280.	—''—	—''—	—''—	645	0.55
1281.	—''—	—''—	—''—	646	0.58
1282.	—''—	—''—	—''—	647	0.23
1283.	—''—	—''—	—''—	648/1	0.59
1284.	—''—	—''—	—''—	648/2	0.25
1285.	—''—	—''—	—''—	649	0.03
1286.	—''—	—''—	—''—	650/1 d	0.49
1287.	—''—	—''—	—''—	650/1 [k	0.49
1288.	—''—	—''—	—''—	650/2	0.49
1289.	—''—	—''—	—''—	652	0.57
1290.	—''—	—''—	—''—	653	0.94
1291.	—''—	—''—	—''—	654	0.88
1292.	—''—	—''—	—''—	657	0.42
1293.	—''—	—''—	—''—	659	0.48
1294.	—''—	—''—	—''—	660	0.65
1295.	—''—	—''—	—''—	661	1.33
1296.	—''—	—''—	—''—	662	0.47
1297.	—''—	—''—	—''—	663	0.02
1298.	—''—	—''—	—''—	664	0.78
1299.	—''—	—''—	—''—	666/1 d	0.15
1300.	—''—	—''—	—''—	666/1 [k	0.16
1301.	—''—	—''—	—''—	666/2	0.31
1302.	—''—	—''—	—''—	667/1	0.01
1303.	—''—	—''—	—''—	667/2	0.01

1304.	—''—	—''—	—''—	668/1	0.14
1305.	—''—	—''—	—''—	668/2	0.14
1306.	—''—	—''—	—''—	668/3	0.54
1307.	—''—	—''—	—''—	669	0.58
1308.	—''—	—''—	—''—	670	0.06
1309.	—''—	—''—	—''—	671	0.60
1310.	—''—	—''—	—''—	673	0.14
1311.	—''—	—''—	—''—	674	0.04
1312.	—''—	—''—	—''—	681	0.36
1313.	—''—	—''—	—''—	682	0.11
1314.	—''—	—''—	—''—	683	0.02
1315.	—''—	—''—	—''—	688	0.18
1316.	—''—	—''—	—''—	689	0.07
1317.	—''—	—''—	—''—	691	0.06
1318.	—''—	—''—	—''—	692	0.13
1319.	—''—	—''—	—''—	693	0.05
1320.	—''—	—''—	—''—	700	1.69
1321.	—''—	—''—	—''—	702	0.19
1322.	—''—	—''—	—''—	782	0.04
1323.	—''—	—''—	—''—	793	1.50
1324.	—''—	—''—	—''—	796	2.87
1325.	—''—	—''—	—''—	797	0.65
1326.	—''—	—''—	—''—	798	1.08
1327.	—''—	—''—	—''—	799	0.76
1328.	—''—	—''—	—''—	800/1	0.34
1329.	—''—	—''—	—''—	801	0.52
1330.	—''—	—''—	—''—	907/67	0.13
1331.	—''—	—''—	—''—	908/256	0.73
1332.	—''—	—''—	—''—	911/64	0.14
1333.	—''—	—''—	—''—	1	0.86
1334.	—''—	—''—	—''—	2	0.860
1335.	—''—	—''—	—''—	3	5.030
1336.	—''—	—''—	—''—	4	0.700
1337.	—''—	—''—	—''—	5	0.950
1338.	—''—	—''—	—''—	6	0.870
1339.	—''—	—''—	—''—	7	4.380
1340.	—''—	—''—	—''—	8	1.000
1341.	—''—	—''—	—''—	9	1.620
1342.	—''—	—''—	—''—	10	1.560
1343.	—''—	—''—	—''—	11	1.360
1344.	—''—	—''—	—''—	12	0.250
1345.	—''—	—''—	—''—	13	0.550
1346.	—''—	—''—	—''—	14	1.260
1347.	—''—	—''—	—''—	23	1.360
1348.	—''—	—''—	—''—	24	1.940
1349.	—''—	—''—	—''—	25	0.810

1350.	—''—	—''—	—''—	26	5.770
1351.	—''—	—''—	—''—	27	0.110
1352.	—''—	—''—	—''—	28/1	0.400
1353.	—''—	—''—	—''—	28/2	1.000
1354.	—''—	—''—	—''—	28/3	0.340
1355.	—''—	—''—	—''—	30	0.290
1356.	—''—	—''—	—''—	31	0.300
1357.	—''—	—''—	—''—	32	0.870
1358.	—''—	बनहरीकला	—''—	3	0.97
1359.	—''—	—''—	—''—	4	2.05
1360.	—''—	—''—	—''—	5/3	0.66
1361.	—''—	—''—	—''—	5/5	0.5
1362.	—''—	—''—	—''—	5/6	0.67
1363.	—''—	—''—	—''—	5/7	0.67
1364.	—''—	—''—	—''—	6/2	2
1365.	—''—	—''—	—''—	7	0.89
1366.	—''—	—''—	—''—	8	1.87
1367.	—''—	—''—	—''—	12	0.64
1368.	—''—	—''—	—''—	13/1	0.4
1369.	—''—	—''—	—''—	13/2	0.39
1370.	—''—	—''—	—''—	13/3	0.39
1371.	—''—	—''—	—''—	13/4	0.39
1372.	—''—	—''—	—''—	13/5	0.39
1373.	—''—	—''—	—''—	13/6	0.3
1374.	—''—	—''—	—''—	14	0.32
1375.	—''—	—''—	—''—	15	1.94
1376.	—''—	—''—	—''—	16/2	2
1377.	—''—	—''—	—''—	16/3	2
1378.	—''—	—''—	—''—	16/4	0.58
1379.	—''—	—''—	—''—	16/5	0.59
1380.	—''—	—''—	—''—	17	0.97
1381.	—''—	—''—	—''—	18/2	1.21
1382.	—''—	—''—	—''—	18/3	1.13
1383.	—''—	—''—	—''—	19	1.13
1384.	—''—	—''—	—''—	20	0.28
1385.	—''—	—''—	—''—	21	0.98
1386.	—''—	—''—	—''—	22	1.7
1387.	—''—	—''—	—''—	23	1.44
1388.	—''—	—''—	—''—	25	0.78
1389.	—''—	—''—	—''—	26	0.66
1390.	—''—	—''—	—''—	27	0.14
1391.	—''—	—''—	—''—	28	0.62
1392.	—''—	—''—	—''—	29	0.28
1393.	—''—	—''—	—''—	30/1	0.09
1394.	—''—	—''—	—''—	30/2/क	0.32
1395.	—''—	—''—	—''—	30/2/ख	0.32

1396.	—''—	—''—	—''—	30/3	0.11
1397.	—''—	—''—	—''—	30/4	0.14
1398.	—''—	—''—	—''—	31	0.25
1399.	—''—	—''—	—''—	35	0.97
1400.	—''—	—''—	—''—	37/2	2
1401.	—''—	—''—	—''—	38/1	0.26
1402.	—''—	—''—	—''—	38/2	0.26
1403.	—''—	—''—	—''—	39/1	0.79
1404.	—''—	—''—	—''—	39/2	0.79
1405.	—''—	—''—	—''—	40	1.01
1406.	—''—	—''—	—''—	41	2.06
1407.	—''—	—''—	—''—	42	0.66
1408.	—''—	—''—	—''—	43/2	1
1409.	—''—	—''—	—''—	46	3.06
1410.	—''—	—''—	—''—	47/1	0.93
1411.	—''—	—''—	—''—	47/2	0.93
1412.	—''—	—''—	—''—	48	0.42
1413.	—''—	—''—	—''—	49	0.97
1414.	—''—	—''—	—''—	50/1	1.05
1415.	—''—	—''—	—''—	50/2	1.05
1416.	—''—	—''—	—''—	52	0.17
1417.	—''—	—''—	—''—	54/1	0.8
1418.	—''—	—''—	—''—	54/2	0.51
1419.	—''—	—''—	—''—	58	0.97
1420.	—''—	—''—	—''—	61/1	2
1421.	—''—	—''—	—''—	61/2	1.21
1422.	—''—	—''—	—''—	62	2
1423.	—''—	—''—	—''—	62/1454	0.42
1424.	—''—	—''—	—''—	64/1	0.42
1425.	—''—	—''—	—''—	64/2	1.57
1426.	—''—	—''—	—''—	68	1.39
1427.	—''—	—''—	—''—	70	0.98
1428.	—''—	—''—	—''—	72	1.28
1429.	—''—	—''—	—''—	73	0.57
1430.	—''—	—''—	—''—	76	0.73
1431.	—''—	—''—	—''—	77/1	0.73
1432.	—''—	—''—	—''—	77/2	0.71
1433.	—''—	—''—	—''—	78/1	0.75
1434.	—''—	—''—	—''—	78/2	0.75
1435.	—''—	—''—	—''—	79	0.26
1436.	—''—	—''—	—''—	83	0.31
1437.	—''—	—''—	—''—	84	0.62
1438.	—''—	—''—	—''—	87	0.62
1439.	—''—	—''—	—''—	88	1.69
1440.	—''—	—''—	—''—	90	0.53
1441.	—''—	—''—	—''—	91/1	0.49

1442.	—''—	—''—	—''—	91/2	0.49
1443.	—''—	—''—	—''—	93	0.7
1444.	—''—	—''—	—''—	94	0.35
1445.	—''—	—''—	—''—	95	0.09
1446.	—''—	—''—	—''—	96	0.05
1447.	—''—	—''—	—''—	98	2.64
1448.	—''—	—''—	—''—	99/2	1.47
1449.	—''—	—''—	—''—	100	0.47
1450.	—''—	—''—	—''—	102	1.47
1451.	—''—	—''—	—''—	106	0.16
1452.	—''—	—''—	—''—	107	0.15
1453.	—''—	—''—	—''—	114	1.29
1454.	—''—	—''—	—''—	115	0.64
1455.	—''—	—''—	—''—	119	0.9
1456.	—''—	—''—	—''—	120	0.12
1457.	—''—	—''—	—''—	122	0.27
1458.	—''—	—''—	—''—	123	0.23
1459.	—''—	—''—	—''—	127/1	1.225
1460.	—''—	—''—	—''—	129	0.46
1461.	—''—	—''—	—''—	130/2/	0.75
1462.	—''—	—''—	—''—	131/1	0.56
1463.	—''—	—''—	—''—	131/2	0.2
1464.	—''—	—''—	—''—	131/3	0.21
1465.	—''—	—''—	—''—	131/4	0.21
1466.	—''—	—''—	—''—	131/5	0.2
1467.	—''—	—''—	—''—	131/6	0.01
1468.	—''—	—''—	—''—	132	0.6
1469.	—''—	—''—	—''—	134/1	0.26
1470.	—''—	—''—	—''—	135	0.09
1471.	—''—	—''—	—''—	137/1	0.82
1472.	—''—	—''—	—''—	138	0.04
1473.	—''—	—''—	—''—	143	0.4
1474.	—''—	—''—	—''—	145	0.5
1475.	—''—	—''—	—''—	147	0.45
1476.	—''—	—''—	—''—	151/1	0.2
1477.	—''—	—''—	—''—	151/2	0.2
1478.	—''—	—''—	—''—	152	0.12
1479.	—''—	—''—	—''—	153/1	0.3
1480.	—''—	—''—	—''—	153/2	0.4
1481.	—''—	—''—	—''—	154	0.36
1482.	—''—	—''—	—''—	155	0.16
1483.	—''—	—''—	—''—	156	0.02
1484.	—''—	—''—	—''—	157	0.43
1485.	—''—	—''—	—''—	158	0.58
1486.	—''—	—''—	—''—	159	0.5
1487.	—''—	—''—	—''—	160	0.16

1488.	—''—	—''—	—''—	161	0.21
1489.	—''—	—''—	—''—	163	0.35
1490.	—''—	—''—	—''—	164	0.4
1491.	—''—	—''—	—''—	165	0.58
1492.	—''—	—''—	—''—	166	0.24
1493.	—''—	—''—	—''—	167/1	0.17
1494.	—''—	—''—	—''—	167/2	0.06
1495.	—''—	—''—	—''—	169	0.45
1496.	—''—	—''—	—''—	173	0.42
1497.	—''—	—''—	—''—	175	0.69
1498.	—''—	—''—	—''—	165	0.22
1499.	—''—	—''—	—''—	177	0.22
1500.	—''—	—''—	—''—	178	0.07
1501.	—''—	—''—	—''—	179	0.22
1502.	—''—	—''—	—''—	180	0.08
1503.	—''—	—''—	—''—	182	0.15
1504.	—''—	—''—	—''—	183	0.36
1505.	—''—	—''—	—''—	185	0.19
1506.	—''—	—''—	—''—	187	0.28
1507.	—''—	—''—	—''—	188	0.38
1508.	—''—	—''—	—''—	189	0.83
1509.	—''—	—''—	—''—	190	0.68
1510.	—''—	—''—	—''—	192	0.74
1511.	—''—	—''—	—''—	193	0.6
1512.	—''—	—''—	—''—	196	0.35
1513.	—''—	—''—	—''—	197/1	0.32
1514.	—''—	—''—	—''—	197/2	0.33
1515.	—''—	—''—	—''—	197/3	0.32
1516.	—''—	—''—	—''—	198	0.18
1517.	—''—	—''—	—''—	199	0.17
1518.	—''—	—''—	—''—	201	0.13
1519.	—''—	—''—	—''—	202	0.05
1520.	—''—	—''—	—''—	203/1	0.14
1521.	—''—	—''—	—''—	203/2	0.14
1522.	—''—	—''—	—''—	204	0.1
1523.	—''—	—''—	—''—	205	0.1
1524.	—''—	—''—	—''—	206	1.2
1525.	—''—	—''—	—''—	210	0.81
1526.	—''—	—''—	—''—	211	0.46
1527.	—''—	—''—	—''—	220/1	0.25
1528.	—''—	—''—	—''—	220/2	0.25
1529.	—''—	—''—	—''—	222	0.11
1530.	—''—	—''—	—''—	223	0.2
1531.	—''—	—''—	—''—	254	0.43
1532.	—''—	—''—	—''—	255	0.2
1533.	—''—	—''—	—''—	271	2.7

1534.	—''—	—''—	—''—	272	0.37
1535.	—''—	—''—	—''—	273	0.9
1536.	—''—	—''—	—''—	274	0.67
1537.	—''—	—''—	—''—	275	0.48
1538.	—''—	—''—	—''—	278	0.8
1539.	—''—	—''—	—''—	280	0.38
1540.	—''—	—''—	—''—	285/1	1.01
1541.	—''—	—''—	—''—	285/2	0.29
1542.	—''—	—''—	—''—	287	0.22
1543.	—''—	—''—	—''—	288	0.28
1544.	—''—	—''—	—''—	289	0.03
1545.	—''—	—''—	—''—	293	0.16
1546.	—''—	—''—	—''—	294	0.2
1547.	—''—	—''—	—''—	302	0.05
1548.	—''—	—''—	—''—	312	0.05
1549.	—''—	—''—	—''—	313	0.08
1550.	—''—	—''—	—''—	319/1	0.05
1551.	—''—	—''—	—''—	1444/65	0.48
1552.	—''—	—''—	—''—	1477/4	0.33
1553.	—''—	—''—	—''—	1477/5	0.33
1554.	—''—	—''—	—''—	1477/6	0.33
1555.	—''—	—''—	—''—	1479	1.54
1556.	—''—	—''—	—''—	1480/1	0.22
1557.	—''—	—''—	—''—	1480/2	0.7
1558.	—''—	—''—	—''—	1480/3	0.34
1559.	—''—	—''—	—''—	1480/4	0.08
1560.	—''—	—''—	—''—	1480/5	0.1
1561.	—''—	—''—	—''—	1480/6	0.08
1562.	—''—	—''—	—''—	1480/7	0.02
1563.	—''—	—''—	—''—	1481/1	0.5
1564.	—''—	—''—	—''—	1481/2	0.76
1565.	—''—	—''—	—''—	1481/3	0.22
1566.	—''—	—''—	—''—	1481/4	0.06
1567.	—''—	—''—	—''—	1482/1	0.65
1568.	—''—	—''—	—''—	1482/2	0.88
1569.	—''—	—''—	—''—	1483/1	0.95
1570.	—''—	—''—	—''—	1483/2	0.58
1571.	—''—	—''—	—''—	1484	1.54
1572.	—''—	—''—	—''—	1486	1.69
1573.	—''—	—''—	—''—	1487	1.69
1574.	—''—	—''—	—''—	1488	0.65
1575.	—''—	—''—	—''—	1489	1.23
1576.	—''—	—''—	—''—	1490	2
1577.	—''—	—''—	—''—	1491	1.6
1578.	—''—	—''—	—''—	1493	0.83
1579.	—''—	—''—	—''—	1495	1

1580.	—''—	—''—	—''—	1496	1.9
1581.	—''—	—''—	—''—	1497/1	1.28
1582.	—''—	—''—	—''—	1498	0.65
1583.	—''—	—''—	—''—	1499	0.65
1584.	—''—	—''—	—''—	1501	0.76
1585.	—''—	—''—	—''—	1502	2
1586.	—''—	—''—	—''—	1503	0.82
1587.	—''—	—''—	—''—	1504	0.95
1588.	—''—	—''—	—''—	1505	0.26
1589.	—''—	—''—	—''—	1506	0.48
1590.	—''—	—''—	—''—	1507	0.5
1591.	—''—	—''—	—''—	1508	0.3
1592.	—''—	—''—	—''—	1509	0.1
1593.	—''—	—''—	—''—	1510/2	0.72
1594.	—''—	—''—	—''—	1513	0.48
1595.	—''—	—''—	—''—	1514	1.4
1596.	—''—	—''—	—''—	1515	0.27
1597.	—''—	—''—	—''—	1516/1	0.11
1598.	—''—	—''—	—''—	1516/2	0.12
1599.	—''—	—''—	—''—	1516/3	0.12
1600.	—''—	—''—	—''—	1590/1	0.94
1601.	—''—	—''—	—''—	1	6.3
1602.	—''—	—''—	—''—	2	5.76
1603.	—''—	—''—	—''—	5/1	1.5
1604.	—''—	—''—	—''—	5/2	2
1605.	—''—	—''—	—''—	5/4	0.7
1606.	—''—	—''—	—''—	5/8	1.5
1607.	—''—	—''—	—''—	6/1	0.15
1608.	—''—	—''—	—''—	9	3.48
1609.	—''—	—''—	—''—	10	2.47
1610.	—''—	—''—	—''—	11	2.39
1611.	—''—	—''—	—''—	16/1	3.81
1612.	—''—	—''—	—''—	18/1	0.85
1613.	—''—	—''—	—''—	24	0.92
1614.	—''—	—''—	—''—	32	0.06
1615.	—''—	—''—	—''—	33	0.06
1616.	—''—	—''—	—''—	34	2.53
1617.	—''—	—''—	—''—	36	2.03
1618.	—''—	—''—	—''—	37/1	0.28
1619.	—''—	—''—	—''—	43/1	6.56
1620.	—''—	—''—	—''—	44	2.43
1621.	—''—	—''—	—''—	45	1.68
1622.	—''—	—''—	—''—	51	0.25
1623.	—''—	—''—	—''—	53	3.787
1624.	—''—	—''—	—''—	55	2
1625.	—''—	—''—	—''—	56	3.74

1626.	—''—	—''—	—''—	774/1	0.500
1627.	—''—	—''—	—''—	775/3	0.050
1628.	—''—	—''—	—''—	840	2.670
महायोग				खसरा संख्या 1625	1029. 910 हेक्टेयर

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-37/2017-FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है। योजना में प्रभावित राजस्व/निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, पन्ना के आदेश क्रमांक/पृ0क्र0/231 दिनांक 12.04.2023 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :-निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1094-आर-1264596-2023-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094-आर-1264596-2023-दस-3, दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
FOREST DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Bhopal Dated 01/06/2023

No./1094 /R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest block lies between 24°54'40.52" to 24°51'09.27"North Latitude and 80°12'00.43" to 80°09'23.23"East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Panna

Forest Division - North Panna

Tahsil - Ajaigarh

Forest Range - Ajaigarh

S.No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area ( Hectare)	
1.	Majhgay "A"	Majhgay	MP Gov. Forest Department	773/1/kh	1.190	North- Majhgaye Dame Line East - Forest Compartment No. P-188 of Munara No. 43 to 31 and from Munara No. 31 to Forest Compartment No. P-189 to Munara No. 63 of Forest Block Udaipur Dam Line and Munara No. 63 to Munara No. 12 and Munara No-26 of Forest Compartment no. P-190. South- Dam line from Forest Room No. P-190 from Munara No. 26 to 23 and from Munara No. 23 to Munara No. 40 of Forest Compartment No. P-182 and from Munara No. 40 to
2.	---	---	---	774/1	0.500	
3.	---	---	---	775/3	0.050	
4.	---	---	---	840	2.670	
5.	---	---	---	853	1.420	
6.	---	---	---	856	0.280	
7.	---	---	---	875	0.300	
8.	---	---	---	877	0.150	
9.	---	---	---	878	0.100	
10.	---	---	---	879	0.070	
11.	---	---	---	838	1.330	
12.	---	---	---	789	3.720	
13.	---	---	---	727/2	0.970	
14.	---	---	---	728	1.030	
15.	---	---	---	941/1	0.430	
16.	---	---	---	955	0.67	
17.	---	---	---	986	3.50	

18.	---	---	---	527	0.33	West- Munara No. 24 of Forest Compartment No. P-182. Forest Compartment No.P-182 from Munara no. 24 to Munara No.01 and from Munara No. 01 through natural drain boundary to Munara No. 91 of Forest Compartment No. P-181 and from Munara No. 91 to Majhgani Dam Line
19.	---	---	---	753/2	1.200	
20.	---	---	---	1009/2	2.080	
21.	---	---	---	674	0.840	
22.	---	---	---	778	1.180	
23.	---	---	---	805/5/gha	0.100	
24.	---	---	---	805/3	2.000	
25.	---	---	---	983/3	0.41	
26.	---	---	---	1004/2/kh	0.32	
27.	---	---	---	1036/2/kh	0.32	
28.	---	---	---	946/3	0.55	
29.	---	---	---	959/1	0.19	
30.	---	---	---	972/2	0.46	
31.	---	---	---	977/2	0.20	
32.	---	---	---	961/2	0.04	
33.	---	---	---	981/2	0.22	
34.	---	---	---	1004/2/ka	0.32	
35.	---	---	---	1036/2/ka	0.32	
36.	---	---	---	946/2	0.55	
37.	---	---	---	972/1	0.39	
38.	---	---	---	977/1	0.20	
39.	---	---	---	961/1	0.04	
40.	---	---	---	981/1	0.22	
41.	---	---	---	948	0.18	
42.	---	---	---	991	0.08	
43.	---	---	---	832/2	0.600	
44.	---	---	---	325/2	1.000	
45.	---	---	---	964	0.32	
46.	---	---	---	832/1/ka	0.300	
47.	---	---	---	825/1/ka	0.50	
48.	---	---	---	934/2	1.72	
49.	---	---	---	781	2.020	
50.	---	---	---	1069/1	2.06	
51.	---	---	---	1068/2	4.00	
52.	---	---	---	902/3	0.940	
53.	---	---	---	526	3.430	
54.	---	---	---	797	0.060	
55.	---	---	---	798/1	0.020	
56.	---	---	---	799	0.060	
57.	---	---	---	800	0.110	
58.	---	---	---	810/1	0.610	
59.	---	---	---	811	0.040	

60.	—''—	—''—	—''—	813	0.010
61.	—''—	—''—	—''—	865/1	0.120
62.	—''—	—''—	—''—	874/1	0.520
63.	—''—	—''—	—''—	730	2.020
64.	—''—	—''—	—''—	805/11	2.000
65.	—''—	—''—	—''—	826	0.620
66.	—''—	—''—	—''—	841/2	0.870
67.	—''—	—''—	—''—	844/2	0.940
68.	—''—	—''—	—''—	769/1	0.400
69.	—''—	—''—	—''—	971	2.570
70.	—''—	—''—	—''—	690	0.700
71.	—''—	—''—	—''—	692	1.490
72.	—''—	—''—	—''—	761/1	0.670
73.	—''—	—''—	—''—	673	2.010
74.	—''—	—''—	—''—	740	2.020
75.	—''—	—''—	—''—	757	2.020
76.	—''—	—''—	—''—	901	0.800
77.	—''—	—''—	—''—	997/2	1.200
78.	—''—	—''—	—''—	899	0.760
79.	—''—	—''—	—''—	1033/2	1.500
80.	—''—	—''—	—''—	931	2.02
81.	—''—	—''—	—''—	761/2	0.670
82.	—''—	—''—	—''—	898	0.87
83.	—''—	—''—	—''—	983/2	0.40
84.	—''—	—''—	—''—	984/2	1.13
85.	—''—	—''—	—''—	788/1	0.480
86.	—''—	—''—	—''—	788/2	0.480
87.	—''—	—''—	—''—	788/3	0.480
88.	—''—	—''—	—''—	998/2/ka	0.01
89.	—''—	—''—	—''—	1000/2/ka	1.00
90.	—''—	—''—	—''—	998/2/kh	0.01
91.	—''—	—''—	—''—	1000/2/kh	1.00
92.	—''—	—''—	—''—	998/2/ga	0.01
93.	—''—	—''—	—''—	1000/2/ga	1.00
94.	—''—	—''—	—''—	934/1	0.32
95.	—''—	—''—	—''—	805/6/M+	0.400
96.	—''—	—''—	—''—	842/5	0.110
97.	—''—	—''—	—''—	873/1/M+	0.460
98.	—''—	—''—	—''—	904/1	0.50
99.	—''—	—''—	—''—	805/4/ka	0.040
100.	—''—	—''—	—''—	896/2	0.070
101.	—''—	—''—	—''—	906	0.070

102.	—''—	—''—	—''—	942	0.88
103.	—''—	—''—	—''—	916/1/ka	0.12
104.	—''—	—''—	—''—	916/1/ga	0.42
105.	—''—	—''—	—''—	652/1	0.140
106.	—''—	—''—	—''—	1009/3	0.24
107.	—''—	—''—	—''—	1014	0.80
108.	—''—	—''—	—''—	745	2.020
109.	—''—	—''—	—''—	773/1/ka	0.420
110.	—''—	—''—	—''—	775/1	1.600
111.	—''—	—''—	—''—	870/1	0.260
112.	—''—	—''—	—''—	962/2	0.50
113.	—''—	—''—	—''—	1033/4/kh	0.50
114.	—''—	—''—	—''—	766	1.620
115.	—''—	—''—	—''—	755	2.020
116.	—''—	—''—	—''—	780	1.610
117.	—''—	—''—	—''—	727/3	1.330
118.	—''—	—''—	—''—	902/1	0.330
119.	—''—	—''—	—''—	786/2/kh	0.700
120.	—''—	—''—	—''—	993/1	2.00
121.	—''—	—''—	—''—	773/3	2.000
122.	—''—	—''—	—''—	866	2.480
123.	—''—	—''—	—''—	805/6/kh	0.400
124.	—''—	—''—	—''—	842/2	0.110
125.	—''—	—''—	—''—	873/1/gh	0.440
126.	—''—	—''—	—''—	1038	2.02
127.	—''—	—''—	—''—	665	1.600
128.	—''—	—''—	—''—	864	0.060
129.	—''—	—''—	—''—	1097/763	2.000
130.	—''—	—''—	—''—	787/1	0.260
131.	—''—	—''—	—''—	787/2	0.260
132.	—''—	—''—	—''—	787/3	0.260
133.	—''—	—''—	—''—	787/4	0.260
134.	—''—	—''—	—''—	787/5	0.260
135.	—''—	—''—	—''—	787/6	0.250
136.	—''—	—''—	—''—	859/1/gh	1.190
137.	—''—	—''—	—''—	860/1	0.030
138.	—''—	—''—	—''—	861/4	0.020
139.	—''—	—''—	—''—	672	2.020
140.	—''—	—''—	—''—	691	0.440
141.	—''—	—''—	—''—	846	1.210
142.	—''—	—''—	—''—	869	0.130
143.	—''—	—''—	—''—	947	4.46

144.	—''—	—''—	—''—	960	0.11
145.	—''—	—''—	—''—	973	0.92
146.	—''—	—''—	—''—	975	0.40
147.	—''—	—''—	—''—	978	0.87
148.	—''—	—''—	—''—	990	2.47
149.	—''—	—''—	—''—	928/4	1.46
150.	—''—	—''—	—''—	1004/2/gh a	0.34
151.	—''—	—''—	—''—	946/5	0.53
152.	—''—	—''—	—''—	959/3	0.19
153.	—''—	—''—	—''—	972/4	0.49
154.	—''—	—''—	—''—	977/4	0.20
155.	—''—	—''—	—''—	981/4	0.23
156.	—''—	—''—	—''—	805/6/gha	0.400
157.	—''—	—''—	—''—	842/4	0.110
158.	—''—	—''—	—''—	873/1/kh	0.440
159.	—''—	—''—	—''—	932	1.00
160.	—''—	—''—	—''—	857	1.170
161.	—''—	—''—	—''—	677/1	0.810
162.	—''—	—''—	—''—	716/2	2.030
163.	—''—	—''—	—''—	680/1	1.120
164.	—''—	—''—	—''—	1009/1	1.04
165.	—''—	—''—	—''—	732/1	0.890
166.	—''—	—''—	—''—	732/2	0.600
167.	—''—	—''—	—''—	791/1	0.290
168.	—''—	—''—	—''—	791/2	0.240
169.	—''—	—''—	—''—	798/2/ja	0.650
170.	—''—	—''—	—''—	812/1	0.010
171.	—''—	—''—	—''—	791/3	0.100
172.	—''—	—''—	—''—	791/4	0.040
173.	—''—	—''—	—''—	829	0.070
174.	—''—	—''—	—''—	830	5.890
175.	—''—	—''—	—''—	954	0.37
176.	—''—	—''—	—''—	810/2	0.610
177.	—''—	—''—	—''—	867	0.810
178.	—''—	—''—	—''—	873/2	2.100
179.	—''—	—''—	—''—	833	1.100
180.	—''—	—''—	—''—	1098/668	2.000
181.	—''—	—''—	—''—	678/2	1.420
182.	—''—	—''—	—''—	680/2	0.500
183.	—''—	—''—	—''—	681/2	0.040
184.	—''—	—''—	—''—	682/2	0.040

185.	—''—	—''—	—''—	687	0.130
186.	—''—	—''—	—''—	679	2.030
187.	—''—	—''—	—''—	1002	2.02
188.	—''—	—''—	—''—	1034/1	2.070
189.	—''—	—''—	—''—	1004/2/ga	0.32
190.	—''—	—''—	—''—	1036/2/ga	0.32
191.	—''—	—''—	—''—	946/4	0.55
192.	—''—	—''—	—''—	959/2	0.19
193.	—''—	—''—	—''—	972/3	0.46
194.	—''—	—''—	—''—	977/3	0.20
195.	—''—	—''—	—''—	961/3	0.03
196.	—''—	—''—	—''—	981/3	0.23
197.	—''—	—''—	—''—	805/4/ga	0.040
198.	—''—	—''—	—''—	896/3	0.070
199.	—''—	—''—	—''—	904/2	0.34
200.	—''—	—''—	—''—	909/1	0.23
201.	—''—	—''—	—''—	938	2.03
202.	—''—	—''—	—''—	1004/2/an g	0.30
203.	—''—	—''—	—''—	946/6	0.53
204.	—''—	—''—	—''—	972/5	0.48
205.	—''—	—''—	—''—	977/5	0.19
206.	—''—	—''—	—''—	981/5	0.20
207.	—''—	—''—	—''—	979	0.29
208.	—''—	—''—	—''—	982	1.43
209.	—''—	—''—	—''—	677/2	1.000
210.	—''—	—''—	—''—	680/3	0.400
211.	—''—	—''—	—''—	682/3	0.040
212.	—''—	—''—	—''—	676/2	0.600
213.	—''—	—''—	—''—	907	0.610
214.	—''—	—''—	—''—	1092/947	0.540
215.	—''—	—''—	—''—	895	0.220
216.	—''—	—''—	—''—	805/6/ka	0.400
217.	—''—	—''—	—''—	842/1	0.110
218.	—''—	—''—	—''—	873/1/g	0.440
219.	—''—	—''—	—''—	873/1/ch	0.010
220.	—''—	—''—	—''—	742	2.020
221.	—''—	—''—	—''—	805/4/gha	0.100
222.	—''—	—''—	—''—	785/3	2.000
223.	—''—	—''—	—''—	903	1.00
224.	—''—	—''—	—''—	908	0.150
225.	—''—	—''—	—''—	905	0.07
226.	—''—	—''—	—''—	943	0.09

227.	—''—	—''—	—''—	944	1.50
228.	—''—	—''—	—''—	805/5/ga	0.620
229.	—''—	—''—	—''—	678/1	0.490
230.	—''—	—''—	—''—	761/3	0.680
231.	—''—	—''—	—''—	805/5/ka	0.620
232.	—''—	—''—	—''—	916/1/kh	0.60
233.	—''—	—''—	—''—	930	2.02
234.	—''—	—''—	—''—	805/5/M+	0.010
235.	—''—	—''—	—''—	1037	2.02
236.	—''—	—''—	—''—	859/1/ka	0.400
237.	—''—	—''—	—''—	861/1	0.020
238.	—''—	—''—	—''—	675	2.020
239.	—''—	—''—	—''—	998/1	0.04
240.	—''—	—''—	—''—	1000/1	3.00
241.	—''—	—''—	—''—	744/1	0.670
242.	—''—	—''—	—''—	744/2	0.670
243.	—''—	—''—	—''—	744/3	0.680
244.	—''—	—''—	—''—	1091/688	1.250
245.	—''—	—''—	—''—	584	0.260
246.	—''—	—''—	—''—	756	2.020
247.	—''—	—''—	—''—	940	0.69
248.	—''—	—''—	—''—	949	1.34
249.	—''—	—''—	—''—	750	2.020
250.	—''—	—''—	—''—	684	0.360
251.	—''—	—''—	—''—	1007/2	0.50
252.	—''—	—''—	—''—	1006/2	0.070
253.	—''—	—''—	—''—	1010	1.170
254.	—''—	—''—	—''—	1011	0.600
255.	—''—	—''—	—''—	1012/2	0.700
256.	—''—	—''—	—''—	734	0.740
257.	—''—	—''—	—''—	777	2.020
258.	—''—	—''—	—''—	950	1.20
259.	—''—	—''—	—''—	957	0.15
260.	—''—	—''—	—''—	1004/1	0.42
261.	—''—	—''—	—''—	1033/3	2.00
262.	—''—	—''—	—''—	805/4/kh	0.040
263.	—''—	—''—	—''—	896/1	0.110
264.	—''—	—''—	—''—	904/3	0.360
265.	—''—	—''—	—''—	909/2	0.160
266.	—''—	—''—	—''—	962/3	0.50
267.	—''—	—''—	—''—	1033/4/ga	0.50
268.	—''—	—''—	—''—	676/1	1.420

269.	—''—	—''—	—''—	935	0.570
270.	—''—	—''—	—''—	1015	0.900
271.	—''—	—''—	—''—	994	0.900
272.	—''—	—''—	—''—	832/1/kh	0.300
273.	—''—	—''—	—''—	825/1/kh	0.500
274.	—''—	—''—	—''—	815	7.260
275.	—''—	—''—	—''—	770/2/kh	0.160
276.	—''—	—''—	—''—	774/2	0.900
277.	—''—	—''—	—''—	774/3	0.620
278.	—''—	—''—	—''—	775/2	0.370
279.	—''—	—''—	—''—	776/2	0.750
280.	—''—	—''—	—''—	776/3	0.400
281.	—''—	—''—	—''—	946/1	0.630
282.	—''—	—''—	—''—	974	0.170
283.	—''—	—''—	—''—	713/1/ka	0.290
284.	—''—	—''—	—''—	996	1.860
285.	—''—	—''—	—''—	997/4	0.140
286.	—''—	—''—	—''—	741	2.020
287.	—''—	—''—	—''—	689	0.630
288.	—''—	—''—	—''—	805/6/ga	0.400
289.	—''—	—''—	—''—	842/3	2.020
290.	—''—	—''—	—''—	873/1/	0.110
291.	—''—	—''—	—''—	812/2	0.400
292.	—''—	—''—	—''—	798/2/kh	0.440
293.	—''—	—''—	—''—	828	0.100
294.	—''—	—''—	—''—	963	0.770
295.	—''—	—''—	—''—	827	0.710
296.	—''—	—''—	—''—	841/1	0.880
297.	—''—	—''—	—''—	844/1	0.900
298.	—''—	—''—	—''—	845	0.040
299.	—''—	—''—	—''—	769/3	0.300
300.	—''—	—''—	—''—	763	1.200
301.	—''—	—''—	—''—	773/2	0.800
302.	—''—	—''—	—''—	772/2	0.600
303.	—''—	—''—	—''—	664	0.400
304.	—''—	—''—	—''—	801	2.020
305.	—''—	—''—	—''—	786/1	1.400
306.	—''—	—''—	—''—	962/4	0.530
307.	—''—	—''—	—''—	1033/4/gh	0.500
308.	—''—	—''—	—''—	804	2.020
309.	—''—	—''—	—''—	752	2.020
310.	—''—	—''—	—''—	1003	2.030

311.	—''—	—''—	—''—	970	5.490
312.	—''—	—''—	—''—	850/2	0.660
313.	—''—	—''—	—''—	871/2	0.070
314.	—''—	—''—	—''—	872/2	0.030
315.	—''—	—''—	—''—	796	2.020
316.	—''—	—''—	—''—	1035	2.020
317.	—''—	—''—	—''—	997/1	1.990
318.	—''—	—''—	—''—	859/2	1.160
319.	—''—	—''—	—''—	860/2	0.060
320.	—''—	—''—	—''—	805/2	2.000
321.	—''—	—''—	—''—	805/7	1.600
322.	—''—	—''—	—''—	992/2	0.400
323.	—''—	—''—	—''—	667	0.350
324.	—''—	—''—	—''—	841/3	0.870
325.	—''—	—''—	—''—	844/3	0.940
326.	—''—	—''—	—''—	768	2.020
327.	—''—	—''—	—''—	803	2.020
328.	—''—	—''—	—''—	729	2.020
329.	—''—	—''—	—''—	817/2	2.000
330.	—''—	—''—	—''—	681/1/ka	0.650
331.	—''—	—''—	—''—	681/1/kh	0.650
332.	—''—	—''—	—''—	681/1/ga	0.640
333.	—''—	—''—	—''—	1034/2	1.620
334.	—''—	—''—	—''—	834	0.050
335.	—''—	—''—	—''—	835	2.030
336.	—''—	—''—	—''—	807	0.580
337.	—''—	—''—	—''—	808	1.110
338.	—''—	—''—	—''—	967	2.030
339.	—''—	—''—	—''—	983/1	0.400
340.	—''—	—''—	—''—	997/3	2.000
341.	—''—	—''—	—''—	839/1	2.000
342.	—''—	—''—	—''—	852	0.040
343.	—''—	—''—	—''—	854	0.050
344.	—''—	—''—	—''—	848	0.470
345.	—''—	—''—	—''—	839/2	0.200
346.	—''—	—''—	—''—	849	0.690
347.	—''—	—''—	—''—	851	1.360
348.	—''—	—''—	—''—	862/2	1.170
349.	—''—	—''—	—''—	862/3	0.480
350.	—''—	—''—	—''—	855	0.110
351.	—''—	—''—	—''—	839/3	0.200
352.	—''—	—''—	—''—	868	0.120

353.	---	---	---	858	1.350
354.	---	---	---	839/4	0.200
355.	---	---	---	862/1	1.000
356.	---	---	---	751	0.020
357.	---	---	---	962/1	0.500
358.	---	---	---	1033/4/ka	0.500
359.	---	---	---	1008	2.030
360.	---	---	---	918	0.930
361.	---	---	---	876/2	0.330
362.	---	---	---	682/1	0.690
363.	---	---	---	760	2.020
364.	---	---	---	1036/1	0.420
365.	---	---	---	688	0.380
366.	---	---	---	743/2	2.000
367.	---	---	---	660	0.960
368.	---	---	---	802	2.020
369.	---	---	---	786/2/ka	0.690
370.	---	---	---	727/4	0.670
371.	---	---	---	683	0.250
372.	---	---	---	669/2	0.650
373.	---	---	---	670	1.350
374.	---	---	---	859/1/kh	0.400
375.	---	---	---	861/2	0.020
376.	---	---	---	892/5	0.120
377.	---	---	---	876/1	0.340
378.	---	---	---	891	0.100
379.	---	---	---	893	0.600
380.	---	---	---	1049	1.800
381.	---	---	---	1050	0.030
382.	---	---	---	1057	0.220
383.	---	---	---	1056	0.040
384.	---	---	---	1046	1.100
385.	---	---	---	1048	0.090
386.	---	---	---	966	2.100
387.	---	---	---	824	0.250
388.	---	---	---	1007/1	0.500
389.	---	---	---	965	2.500
390.	---	---	---	870/2	0.260
391.	---	---	---	662/1	0.490
392.	---	---	---	859/1/ga	0.400
393.	---	---	---	861/3	0.200
394.	---	---	---	769/2	1.000

395.	—''—	—''—	—''—	770/2/ka	0.440
396.	—''—	—''—	—''—	771/3	0.670
397.	—''—	—''—	—''—	995	1.150
398.	—''—	—''—	—''—	1001	0.700
399.	—''—	—''—	—''—	785/2	2.000
400.	—''—	—''—	—''—	805/5/kh	0.620
401.	—''—	—''—	—''—	805/16	1.500
402.	—''—	—''—	—''—	1005/2	0.980
403.	—''—	—''—	—''—	1006/1	1.550
404.	—''—	—''—	—''—	1007/1	0.500
405.	—''—	—''—	—''—	945	1.500
406.	—''—	—''—	—''—	666	2.020
407.	—''—	—''—	—''—	753/1	0.820
408.	—''—	—''—	—''—	902/2	0.740
409.	—''—	—''—	—''—	941/2	0.670
410.	—''—	—''—	—''—	984/4	2.000
411.	—''—	—''—	—''—	985	1.820
412.	—''—	—''—	—''—	987	0.150
413.	—''—	—''—	—''—	989	0.810
414.	—''—	—''—	—''—	929	2.020
415.	—''—	—''—	—''—	836	2.250
416.	—''—	—''—	—''—	79/2/ga	0.200
417.	—''—	—''—	—''—	816	0.300
418.	—''—	—''—	—''—	733/1	1.010
419.	—''—	—''—	—''—	733/2	1.010
420.	—''—	—''—	—''—	731	2.020
421.	—''—	—''—	—''—	1036/2/gh a	0.320
422.	—''—	—''—	—''—	1036/2/M +	0.320
423.	—''—	—''—	—''—	581	3.870
424.	—''—	—''—	—''—	582	3.040
425.	—''—	—''—	—''—	583	4.580
426.	—''—	—''—	—''—	587	3.450
427.	—''—	—''—	—''—	661	0.200
428.	—''—	—''—	—''—	663	0.070
429.	—''—	—''—	—''—	668	1.520
430.	—''—	—''—	—''—	669/1	0.420
431.	—''—	—''—	—''—	671	0.270
432.	—''—	—''—	—''—	716/1	0.050
433.	—''—	—''—	—''—	717	0.520
434.	—''—	—''—	—''—	746	8.500
435.	—''—	—''—	—''—	747	0.300

436.	---	---	---	748	1.950
437.	---	---	---	749	2.020
438.	---	---	---	758	2.020
439.	---	---	---	759	2.020
440.	---	Hanumatpu r	---	4	0.05
441.	---	---	---	5	0.11
442.	---	---	---	6	0.42
443.	---	---	---	7	0.14
444.	---	---	---	8	0.23
445.	---	---	---	9	0.17
446.	---	---	---	10	0.12
447.	---	---	---	11	0.14
448.	---	---	---	12	0.41
449.	---	---	---	14	0.61
450.	---	---	---	15	0.26
451.	---	---	---	16	0.12
452.	---	---	---	17	0.19
453.	---	---	---	18	0.11
454.	---	---	---	19	0.5
455.	---	---	---	20	0.17
456.	---	---	---	21	0.13
457.	---	---	---	22	0.18
458.	---	---	---	23	0.24
459.	---	---	---	24	0.48
460.	---	---	---	25	0.14
461.	---	---	---	26	0.12
462.	---	---	---	27	0.7
463.	---	---	---	28	0.11
464.	---	---	---	29	0.16
465.	---	---	---	30	0.06
466.	---	---	---	31	0.16
467.	---	---	---	32	0.26
468.	---	---	---	33	0.49
469.	---	---	---	34	0.17
470.	---	---	---	36	0.16
471.	---	---	---	37	0.13
472.	---	---	---	38	0.15
473.	---	---	---	39	0.26
474.	---	---	---	40	0.16
475.	---	---	---	41	0.11
476.	---	---	---	42	0.47
477.	---	---	---	43	0.25

478.	—''—	—''—	—''—	44	0.24
479.	—''—	—''—	—''—	45	0.14
480.	—''—	—''—	—''—	46	0.09
481.	—''—	—''—	—''—	47	0.17
482.	—''—	—''—	—''—	48	0.2
483.	—''—	—''—	—''—	49	0.18
484.	—''—	—''—	—''—	50	0.21
485.	—''—	—''—	—''—	51	0.22
486.	—''—	—''—	—''—	52	0.23
487.	—''—	—''—	—''—	53	0.12
488.	—''—	—''—	—''—	54	0.14
489.	—''—	—''—	—''—	55	0.18
490.	—''—	—''—	—''—	56	0.31
491.	—''—	—''—	—''—	57	0.12
492.	—''—	—''—	—''—	58	0.18
493.	—''—	—''—	—''—	59	0.82
494.	—''—	—''—	—''—	60	0.24
495.	—''—	—''—	—''—	61	0.37
496.	—''—	—''—	—''—	62	0.16
497.	—''—	—''—	—''—	63	0.15
498.	—''—	—''—	—''—	64	0.11
499.	—''—	—''—	—''—	65	0.03
500.	—''—	—''—	—''—	66	0.03
501.	—''—	—''—	—''—	67	0.01
502.	—''—	—''—	—''—	68	0.13
503.	—''—	—''—	—''—	69	0.18
504.	—''—	—''—	—''—	70	1.35
505.	—''—	—''—	—''—	73	0.06
506.	—''—	—''—	—''—	94	0.11
507.	—''—	—''—	—''—	95	0.03
508.	—''—	—''—	—''—	96	0.3
509.	—''—	—''—	—''—	97	0.3
510.	—''—	—''—	—''—	98	0.08
511.	—''—	—''—	—''—	99	0.13
512.	—''—	—''—	—''—	100	0.12
513.	—''—	—''—	—''—	101	0.2
514.	—''—	—''—	—''—	102	0.4
515.	—''—	—''—	—''—	104	0.21
516.	—''—	—''—	—''—	117	0.07
517.	—''—	—''—	—''—	118	0.19
518.	—''—	—''—	—''—	129	0.05
519.	—''—	—''—	—''—	130	0.35

520.	—''—	—''—	—''—	131	0.63
521.	—''—	—''—	—''—	132	0.49
522.	—''—	—''—	—''—	133	0.05
523.	—''—	—''—	—''—	134	0.08
524.	—''—	—''—	—''—	135	0.04
525.	—''—	—''—	—''—	136	0.56
526.	—''—	—''—	—''—	137	0.12
527.	—''—	—''—	—''—	138	0.08
528.	—''—	—''—	—''—	139	0.09
529.	—''—	—''—	—''—	140	0.07
530.	—''—	—''—	—''—	141	0.2
531.	—''—	—''—	—''—	144	0.92
532.	—''—	—''—	—''—	146	0.44
533.	—''—	—''—	—''—	148	0.35
534.	—''—	—''—	—''—	149	0.39
535.	—''—	—''—	—''—	150	0.15
536.	—''—	—''—	—''—	151/1	0.12
537.	—''—	—''—	—''—	151/2	0.01
538.	—''—	—''—	—''—	151/3	0.01
539.	—''—	—''—	—''—	152	0.1
540.	—''—	—''—	—''—	153	0.17
541.	—''—	—''—	—''—	154	0.13
542.	—''—	—''—	—''—	155	0.2
543.	—''—	—''—	—''—	156	0.33
544.	—''—	—''—	—''—	157	0.42
545.	—''—	—''—	—''—	158	.01
546.	—''—	—''—	—''—	160	0.07
547.	—''—	—''—	—''—	161	0.33
548.	—''—	—''—	—''—	164	0.48
549.	—''—	—''—	—''—	165	0.08
550.	—''—	—''—	—''—	166	0.1
551.	—''—	—''—	—''—	246	0.5
552.	—''—	—''—	—''—	251	0.12
553.	—''—	—''—	—''—	252	0.46
554.	—''—	—''—	—''—	254	1.6
555.	—''—	—''—	—''—	255	0.46
556.	—''—	—''—	—''—	256	0.55
557.	—''—	—''—	—''—	257	0.23
558.	—''—	—''—	—''—	258	0.08
559.	—''—	—''—	—''—	259	0.18
560.	—''—	—''—	—''—	260	0.32
561.	—''—	—''—	—''—	261	0.14

562.	—''—	—''—	—''—	262	0.25
563.	—''—	—''—	—''—	263	0.14
564.	—''—	—''—	—''—	264	0.09
565.	—''—	—''—	—''—	265	0.48
566.	—''—	—''—	—''—	266	0.24
567.	—''—	—''—	—''—	267	0.3
568.	—''—	—''—	—''—	268	0.13
569.	—''—	—''—	—''—	269	0.17
570.	—''—	—''—	—''—	270	0.2
571.	—''—	—''—	—''—	272	0.43
572.	—''—	—''—	—''—	273	0.22
573.	—''—	—''—	—''—	274	0.08
574.	—''—	—''—	—''—	275	0.09
575.	—''—	—''—	—''—	276	0.3
576.	—''—	—''—	—''—	277	0.21
577.	—''—	—''—	—''—	278	0.26
578.	—''—	—''—	—''—	279	0.3
579.	—''—	—''—	—''—	280	0.1
580.	—''—	—''—	—''—	281	0.14
581.	—''—	—''—	—''—	282	0.17
582.	—''—	—''—	—''—	283	0.16
583.	—''—	—''—	—''—	284	0.26
584.	—''—	—''—	—''—	285	0.25
585.	—''—	—''—	—''—	286	0.41
586.	—''—	—''—	—''—	287	0.31
587.	—''—	—''—	—''—	288	0.13
588.	—''—	—''—	—''—	289	0.31
589.	—''—	—''—	—''—	290	0.14
590.	—''—	—''—	—''—	291	0.22
591.	—''—	—''—	—''—	292	0.05
592.	—''—	—''—	—''—	293	0.02
593.	—''—	—''—	—''—	294	0.23
594.	—''—	—''—	—''—	295	0.13
595.	—''—	—''—	—''—	296	0.04
596.	—''—	—''—	—''—	297	0.15
597.	—''—	—''—	—''—	298	0.05
598.	—''—	—''—	—''—	299	0.33
599.	—''—	—''—	—''—	300	0.1
600.	—''—	—''—	—''—	301	0.04
601.	—''—	—''—	—''—	303	0.04
602.	—''—	—''—	—''—	304	0.17
603.	—''—	—''—	—''—	305	0.37

604.	—''—	—''—	—''—	307/1	0.65
605.	—''—	—''—	—''—	307/2	0.44
606.	—''—	—''—	—''—	309	0.1
607.	—''—	—''—	—''—	310	0.81
608.	—''—	—''—	—''—	311	0.22
609.	—''—	—''—	—''—	312	0.12
610.	—''—	—''—	—''—	313	0.12
611.	—''—	—''—	—''—	314	0.16
612.	—''—	—''—	—''—	315	0.24
613.	—''—	—''—	—''—	316	0.19
614.	—''—	—''—	—''—	317	0.28
615.	—''—	—''—	—''—	318	0.17
616.	—''—	—''—	—''—	319	0.18
617.	—''—	—''—	—''—	320	0.18
618.	—''—	—''—	—''—	321	0.06
619.	—''—	—''—	—''—	325	0.17
620.	—''—	—''—	—''—	327	0.18
621.	—''—	—''—	—''—	328	0.13
622.	—''—	—''—	—''—	329	0.25
623.	—''—	—''—	—''—	330	0.13
624.	—''—	—''—	—''—	331	0.93
625.	—''—	—''—	—''—	333	0.04
626.	—''—	—''—	—''—	334	1.17
627.	—''—	—''—	—''—	335	0.06
628.	—''—	—''—	—''—	336	0.35
629.	—''—	—''—	—''—	337	0.4
630.	—''—	—''—	—''—	338	0.73
631.	—''—	—''—	—''—	341	0.3
632.	—''—	—''—	—''—	342	0.54
633.	—''—	—''—	—''—	343	0.34
634.	—''—	—''—	—''—	344	0.15
635.	—''—	—''—	—''—	346	1.37
636.	—''—	—''—	—''—	347	0.3
637.	—''—	—''—	—''—	349	0.68
638.	—''—	—''—	—''—	351	1.4
639.	—''—	—''—	—''—	354	0.25
640.	—''—	—''—	—''—	356/1	0.6
641.	—''—	—''—	—''—	356/2	0.67
642.	—''—	—''—	—''—	357	1.07
643.	—''—	—''—	—''—	358	0.19
644.	—''—	—''—	—''—	359	0.25
645.	—''—	—''—	—''—	360	0.16

646.	—''—	—''—	—''—	361	0.2
647.	—''—	—''—	—''—	362	0.42
648.	—''—	—''—	—''—	363/1	0.03
649.	—''—	—''—	—''—	363/2	0.3
650.	—''—	—''—	—''—	364	0.29
651.	—''—	—''—	—''—	365	0.48
652.	—''—	—''—	—''—	377	0.7
653.	—''—	—''—	—''—	378	0.56
654.	—''—	—''—	—''—	391	0.25
655.	—''—	—''—	—''—	392	0.75
656.	—''—	—''—	—''—	394	0.13
657.	—''—	—''—	—''—	396	0.21
658.	—''—	—''—	—''—	396	0.16
659.	—''—	—''—	—''—	397	0.56
660.	—''—	—''—	—''—	598	0.14
661.	—''—	—''—	—''—	399	0.25
662.	—''—	—''—	—''—	400	0.065
663.	—''—	—''—	—''—	401	0.14
664.	—''—	—''—	—''—	402	0.19
665.	—''—	—''—	—''—	403/1	0.24
666.	—''—	—''—	—''—	403/2	0.08
667.	—''—	—''—	—''—	404	0.14
668.	—''—	—''—	—''—	405	0.16
669.	—''—	—''—	—''—	406/1	0.22
670.	—''—	—''—	—''—	406/2	0.08
671.	—''—	—''—	—''—	407	0.15
672.	—''—	—''—	—''—	408	0.22
673.	—''—	—''—	—''—	409	0.1
674.	—''—	—''—	—''—	410	0.18
675.	—''—	—''—	—''—	411	0.22
676.	—''—	—''—	—''—	412	0.21
677.	—''—	—''—	—''—	413	0.35
678.	—''—	—''—	—''—	414	0.19
679.	—''—	—''—	—''—	415	0.14
680.	—''—	—''—	—''—	416	0.06
681.	—''—	—''—	—''—	417	0.05
682.	—''—	—''—	—''—	419	0.06
683.	—''—	—''—	—''—	423	0.05
684.	—''—	—''—	—''—	424	0.1
685.	—''—	—''—	—''—	425	0.27
686.	—''—	—''—	—''—	426	0.25
687.	—''—	—''—	—''—	427	0.68

688.	—''—	—''—	—''—	428	0.13
689.	—''—	—''—	—''—	429	0.06
690.	—''—	—''—	—''—	430	0.07
691.	—''—	—''—	—''—	431	0.24
692.	—''—	—''—	—''—	432	0.25
693.	—''—	—''—	—''—	433	0.04
694.	—''—	—''—	—''—	461	0.09
695.	—''—	—''—	—''—	846	0.05
696.	—''—	—''—	—''—	847	0.04
697.	—''—	—''—	—''—	851	0.08
698.	—''—	—''—	—''—	852	0.04
699.	—''—	—''—	—''—	854	0.22
700.	—''—	—''—	—''—	856	0.12
701.	—''—	—''—	—''—	857	0.04
702.	—''—	—''—	—''—	859	0.26
703.	—''—	—''—	—''—	860	0.12
704.	—''—	—''—	—''—	871	0.09
705.	—''—	—''—	—''—	872	0.12
706.	—''—	—''—	—''—	873	0.11
707.	—''—	—''—	—''—	874	0.05
708.	—''—	—''—	—''—	875	0.16
709.	—''—	—''—	—''—	876	0.28
710.	—''—	—''—	—''—	988	0.12
711.	—''—	—''—	—''—	993	0.17
712.	—''—	—''—	—''—	995	0.28
713.	—''—	—''—	—''—	1015	0.16
714.	—''—	—''—	—''—	1016	0.23
715.	—''—	—''—	—''—	1019	0.14
716.	—''—	—''—	—''—	1020	0.19
717.	—''—	—''—	—''—	1021	0.65
718.	—''—	—''—	—''—	1022	0.4
719.	—''—	—''—	—''—	1023	0.23
720.	—''—	—''—	—''—	1024	0.51
721.	—''—	—''—	—''—	1026	0.36
722.	—''—	—''—	—''—	1027	0.18
723.	—''—	—''—	—''—	1029	0.04
724.	—''—	—''—	—''—	1039	0.27
725.	—''—	—''—	—''—	1040	0.12
726.	—''—	—''—	—''—	1041	0.14
727.	—''—	—''—	—''—	1042	0.5
728.	—''—	—''—	—''—	1043/1	0.37
729.	—''—	—''—	—''—	1043/2	0.37

730.	—''—	—''—	—''—	1045	1.22
731.	—''—	—''—	—''—	1046	0.5
732.	—''—	—''—	—''—	1056	0.22
733.	—''—	—''—	—''—	1057	0.15
734.	—''—	—''—	—''—	1058	2.19
735.	—''—	—''—	—''—	1059	0.38
736.	—''—	—''—	—''—	1060	0.16
737.	—''—	—''—	—''—	1062	0.03
738.	—''—	—''—	—''—	1063	0.22
739.	—''—	—''—	—''—	1064	0.14
740.	—''—	—''—	—''—	1065	0.18
741.	—''—	—''—	—''—	1066	0.16
742.	—''—	—''—	—''—	1067	0.2
743.	—''—	—''—	—''—	1068	0.15
744.	—''—	—''—	—''—	1069	0.03
745.	—''—	—''—	—''—	1070	0.1
746.	—''—	—''—	—''—	1441/16	0.22
747.	—''—	—''—	—''—	1442/239	0.68
748.	—''—	—''—	—''—	1448/119	1.57
749.	—''—	—''—	—''—	1	0.1
750.	—''—	—''—	—''—	2	0.17
751.	—''—	—''—	—''—	35	0.19
752.	—''—	—''—	—''—	89	0.3
753.	—''—	—''—	—''—	114	2.4
754.	—''—	—''—	—''—	142	0.94
755.	—''—	—''—	—''—	143	0.73
756.	—''—	—''—	—''—	147	0.27
757.	—''—	—''—	—''—	193	0.61
758.	—''—	—''—	—''—	194	5.49
759.	—''—	—''—	—''—	195	0.41
760.	—''—	—''—	—''—	196/1	1.89
761.	—''—	—''—	—''—	253	0.65
762.	—''—	—''—	—''—	302	0.03
763.	—''—	Kuwarpur	—''—	15	0.22
764.	—''—	—''—	—''—	16	0.87
765.	—''—	—''—	—''—	17	0.72
766.	—''—	—''—	—''—	18	1.06
767.	—''—	—''—	—''—	19	0.65
768.	—''—	—''—	—''—	20	0.70
769.	—''—	—''—	—''—	21/1	0.60
770.	—''—	—''—	—''—	21/2	0.40
771.	—''—	—''—	—''—	22	1.29

772.	—''—	—''—	—''—	29	0.54
773.	—''—	—''—	—''—	34	1.06
774.	—''—	—''—	—''—	35/1	1.00
775.	—''—	—''—	—''—	36/1	1.00
776.	—''—	—''—	—''—	37	1.21
777.	—''—	—''—	—''—	39/1	0.30
778.	—''—	—''—	—''—	39/2	0.41
779.	—''—	—''—	—''—	39/3	0.41
780.	—''—	—''—	—''—	39/4	0.41
781.	—''—	—''—	—''—	39/5	0.41
782.	—''—	—''—	—''—	41/1	2.00
783.	—''—	—''—	—''—	42	0.64
784.	—''—	—''—	—''—	43	1.13
785.	—''—	—''—	—''—	44	1.61
786.	—''—	—''—	—''—	45	1.14
787.	—''—	—''—	—''—	46	0.64
788.	—''—	—''—	—''—	47/2	2.00
789.	—''—	—''—	—''—	49/1	0.16
790.	—''—	—''—	—''—	49/2	0.17
791.	—''—	—''—	—''—	50/1	0.16
792.	—''—	—''—	—''—	50/2	0.16
793.	—''—	—''—	—''—	51/2	1.13
794.	—''—	—''—	—''—	52/1	0.16
795.	—''—	—''—	—''—	52/2	0.16
796.	—''—	—''—	—''—	53	0.97
797.	—''—	—''—	—''—	54	0.50
798.	—''—	—''—	—''—	55	0.56
799.	—''—	—''—	—''—	57	0.41
800.	—''—	—''—	—''—	58	0.97
801.	—''—	—''—	—''—	59	0.97
802.	—''—	—''—	—''—	63	0.80
803.	—''—	—''—	—''—	64/2	1.91
804.	—''—	—''—	—''—	64/3	0.55
805.	—''—	—''—	—''—	65	1.00
806.	—''—	—''—	—''—	67	0.49
807.	—''—	—''—	—''—	68	0.97
808.	—''—	—''—	—''—	70	0.53
809.	—''—	—''—	—''—	71/2	0.55
810.	—''—	—''—	—''—	73	1.00
811.	—''—	—''—	—''—	74	0.49
812.	—''—	—''—	—''—	76	0.97
813.	—''—	—''—	—''—	77	0.18

814.	---	---	---	78/1	0.10
815.	---	---	---	78/2	0.39
816.	---	---	---	78/3	0.39
817.	---	---	---	78/4	0.39
818.	---	---	---	81	1.29
819.	---	---	---	82	0.80
820.	---	---	---	83/1	0.20
821.	---	---	---	83/2	0.60
822.	---	---	---	87	0.73
823.	---	---	---	91	1.03
824.	---	---	---	93	0.92
825.	---	---	---	94	1.39
826.	---	---	---	95/1 d	0.13
827.	---	---	---	95/1 [k	0.14
828.	---	---	---	95/2	0.80
829.	---	---	---	98	1.97
830.	---	---	---	99	0.66
831.	---	---	---	100	0.90
832.	---	---	---	101	0.45
833.	---	---	---	102	0.42
834.	---	---	---	103	0.74
835.	---	---	---	104	0.11
836.	---	---	---	105	0.17
837.	---	---	---	106	0.12
838.	---	---	---	107	0.12
839.	---	---	---	108	0.38
840.	---	---	---	109	0.41
841.	---	---	---	110	0.43
842.	---	---	---	111/1	0.90
843.	---	---	---	111/2	0.90
844.	---	---	---	112	0.79
845.	---	---	---	113	0.68
846.	---	---	---	114	0.41
847.	---	---	---	116	0.17
848.	---	---	---	117	0.17
849.	---	---	---	119	0.33
850.	---	---	---	120	0.33
851.	---	---	---	121	0.23
852.	---	---	---	123	0.46
853.	---	---	---	126	0.46
854.	---	---	---	129/1	0.44
855.	---	---	---	129/2	0.45

856.	—''—	—''—	—''—	130/1	0.23
857.	—''—	—''—	—''—	130/2	0.24
858.	—''—	—''—	—''—	132/1	0.19
859.	—''—	—''—	—''—	132/2	0.20
860.	—''—	—''—	—''—	139	0.55
861.	—''—	—''—	—''—	141	1.79
862.	—''—	—''—	—''—	142	0.97
863.	—''—	—''—	—''—	143	0.25
864.	—''—	—''—	—''—	144	0.83
865.	—''—	—''—	—''—	145	0.97
866.	—''—	—''—	—''—	146	0.50
867.	—''—	—''—	—''—	147	0.89
868.	—''—	—''—	—''—	148/2	1.50
869.	—''—	—''—	—''—	149	0.43
870.	—''—	—''—	—''—	151	1.41
871.	—''—	—''—	—''—	152	1.49
872.	—''—	—''—	—''—	153	0.71
873.	—''—	—''—	—''—	154	0.94
874.	—''—	—''—	—''—	155	0.53
875.	—''—	—''—	—''—	156	1.63
876.	—''—	—''—	—''—	158	1.07
877.	—''—	—''—	—''—	159	1.07
878.	—''—	—''—	—''—	160	1.00
879.	—''—	—''—	—''—	161	1.14
880.	—''—	—''—	—''—	162	0.80
881.	—''—	—''—	—''—	163	2.04
882.	—''—	—''—	—''—	164	0.58
883.	—''—	—''—	—''—	165	0.54
884.	—''—	—''—	—''—	166	1.52
885.	—''—	—''—	—''—	169	0.14
886.	—''—	—''—	—''—	170	0.03
887.	—''—	—''—	—''—	173	0.85
888.	—''—	—''—	—''—	174	1.51
889.	—''—	—''—	—''—	175	1.51
890.	—''—	—''—	—''—	176	2.11
891.	—''—	—''—	—''—	177	0.34
892.	—''—	—''—	—''—	178	0.25
893.	—''—	—''—	—''—	179	0.03
894.	—''—	—''—	—''—	180/1	2.14
895.	—''—	—''—	—''—	180/2	0.18
896.	—''—	—''—	—''—	182	0.82
897.	—''—	—''—	—''—	184	0.20

898.	—''—	—''—	—''—	186	1.29
899.	—''—	—''—	—''—	187	0.97
900.	—''—	—''—	—''—	188	0.13
901.	—''—	—''—	—''—	189	0.09
902.	—''—	—''—	—''—	190	0.25
903.	—''—	—''—	—''—	191	1.00
904.	—''—	—''—	—''—	192	0.25
905.	—''—	—''—	—''—	194	0.72
906.	—''—	—''—	—''—	195	0.49
907.	—''—	—''—	—''—	197	2.07
908.	—''—	—''—	—''—	198	0.54
909.	—''—	—''—	—''—	199	0.21
910.	—''—	—''—	—''—	200/2	2.00
911.	—''—	—''—	—''—	201	0.50
912.	—''—	—''—	—''—	203	0.97
913.	—''—	—''—	—''—	204	1.37
914.	—''—	—''—	—''—	206	0.11
915.	—''—	—''—	—''—	207	1.62
916.	—''—	—''—	—''—	208	0.96
917.	—''—	—''—	—''—	209	1.25
918.	—''—	—''—	—''—	210	0.48
919.	—''—	—''—	—''—	211	0.42
920.	—''—	—''—	—''—	212	0.79
921.	—''—	—''—	—''—	213	0.39
922.	—''—	—''—	—''—	214	1.64
923.	—''—	—''—	—''—	216	2.02
924.	—''—	—''—	—''—	216/2	2.00
925.	—''—	—''—	—''—	219	0.54
926.	—''—	—''—	—''—	220	1.07
927.	—''—	—''—	—''—	221	0.97
928.	—''—	—''—	—''—	223	0.25
929.	—''—	—''—	—''—	225	1.26
930.	—''—	—''—	—''—	226	1.29
931.	—''—	—''—	—''—	227	0.46
932.	—''—	—''—	—''—	228	0.25
933.	—''—	—''—	—''—	229	0.51
934.	—''—	—''—	—''—	230	0.48
935.	—''—	—''—	—''—	231	0.48
936.	—''—	—''—	—''—	232	0.32
937.	—''—	—''—	—''—	233	0.67
938.	—''—	—''—	—''—	234	0.56
939.	—''—	—''—	—''—	235	0.96

940.	—''—	—''—	—''—	236	0.65
941.	—''—	—''—	—''—	238	1.32
942.	—''—	—''—	—''—	239	0.40
943.	—''—	—''—	—''—	240	0.31
944.	—''—	—''—	—''—	241	1.47
945.	—''—	—''—	—''—	242/1	0.72
946.	—''—	—''—	—''—	242/2	0.36
947.	—''—	—''—	—''—	243/1	0.78
948.	—''—	—''—	—''—	243/2	0.40
949.	—''—	—''—	—''—	244/1	0.60
950.	—''—	—''—	—''—	244/2	0.61
951.	—''—	—''—	—''—	246	0.47
952.	—''—	—''—	—''—	249/1	0.32
953.	—''—	—''—	—''—	249/2	0.32
954.	—''—	—''—	—''—	249/3	0.33
955.	—''—	—''—	—''—	249/4	0.33
956.	—''—	—''—	—''—	254	0.66
957.	—''—	—''—	—''—	257	1.33
958.	—''—	—''—	—''—	258	0.18
959.	—''—	—''—	—''—	259	0.02
960.	—''—	—''—	—''—	260	0.30
961.	—''—	—''—	—''—	261	0.54
962.	—''—	—''—	—''—	262	0.21
963.	—''—	—''—	—''—	263	0.18
964.	—''—	—''—	—''—	264	0.15
965.	—''—	—''—	—''—	265	0.21
966.	—''—	—''—	—''—	266	0.31
967.	—''—	—''—	—''—	267	0.26
968.	—''—	—''—	—''—	268	0.68
969.	—''—	—''—	—''—	269	0.50
970.	—''—	—''—	—''—	270	0.25
971.	—''—	—''—	—''—	271	0.22
972.	—''—	—''—	—''—	272	0.18
973.	—''—	—''—	—''—	273	0.17
974.	—''—	—''—	—''—	274	0.66
975.	—''—	—''—	—''—	275	0.45
976.	—''—	—''—	—''—	276	0.06
977.	—''—	—''—	—''—	277	0.71
978.	—''—	—''—	—''—	278	0.70
979.	—''—	—''—	—''—	279	0.27
980.	—''—	—''—	—''—	280	0.78
981.	—''—	—''—	—''—	281	0.74

982.	—''—	—''—	—''—	283	0.33
983.	—''—	—''—	—''—	284	0.30
984.	—''—	—''—	—''—	285	0.17
985.	—''—	—''—	—''—	286	0.18
986.	—''—	—''—	—''—	287	0.09
987.	—''—	—''—	—''—	268	0.12
988.	—''—	—''—	—''—	289	0.22
989.	—''—	—''—	—''—	290	0.33
990.	—''—	—''—	—''—	292	1.27
991.	—''—	—''—	—''—	293	0.19
992.	—''—	—''—	—''—	294	0.16
993.	—''—	—''—	—''—	295	0.18
994.	—''—	—''—	—''—	298	0.08
995.	—''—	—''—	—''—	300	0.21
996.	—''—	—''—	—''—	301	0.33
997.	—''—	—''—	—''—	302	0.17
998.	—''—	—''—	—''—	303	0.17
999.	—''—	—''—	—''—	304	0.17
1000.	—''—	—''—	—''—	305	0.01
1001.	—''—	—''—	—''—	306	0.24
1002.	—''—	—''—	—''—	307	0.24
1003.	—''—	—''—	—''—	308	0.21
1004.	—''—	—''—	—''—	309	0.15
1005.	—''—	—''—	—''—	310	0.13
1006.	—''—	—''—	—''—	311	0.16
1007.	—''—	—''—	—''—	312	0.20
1008.	—''—	—''—	—''—	313	0.22
1009.	—''—	—''—	—''—	314	0.13
1010.	—''—	—''—	—''—	315	0.11
1011.	—''—	—''—	—''—	316	0.10
1012.	—''—	—''—	—''—	317	0.10
1013.	—''—	—''—	—''—	318	0.10
1014.	—''—	—''—	—''—	319	0.14
1015.	—''—	—''—	—''—	320	0.13
1016.	—''—	—''—	—''—	321	0.18
1017.	—''—	—''—	—''—	322	0.04
1018.	—''—	—''—	—''—	323	0.06
1019.	—''—	—''—	—''—	324	0.15
1020.	—''—	—''—	—''—	325	0.15
1021.	—''—	—''—	—''—	326	0.17
1022.	—''—	—''—	—''—	327	0.18
1023.	—''—	—''—	—''—	328	0.22

1024.	—''—	—''—	—''—	329	0.13
1025.	—''—	—''—	—''—	330	0.20
1026.	—''—	—''—	—''—	331	0.16
1027.	—''—	—''—	—''—	332	0.31
1028.	—''—	—''—	—''—	334/1	0.32
1029.	—''—	—''—	—''—	334/2	0.03
1030.	—''—	—''—	—''—	334/3	0.12
1031.	—''—	—''—	—''—	335	0.17
1032.	—''—	—''—	—''—	336/1	0.03
1033.	—''—	—''—	—''—	336/2	0.16
1034.	—''—	—''—	—''—	337	0.23
1035.	—''—	—''—	—''—	338	0.05
1036.	—''—	—''—	—''—	339	0.20
1037.	—''—	—''—	—''—	340	0.33
1038.	—''—	—''—	—''—	341	0.32
1039.	—''—	—''—	—''—	342	1.87
1040.	—''—	—''—	—''—	343	0.19
1041.	—''—	—''—	—''—	344/1	0.12
1042.	—''—	—''—	—''—	344/2	0.11
1043.	—''—	—''—	—''—	345	0.31
1044.	—''—	—''—	—''—	346	0.42
1045.	—''—	—''—	—''—	347	0.15
1046.	—''—	—''—	—''—	348	0.21
1047.	—''—	—''—	—''—	349	0.17
1048.	—''—	—''—	—''—	350	0.30
1049.	—''—	—''—	—''—	351	0.39
1050.	—''—	—''—	—''—	352	0.42
1051.	—''—	—''—	—''—	353	0.41
1052.	—''—	—''—	—''—	354	0.18
1053.	—''—	—''—	—''—	355	0.04
1054.	—''—	—''—	—''—	356/1	0.60
1055.	—''—	—''—	—''—	356/2	0.36
1056.	—''—	—''—	—''—	357	0.14
1057.	—''—	—''—	—''—	358	0.25
1058.	—''—	—''—	—''—	359	0.26
1059.	—''—	—''—	—''—	360/1	0.68
1060.	—''—	—''—	—''—	360/2	0.24
1061.	—''—	—''—	—''—	361	0.26
1062.	—''—	—''—	—''—	363	0.50
1063.	—''—	—''—	—''—	364	0.47
1064.	—''—	—''—	—''—	366	0.53
1065.	—''—	—''—	—''—	367	1.69

1066.	—''—	—''—	—''—	368	0.79
1067.	—''—	—''—	—''—	369	0.48
1068.	—''—	—''—	—''—	370	0.95
1069.	—''—	—''—	—''—	371	1.59
1070.	—''—	—''—	—''—	372	0.35
1071.	—''—	—''—	—''—	373	0.63
1072.	—''—	—''—	—''—	374	0.95
1073.	—''—	—''—	—''—	375	1.38
1074.	—''—	—''—	—''—	376	0.59
1075.	—''—	—''—	—''—	377	0.48
1076.	—''—	—''—	—''—	378	0.02
1077.	—''—	—''—	—''—	379	3.05
1078.	—''—	—''—	—''—	380	0.66
1079.	—''—	—''—	—''—	381	0.71
1080.	—''—	—''—	—''—	382	1.08
1081.	—''—	—''—	—''—	384	0.76
1082.	—''—	—''—	—''—	385	0.61
1083.	—''—	—''—	—''—	386	0.30
1084.	—''—	—''—	—''—	387	0.90
1085.	—''—	—''—	—''—	389	0.91
1086.	—''—	—''—	—''—	390	1.28
1087.	—''—	—''—	—''—	391	0.91
1088.	—''—	—''—	—''—	392	0.22
1089.	—''—	—''—	—''—	395	0.01
1090.	—''—	—''—	—''—	396	0.71
1091.	—''—	—''—	—''—	399/1	0.33
1092.	—''—	—''—	—''—	400	0.76
1093.	—''—	—''—	—''—	401	0.09
1094.	—''—	—''—	—''—	402	0.12
1095.	—''—	—''—	—''—	403	1.01
1096.	—''—	—''—	—''—	404	1.60
1097.	—''—	—''—	—''—	405	0.10
1098.	—''—	—''—	—''—	406	0.27
1099.	—''—	—''—	—''—	412	0.09
1100.	—''—	—''—	—''—	413	0.16
1101.	—''—	—''—	—''—	414	0.30
1102.	—''—	—''—	—''—	415	0.10
1103.	—''—	—''—	—''—	416	0.07
1104.	—''—	—''—	—''—	417	0.26
1105.	—''—	—''—	—''—	418	0.02
1106.	—''—	—''—	—''—	420	0.04
1107.	—''—	—''—	—''—	421	0.13

1108.	—''—	—''—	—''—	422	0.15
1109.	—''—	—''—	—''—	423	0.31
1110.	—''—	—''—	—''—	424	0.18
1111.	—''—	—''—	—''—	425	0.22
1112.	—''—	—''—	—''—	426	0.90
1113.	—''—	—''—	—''—	427	0.27
1114.	—''—	—''—	—''—	428	0.22
1115.	—''—	—''—	—''—	429	0.18
1116.	—''—	—''—	—''—	430	0.16
1117.	—''—	—''—	—''—	431	0.09
1118.	—''—	—''—	—''—	433	0.02
1119.	—''—	—''—	—''—	440	0.13
1120.	—''—	—''—	—''—	441	0.22
1121.	—''—	—''—	—''—	442	0.17
1122.	—''—	—''—	—''—	443	0.18
1123.	—''—	—''—	—''—	444	0.11
1124.	—''—	—''—	—''—	445	0.06
1125.	—''—	—''—	—''—	447	0.08
1126.	—''—	—''—	—''—	448	0.11
1127.	—''—	—''—	—''—	449	0.13
1128.	—''—	—''—	—''—	450	0.06
1129.	—''—	—''—	—''—	456	0.25
1130.	—''—	—''—	—''—	458	0.01
1131.	—''—	—''—	—''—	505/1	1.82
1132.	—''—	—''—	—''—	505/2	1.72
1133.	—''—	—''—	—''—	503/3	0.23
1134.	—''—	—''—	—''—	507	0.77
1135.	—''—	—''—	—''—	508	1.20
1136.	—''—	—''—	—''—	509	3.50
1137.	—''—	—''—	—''—	510	0.14
1138.	—''—	—''—	—''—	511	0.38
1139.	—''—	—''—	—''—	512	0.31
1140.	—''—	—''—	—''—	513	0.22
1141.	—''—	—''—	—''—	514/1	0.30
1142.	—''—	—''—	—''—	514/2	0.30
1143.	—''—	—''—	—''—	515	0.17
1144.	—''—	—''—	—''—	516	0.10
1145.	—''—	—''—	—''—	517/1	0.01
1146.	—''—	—''—	—''—	517/2	0.06
1147.	—''—	—''—	—''—	517/3	0.04
1148.	—''—	—''—	—''—	519	0.19
1149.	—''—	—''—	—''—	520	0.61

1150.	—''—	—''—	—''—	521	0.02
1151.	—''—	—''—	—''—	522	0.11
1152.	—''—	—''—	—''—	523	0.04
1153.	—''—	—''—	—''—	524	0.84
1154.	—''—	—''—	—''—	525	0.18
1155.	—''—	—''—	—''—	526	0.17
1156.	—''—	—''—	—''—	527	0.01
1157.	—''—	—''—	—''—	528	0.14
1158.	—''—	—''—	—''—	529	0.03
1159.	—''—	—''—	—''—	530	0.14
1160.	—''—	—''—	—''—	531	0.12
1161.	—''—	—''—	—''—	532	0.15
1162.	—''—	—''—	—''—	533	0.05
1163.	—''—	—''—	—''—	534	0.15
1164.	—''—	—''—	—''—	535	0.03
1165.	—''—	—''—	—''—	536	0.34
1166.	—''—	—''—	—''—	537/1	0.19
1167.	—''—	—''—	—''—	537/2	0.10
1168.	—''—	—''—	—''—	538	0.17
1169.	—''—	—''—	—''—	539	0.34
1170.	—''—	—''—	—''—	5440	0.06
1171.	—''—	—''—	—''—	541	0.27
1172.	—''—	—''—	—''—	543	0.65
1173.	—''—	—''—	—''—	544	0.12
1174.	—''—	—''—	—''—	545	0.15
1175.	—''—	—''—	—''—	547	1.15
1176.	—''—	—''—	—''—	548	0.05
1177.	—''—	—''—	—''—	549	0.33
1178.	—''—	—''—	—''—	550	0.40
1179.	—''—	—''—	—''—	551	0.12
1180.	—''—	—''—	—''—	553	0.15
1181.	—''—	—''—	—''—	554	0.55
1182.	—''—	—''—	—''—	555	0.37
1183.	—''—	—''—	—''—	556	0.79
1184.	—''—	—''—	—''—	557	0.93
1185.	—''—	—''—	—''—	558	1.39
1186.	—''—	—''—	—''—	559	0.18
1187.	—''—	—''—	—''—	560/1	0.20
1188.	—''—	—''—	—''—	560/2	0.27
1189.	—''—	—''—	—''—	561	0.25
1190.	—''—	—''—	—''—	562/1	0.05
1191.	—''—	—''—	—''—	562/2	0.01

1192.	—''—	—''—	—''—	562/3	0.01
1193.	—''—	—''—	—''—	562/4	0.01
1194.	—''—	—''—	—''—	563	0.45
1195.	—''—	—''—	—''—	564	0.40
1196.	—''—	—''—	—''—	565	0.11
1197.	—''—	—''—	—''—	566	0.36
1198.	—''—	—''—	—''—	567	0.90
1199.	—''—	—''—	—''—	571	0.02
1200.	—''—	—''—	—''—	572	0.43
1201.	—''—	—''—	—''—	574	0.55
1202.	—''—	—''—	—''—	576/1	0.78
1203.	—''—	—''—	—''—	576/2	0.78
1204.	—''—	—''—	—''—	578	1.61
1205.	—''—	—''—	—''—	579	1.61
1206.	—''—	—''—	—''—	581/1 d	0.20
1207.	—''—	—''—	—''—	581/1 [k	0.20
1208.	—''—	—''—	—''—	581/1 x	0.21
1209.	—''—	—''—	—''—	581/1 ?k	0.20
1210.	—''—	—''—	—''—	581/2	0.80
1211.	—''—	—''—	—''—	583	0.16
1212.	—''—	—''—	—''—	584	0.38
1213.	—''—	—''—	—''—	585	0.03
1214.	—''—	—''—	—''—	586	0.62
1215.	—''—	—''—	—''—	587	1.14
1216.	—''—	—''—	—''—	588	0.85
1217.	—''—	—''—	—''—	589/1	1.12
1218.	—''—	—''—	—''—	589/2	0.28
1219.	—''—	—''—	—''—	590	0.25
1220.	—''—	—''—	—''—	591/1	0.27
1221.	—''—	—''—	—''—	591/2	0.10
1222.	—''—	—''—	—''—	591/3	0.10
1223.	—''—	—''—	—''—	592/1	0.29
1224.	—''—	—''—	—''—	592/2	0.29
1225.	—''—	—''—	—''—	593	0.05
1226.	—''—	—''—	—''—	594	0.32
1227.	—''—	—''—	—''—	595	0.76
1228.	—''—	—''—	—''—	596	0.02
1229.	—''—	—''—	—''—	597/1	0.38
1230.	—''—	—''—	—''—	597/2	0.29
1231.	—''—	—''—	—''—	597/3	0.28
1232.	—''—	—''—	—''—	598	0.09
1233.	—''—	—''—	—''—	600/1	0.23

1234.	---	---	---	600/2	0.15
1235.	---	---	---	601/1	0.69
1236.	---	---	---	601/2	0.20
1237.	---	---	---	602	1.48
1238.	---	---	---	603	0.11
1239.	---	---	---	604	0.73
1240.	---	---	---	605	0.23
1241.	---	---	---	606/1	0.01
1242.	---	---	---	606/2	0.01
1243.	---	---	---	606/3	0.01
1244.	---	---	---	607/1	0.13
1245.	---	---	---	607/2	0.12
1246.	---	---	---	608/1	0.14
1247.	---	---	---	608/2	0.13
1248.	---	---	---	608/3	0.14
1249.	---	---	---	609/1	0.12
1250.	---	---	---	609/2	0.12
1251.	---	---	---	609/3	0.12
1252.	---	---	---	610/1	0.11
1253.	---	---	---	610/2	1.80
1254.	---	---	---	611	0.90
1255.	---	---	---	612	0.02
1256.	---	---	---	613	1.78
1257.	---	---	---	614	0.28
1258.	---	---	---	615	1.02
1259.	---	---	---	616/1	0.14
1260.	---	---	---	616/2	0.14
1261.	---	---	---	617/1	0.14
1262.	---	---	---	617/2	0.14
1263.	---	---	---	618	0.07
1264.	---	---	---	619	0.01
1265.	---	---	---	623	0.10
1266.	---	---	---	624	0.14
1267.	---	---	---	632	0.22
1268.	---	---	---	633	0.81
1269.	---	---	---	634	0.27
1270.	---	---	---	635	0.17
1271.	---	---	---	636	0.37
1272.	---	---	---	637	0.67
1273.	---	---	---	638/1	0.18
1274.	---	---	---	638/2	0.17
1275.	---	---	---	641/1	0.02

1276.	—''—	—''—	—''—	641/2	0.03
1277.	—''—	—''—	—''—	643/1	0.48
1278.	—''—	—''—	—''—	643/2	0.47
1279.	—''—	—''—	—''—	644	0.01
1280.	—''—	—''—	—''—	645	0.55
1281.	—''—	—''—	—''—	646	0.58
1282.	—''—	—''—	—''—	647	0.23
1283.	—''—	—''—	—''—	648/1	0.59
1284.	—''—	—''—	—''—	648/2	0.25
1285.	—''—	—''—	—''—	649	0.03
1286.	—''—	—''—	—''—	650/1 d	0.49
1287.	—''—	—''—	—''—	650/1 [k	0.49
1288.	—''—	—''—	—''—	650/2	0.49
1289.	—''—	—''—	—''—	652	0.57
1290.	—''—	—''—	—''—	653	0.94
1291.	—''—	—''—	—''—	654	0.88
1292.	—''—	—''—	—''—	657	0.42
1293.	—''—	—''—	—''—	659	0.48
1294.	—''—	—''—	—''—	660	0.65
1295.	—''—	—''—	—''—	661	1.33
1296.	—''—	—''—	—''—	662	0.47
1297.	—''—	—''—	—''—	663	0.02
1298.	—''—	—''—	—''—	664	0.78
1299.	—''—	—''—	—''—	666/1 d	0.15
1300.	—''—	—''—	—''—	666/1 [k	0.16
1301.	—''—	—''—	—''—	666/2	0.31
1302.	—''—	—''—	—''—	667/1	0.01
1303.	—''—	—''—	—''—	667/2	0.01
1304.	—''—	—''—	—''—	668/1	0.14
1305.	—''—	—''—	—''—	668/2	0.14
1306.	—''—	—''—	—''—	668/3	0.54
1307.	—''—	—''—	—''—	669	0.58
1308.	—''—	—''—	—''—	670	0.06
1309.	—''—	—''—	—''—	671	0.60
1310.	—''—	—''—	—''—	673	0.14
1311.	—''—	—''—	—''—	674	0.04
1312.	—''—	—''—	—''—	681	0.36
1313.	—''—	—''—	—''—	682	0.11
1314.	—''—	—''—	—''—	683	0.02
1315.	—''—	—''—	—''—	688	0.18
1316.	—''—	—''—	—''—	689	0.07
1317.	—''—	—''—	—''—	691	0.06

1318.	—''—	—''—	—''—	692	0.13
1319.	—''—	—''—	—''—	693	0.05
1320.	—''—	—''—	—''—	700	1.69
1321.	—''—	—''—	—''—	702	0.19
1322.	—''—	—''—	—''—	782	0.04
1323.	—''—	—''—	—''—	793	1.50
1324.	—''—	—''—	—''—	796	2.87
1325.	—''—	—''—	—''—	797	0.65
1326.	—''—	—''—	—''—	798	1.08
1327.	—''—	—''—	—''—	799	0.76
1328.	—''—	—''—	—''—	800/1	0.34
1329.	—''—	—''—	—''—	801	0.52
1330.	—''—	—''—	—''—	907/67	0.13
1331.	—''—	—''—	—''—	908/256	0.73
1332.	—''—	—''—	—''—	911/64	0.14
1333.	—''—	—''—	—''—	1	0.86
1334.	—''—	—''—	—''—	2	0.860
1335.	—''—	—''—	—''—	3	5.030
1336.	—''—	—''—	—''—	4	0.700
1337.	—''—	—''—	—''—	5	0.950
1338.	—''—	—''—	—''—	6	0.870
1339.	—''—	—''—	—''—	7	4.380
1340.	—''—	—''—	—''—	8	1.000
1341.	—''—	—''—	—''—	9	1.620
1342.	—''—	—''—	—''—	10	1.560
1343.	—''—	—''—	—''—	11	1.360
1344.	—''—	—''—	—''—	12	0.250
1345.	—''—	—''—	—''—	13	0.550
1346.	—''—	—''—	—''—	14	1.260
1347.	—''—	—''—	—''—	23	1.360
1348.	—''—	—''—	—''—	24	1.940
1349.	—''—	—''—	—''—	25	0.810
1350.	—''—	—''—	—''—	26	5.770
1351.	—''—	—''—	—''—	27	0.110
1352.	—''—	—''—	—''—	28/1	0.400
1353.	—''—	—''—	—''—	28/2	1.000
1354.	—''—	—''—	—''—	28/3	0.340
1355.	—''—	—''—	—''—	30	0.290
1356.	—''—	—''—	—''—	31	0.300
1357.	—''—	—''—	—''—	32	0.870
1358.	—''—	Banharikala	—''—	3	0.97
1359.	—''—	—''—	—''—	4	2.05

1360.	—''—	—''—	—''—	5/3	0.66
1361.	—''—	—''—	—''—	5/5	0.5
1362.	—''—	—''—	—''—	5/6	0.67
1363.	—''—	—''—	—''—	5/7	0.67
1364.	—''—	—''—	—''—	6/2	2
1365.	—''—	—''—	—''—	7	0.89
1366.	—''—	—''—	—''—	8	1.87
1367.	—''—	—''—	—''—	12	0.64
1368.	—''—	—''—	—''—	13/1	0.4
1369.	—''—	—''—	—''—	13/2	0.39
1370.	—''—	—''—	—''—	13/3	0.39
1371.	—''—	—''—	—''—	13/4	0.39
1372.	—''—	—''—	—''—	13/5	0.39
1373.	—''—	—''—	—''—	13/6	0.3
1374.	—''—	—''—	—''—	14	0.32
1375.	—''—	—''—	—''—	15	1.94
1376.	—''—	—''—	—''—	16/2	2
1377.	—''—	—''—	—''—	16/3	2
1378.	—''—	—''—	—''—	16/4	0.58
1379.	—''—	—''—	—''—	16/5	0.59
1380.	—''—	—''—	—''—	17	0.97
1381.	—''—	—''—	—''—	18/2	1.21
1382.	—''—	—''—	—''—	18/3	1.13
1383.	—''—	—''—	—''—	19	1.13
1384.	—''—	—''—	—''—	20	0.28
1385.	—''—	—''—	—''—	21	0.98
1386.	—''—	—''—	—''—	22	1.7
1387.	—''—	—''—	—''—	23	1.44
1388.	—''—	—''—	—''—	25	0.78
1389.	—''—	—''—	—''—	26	0.66
1390.	—''—	—''—	—''—	27	0.14
1391.	—''—	—''—	—''—	28	0.62
1392.	—''—	—''—	—''—	29	0.28
1393.	—''—	—''—	—''—	30/1	0.09
1394.	—''—	—''—	—''—	30/2/क	0.32
1395.	—''—	—''—	—''—	30/2/ख	0.32
1396.	—''—	—''—	—''—	30/3	0.11
1397.	—''—	—''—	—''—	30/4	0.14
1398.	—''—	—''—	—''—	31	0.25
1399.	—''—	—''—	—''—	35	0.97
1400.	—''—	—''—	—''—	37/2	2
1401.	—''—	—''—	—''—	38/1	0.26

1402.	—''—	—''—	—''—	38/2	0.26
1403.	—''—	—''—	—''—	39/1	0.79
1404.	—''—	—''—	—''—	39/2	0.79
1405.	—''—	—''—	—''—	40	1.01
1406.	—''—	—''—	—''—	41	2.06
1407.	—''—	—''—	—''—	42	0.66
1408.	—''—	—''—	—''—	43/2	1
1409.	—''—	—''—	—''—	46	3.06
1410.	—''—	—''—	—''—	47/1	0.93
1411.	—''—	—''—	—''—	47/2	0.93
1412.	—''—	—''—	—''—	48	0.42
1413.	—''—	—''—	—''—	49	0.97
1414.	—''—	—''—	—''—	50/1	1.05
1415.	—''—	—''—	—''—	50/2	1.05
1416.	—''—	—''—	—''—	52	0.17
1417.	—''—	—''—	—''—	54/1	0.8
1418.	—''—	—''—	—''—	54/2	0.51
1419.	—''—	—''—	—''—	58	0.97
1420.	—''—	—''—	—''—	61/1	2
1421.	—''—	—''—	—''—	61/2	1.21
1422.	—''—	—''—	—''—	62	2
1423.	—''—	—''—	—''—	62/1454	0.42
1424.	—''—	—''—	—''—	64/1	0.42
1425.	—''—	—''—	—''—	64/2	1.57
1426.	—''—	—''—	—''—	68	1.39
1427.	—''—	—''—	—''—	70	0.98
1428.	—''—	—''—	—''—	72	1.28
1429.	—''—	—''—	—''—	73	0.57
1430.	—''—	—''—	—''—	76	0.73
1431.	—''—	—''—	—''—	77/1	0.73
1432.	—''—	—''—	—''—	77/2	0.71
1433.	—''—	—''—	—''—	78/1	0.75
1434.	—''—	—''—	—''—	78/2	0.75
1435.	—''—	—''—	—''—	79	0.26
1436.	—''—	—''—	—''—	83	0.31
1437.	—''—	—''—	—''—	84	0.62
1438.	—''—	—''—	—''—	87	0.62
1439.	—''—	—''—	—''—	88	1.69
1440.	—''—	—''—	—''—	90	0.53
1441.	—''—	—''—	—''—	91/1	0.49
1442.	—''—	—''—	—''—	91/2	0.49
1443.	—''—	—''—	—''—	93	0.7

1444.	—''—	—''—	—''—	94	0.35
1445.	—''—	—''—	—''—	95	0.09
1446.	—''—	—''—	—''—	96	0.05
1447.	—''—	—''—	—''—	98	2.64
1448.	—''—	—''—	—''—	99/2	1.47
1449.	—''—	—''—	—''—	100	0.47
1450.	—''—	—''—	—''—	102	1.47
1451.	—''—	—''—	—''—	106	0.16
1452.	—''—	—''—	—''—	107	0.15
1453.	—''—	—''—	—''—	114	1.29
1454.	—''—	—''—	—''—	115	0.64
1455.	—''—	—''—	—''—	119	0.9
1456.	—''—	—''—	—''—	120	0.12
1457.	—''—	—''—	—''—	122	0.27
1458.	—''—	—''—	—''—	123	0.23
1459.	—''—	—''—	—''—	127/1	1.225
1460.	—''—	—''—	—''—	129	0.46
1461.	—''—	—''—	—''—	130/2/	0.75
1462.	—''—	—''—	—''—	131/1	0.56
1463.	—''—	—''—	—''—	131/2	0.2
1464.	—''—	—''—	—''—	131/3	0.21
1465.	—''—	—''—	—''—	131/4	0.21
1466.	—''—	—''—	—''—	131/5	0.2
1467.	—''—	—''—	—''—	131/6	0.01
1468.	—''—	—''—	—''—	132	0.6
1469.	—''—	—''—	—''—	134/1	0.26
1470.	—''—	—''—	—''—	135	0.09
1471.	—''—	—''—	—''—	137/1	0.82
1472.	—''—	—''—	—''—	138	0.04
1473.	—''—	—''—	—''—	143	0.4
1474.	—''—	—''—	—''—	145	0.5
1475.	—''—	—''—	—''—	147	0.45
1476.	—''—	—''—	—''—	151/1	0.2
1477.	—''—	—''—	—''—	151/2	0.2
1478.	—''—	—''—	—''—	152	0.12
1479.	—''—	—''—	—''—	153/1	0.3
1480.	—''—	—''—	—''—	153/2	0.4
1481.	—''—	—''—	—''—	154	0.36
1482.	—''—	—''—	—''—	155	0.16
1483.	—''—	—''—	—''—	156	0.02
1484.	—''—	—''—	—''—	157	0.43
1485.	—''—	—''—	—''—	158	0.58

1486.	—''—	—''—	—''—	159	0.5
1487.	—''—	—''—	—''—	160	0.16
1488.	—''—	—''—	—''—	161	0.21
1489.	—''—	—''—	—''—	163	0.35
1490.	—''—	—''—	—''—	164	0.4
1491.	—''—	—''—	—''—	165	0.58
1492.	—''—	—''—	—''—	166	0.24
1493.	—''—	—''—	—''—	167/1	0.17
1494.	—''—	—''—	—''—	167/2	0.06
1495.	—''—	—''—	—''—	169	0.45
1496.	—''—	—''—	—''—	173	0.42
1497.	—''—	—''—	—''—	175	0.69
1498.	—''—	—''—	—''—	165	0.22
1499.	—''—	—''—	—''—	177	0.22
1500.	—''—	—''—	—''—	178	0.07
1501.	—''—	—''—	—''—	179	0.22
1502.	—''—	—''—	—''—	180	0.08
1503.	—''—	—''—	—''—	182	0.15
1504.	—''—	—''—	—''—	183	0.36
1505.	—''—	—''—	—''—	185	0.19
1506.	—''—	—''—	—''—	187	0.28
1507.	—''—	—''—	—''—	188	0.38
1508.	—''—	—''—	—''—	189	0.83
1509.	—''—	—''—	—''—	190	0.68
1510.	—''—	—''—	—''—	192	0.74
1511.	—''—	—''—	—''—	193	0.6
1512.	—''—	—''—	—''—	196	0.35
1513.	—''—	—''—	—''—	197/1	0.32
1514.	—''—	—''—	—''—	197/2	0.33
1515.	—''—	—''—	—''—	197/3	0.32
1516.	—''—	—''—	—''—	198	0.18
1517.	—''—	—''—	—''—	199	0.17
1518.	—''—	—''—	—''—	201	0.13
1519.	—''—	—''—	—''—	202	0.05
1520.	—''—	—''—	—''—	203/1	0.14
1521.	—''—	—''—	—''—	203/2	0.14
1522.	—''—	—''—	—''—	204	0.1
1523.	—''—	—''—	—''—	205	0.1
1524.	—''—	—''—	—''—	206	1.2
1525.	—''—	—''—	—''—	210	0.81
1526.	—''—	—''—	—''—	211	0.46
1527.	—''—	—''—	—''—	220/1	0.25

1528.	—''—	—''—	—''—	220/2	0.25
1529.	—''—	—''—	—''—	222	0.11
1530.	—''—	—''—	—''—	223	0.2
1531.	—''—	—''—	—''—	254	0.43
1532.	—''—	—''—	—''—	255	0.2
1533.	—''—	—''—	—''—	271	2.7
1534.	—''—	—''—	—''—	272	0.37
1535.	—''—	—''—	—''—	273	0.9
1536.	—''—	—''—	—''—	274	0.67
1537.	—''—	—''—	—''—	275	0.48
1538.	—''—	—''—	—''—	278	0.8
1539.	—''—	—''—	—''—	280	0.38
1540.	—''—	—''—	—''—	285/1	1.01
1541.	—''—	—''—	—''—	285/2	0.29
1542.	—''—	—''—	—''—	287	0.22
1543.	—''—	—''—	—''—	288	0.28
1544.	—''—	—''—	—''—	289	0.03
1545.	—''—	—''—	—''—	293	0.16
1546.	—''—	—''—	—''—	294	0.2
1547.	—''—	—''—	—''—	302	0.05
1548.	—''—	—''—	—''—	312	0.05
1549.	—''—	—''—	—''—	313	0.08
1550.	—''—	—''—	—''—	319/1	0.05
1551.	—''—	—''—	—''—	1444/65	0.48
1552.	—''—	—''—	—''—	1477/4	0.33
1553.	—''—	—''—	—''—	1477/5	0.33
1554.	—''—	—''—	—''—	1477/6	0.33
1555.	—''—	—''—	—''—	1479	1.54
1556.	—''—	—''—	—''—	1480/1	0.22
1557.	—''—	—''—	—''—	1480/2	0.7
1558.	—''—	—''—	—''—	1480/3	0.34
1559.	—''—	—''—	—''—	1480/4	0.08
1560.	—''—	—''—	—''—	1480/5	0.1
1561.	—''—	—''—	—''—	1480/6	0.08
1562.	—''—	—''—	—''—	1480/7	0.02
1563.	—''—	—''—	—''—	1481/1	0.5
1564.	—''—	—''—	—''—	1481/2	0.76
1565.	—''—	—''—	—''—	1481/3	0.22
1566.	—''—	—''—	—''—	1481/4	0.06
1567.	—''—	—''—	—''—	1482/1	0.65
1568.	—''—	—''—	—''—	1482/2	0.88
1569.	—''—	—''—	—''—	1483/1	0.95

1570.	—''—	—''—	—''—	1483/2	0.58
1571.	—''—	—''—	—''—	1484	1.54
1572.	—''—	—''—	—''—	1486	1.69
1573.	—''—	—''—	—''—	1487	1.69
1574.	—''—	—''—	—''—	1488	0.65
1575.	—''—	—''—	—''—	1489	1.23
1576.	—''—	—''—	—''—	1490	2
1577.	—''—	—''—	—''—	1491	1.6
1578.	—''—	—''—	—''—	1493	0.83
1579.	—''—	—''—	—''—	1495	1
1580.	—''—	—''—	—''—	1496	1.9
1581.	—''—	—''—	—''—	1497/1	1.28
1582.	—''—	—''—	—''—	1498	0.65
1583.	—''—	—''—	—''—	1499	0.65
1584.	—''—	—''—	—''—	1501	0.76
1585.	—''—	—''—	—''—	1502	2
1586.	—''—	—''—	—''—	1503	0.82
1587.	—''—	—''—	—''—	1504	0.95
1588.	—''—	—''—	—''—	1505	0.26
1589.	—''—	—''—	—''—	1506	0.48
1590.	—''—	—''—	—''—	1507	0.5
1591.	—''—	—''—	—''—	1508	0.3
1592.	—''—	—''—	—''—	1509	0.1
1593.	—''—	—''—	—''—	1510/2	0.72
1594.	—''—	—''—	—''—	1513	0.48
1595.	—''—	—''—	—''—	1514	1.4
1596.	—''—	—''—	—''—	1515	0.27
1597.	—''—	—''—	—''—	1516/1	0.11
1598.	—''—	—''—	—''—	1516/2	0.12
1599.	—''—	—''—	—''—	1516/3	0.12
1600.	—''—	—''—	—''—	1590/1	0.94
1601.	—''—	—''—	—''—	1	6.3
1602.	—''—	—''—	—''—	2	5.76
1603.	—''—	—''—	—''—	5/1	1.5
1604.	—''—	—''—	—''—	5/2	2
1605.	—''—	—''—	—''—	5/4	0.7
1606.	—''—	—''—	—''—	5/8	1.5
1607.	—''—	—''—	—''—	6/1	0.15
1608.	—''—	—''—	—''—	9	3.48
1609.	—''—	—''—	—''—	10	2.47
1610.	—''—	—''—	—''—	11	2.39
1611.	—''—	—''—	—''—	16/1	3.81

1612.	—''—	—''—	—''—	18/1	0.85	
1613.	—''—	—''—	—''—	24	0.92	
1614.	—''—	—''—	—''—	32	0.06	
1615.	—''—	—''—	—''—	33	0.06	
1616.	—''—	—''—	—''—	34	2.53	
1617.	—''—	—''—	—''—	36	2.03	
1618.	—''—	—''—	—''—	37/1	0.28	
1619.	—''—	—''—	—''—	43/1	6.56	
1620.	—''—	—''—	—''—	44	2.43	
1621.	—''—	—''—	—''—	45	1.68	
1622.	—''—	—''—	—''—	51	0.25	
1623.	—''—	—''—	—''—	53	3.787	
1624.	—''—	—''—	—''—	55	2	
1625.	—''—	—''—	—''—	56	3.74	
1626.	—''—	—''—	—''—	774/1	0.500	
1627.	—''—	—''—	—''—	775/3	0.050	
1628.	—''—	—''—	—''—	840	2.670	
Grand Total				Khasra No. 1625	Total Area 1029.9 10	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi's letter no. 8-37-2017-FC dated 23.08.2022, all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest. 1062.627 hectares of govt. revenue/private land affected by the project which has been transferred/mutated in favor of Madhya Pradesh government, forest department by collector Panna vide order number/231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest.

2. Details of other reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no. (Nil) dated (Nil) of (Nil) Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights :- No Individual Rights are on above land
2. Community Rights :- No Community Rights are on above land

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्रमांक/1094/आर-1264596/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°52.09.92" से 24°51'11.98" उत्तर अक्षांश तथा 80°09'04.12" से 80°08'13.46" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

वनमण्डल - उत्तर पन्ना

तहसील - अजयगढ़

वन परिक्षेत्र - अजयगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1.	देवराभापतपुर 'सी'	वनहरीकला	म0प्र0 शासन वन विभाग	1445/66	0.380	उत्तर- डेम लाईन । पूर्व- वनखण्ड मझगाँव के मुनारा क्र0-44 से 12 तक एवं ग्राम कुंवरपुर के डूब में आने वाली सीमा लाईन तक । दक्षिण- वन कक्ष क्र0 पी-190 के मुनारा क्र0-26 से 23 तक एवं ग्राम टौरिया तथा बडी बनहरी के डूब क्षेत्र में आने वाली सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 18 तक व कक्ष क्र0 पी-182 के मुनारा क्र0-39 से 24 तक एवं पी-182 के मुनारा क्रमांक 31 की सीमालाईन व वनकक्ष क्रमांक 177 के मुनारा क्रमांक 101 से 105 की सीमा में स्थित डूब क्षेत्र की
2.	—''—	—''—	—''—	1450/301	0.350	
3.	—''—	—''—	—''—	1455	0.940	
4.	—''—	—''—	—''—	1456	2.000	
5.	—''—	—''—	—''—	1457	1.840	
6.	—''—	—''—	—''—	1458	2.000	
7.	—''—	—''—	—''—	1459/1	1.040	
8.	—''—	—''—	—''—	1460	1.800	
9.	—''—	—''—	—''—	1461	1.940	
10.	—''—	—''—	—''—	1462/1	0.620	
11.	—''—	—''—	—''—	1462/2	0.620	
12.	—''—	—''—	—''—	1462/3	0.620	
13.	—''—	—''—	—''—	1463	1.740	
14.	—''—	—''—	—''—	1464	1.700	
15.	—''—	—''—	—''—	1465	2.000	
16.	—''—	—''—	—''—	1466	0.980	
17.	—''—	—''—	—''—	1467	2.000	
18.	—''—	—''—	—''—	1468/1	0.670	

19.	—''—	—''—	—''—	1468/2	0.660	सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक। पश्चिम— वन कक्ष क्र. पी 181 के मुनारा क्र. 91, 92 नाला बाउंड्री होते हुए एंव वन कक्ष क्र. पी 182 के मुनारा क्र. 01 से 12 तक।
20.	—''—	—''—	—''—	1468/3	0.670	
21.	—''—	—''—	—''—	1469	1.800	
22.	—''—	—''—	—''—	1470	1.400	
23.	—''—	—''—	—''—	1471	1.640	
24.	—''—	—''—	—''—	1475	2.000	
25.	—''—	—''—	—''—	1476	0.260	
26.	—''—	—''—	—''—	1477/1	0.350	
27.	—''—	—''—	—''—	1477/2	0.330	
28.	—''—	—''—	—''—	1477/3	0.330	
महायोग				खसरा संख्या 28	कुल क्षेत्रफल 32.680	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-37-2017-FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है। योजना में प्रभावित राजस्व/निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक/पृ0क्र0/231 दिनांक 12.04.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्र. 1094-आर-1264596-2023-दस-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094-आर-1264596-2023-दस-3, दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 1<sup>st</sup> June 2023

No./1094 /R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest block lies between 24<sup>o</sup>54'40.52" to 24<sup>o</sup>51'09.27" North Latitude and 80<sup>o</sup>12'00.43" to 80<sup>o</sup>09'23.23" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Panna

Tahsil - Ajaigarh

Forest Division - North Panna

Forest Range - Ajaigarh

S.No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area ( Hectare)	
1.	Devrabhapatpur 'C'	Banahrikala	M.P. Government Forest Department	1445/66	0.380	North- Dem Line. East- Munara no. From 44 to 12 and up to the boundary line coming under the submergence of village Kunwarpur. South- Forest Compartment no. Munara No. 26 to 23 of P-190 and proposed Munara No. 01 to 18 in the boundary line coming in submergence area of Village Tauria and Badi Banhari and Munara No. 39 to 24 of Compartment No. P-182 and The boundary line of Munara No. 31 of P-182 and Munara No. 101 to 105 of Forest Compartment No. 177,
2.	---	---	---	1450/301	0.350	
3.	---	---	---	1455	0.940	
4.	---	---	---	1456	2.000	
5.	---	---	---	1457	1.840	
6.	---	---	---	1458	2.000	
7.	---	---	---	1459/1	1.040	
8.	---	---	---	1460	1.800	
9.	---	---	---	1461	1.940	
10.	---	---	---	1462/1	0.620	
11.	---	---	---	1462/2	0.620	
12.	---	---	---	1462/3	0.620	
13.	---	---	---	1463	1.740	
14.	---	---	---	1464	1.700	
15.	---	---	---	1465	2.000	
16.	---	---	---	1466	0.980	
17.	---	---	---	1467	2.000	

18.	—''—	—''—	—''—	1468/1	0.670	West - proposed Munara No. 01 to 09 in the boundary line of the submergence area. Forest Compartment no. P 181 Munara No. 91, 92 Nallah boundary and forest Compartment no. P 182 Munara No. from 01 to 12
19.	—''—	—''—	—''—	1468/2	0.660	
20.	—''—	—''—	—''—	1468/3	0.670	
21.	—''—	—''—	—''—	1469	1.800	
22.	—''—	—''—	—''—	1470	1.400	
23.	—''—	—''—	—''—	1471	1.640	
24.	—''—	—''—	—''—	1475	2.000	
25.	—''—	—''—	—''—	1476	0.260	
26.	—''—	—''—	—''—	1477/1	0.350	
27.	—''—	—''—	—''—	1477/2	0.330	
28.	—''—	—''—	—''—	1477/3	0.330	
Grand Total				Khasra No. 28	Total area 32.680	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi's letter no. 8-37-2017-FC dated 23.08.2022, all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest 1062.627 hectares of govt. revenue/private land affected by the project which has been transferred/mutated in favor of Madhya Pradesh government, forest department by collector Panna vide order number/231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest.

2. Details of other reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no. (Nil) dated (Nil) of (Nil) Designation of Competent Revenue officer are as under.

1. Individual Rights :- No Individual Rights are on above land

2. Community Rights :- No Community Rights are on above land

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्रमांक: 1058 /1260091/2023/1/65: राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 766/1260091/2023/1/65 दिनांक 16/04/2023 की निरंतरता में "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022" में निम्न संशोधन किया जाता है :-

(1)कण्डिका क्रमांक 5 - परिभाषाएं अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान अंतःस्थापित किया जावें-

परिभाषाएं- "अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए"

(2)कंडिका क्रमांक 6.3 - वित्तीय सहायता की उपकंडिका 6.3.1 - प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स - प्राप्त निवेश पर सहायता में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावें-

"उपकंडिका 6.3.1 -महिला/अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरणों में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी, शेष शर्त यथावत।"

उक्त प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 25 मई 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. एस. सी.-2023-7096.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 19-196-2003-एफ-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा का नाम "राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म. प्र.)" किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

### पुनरीक्षित प्रारंभिक अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 2 जून 2023

क्र. एफ-01-10-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित कर नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

### अनुसूची

क्र.	विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड /तहसील और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील की सीमाएँ	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तहसील डबरा (मुख्यालय डबरा).	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, धई, अरूसी, बडेरा बुजुर्ग, सरनावत, भगेह, जंगीपुर जरगांव, लखनौती, सकतपुरा, जनकपुर पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुट्टी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा धमनिका, गढी कुल 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	मुख्यालय- डबरा	वर्तमान तहसील डबरा में 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर, बिलौआ, चिरपुरा, इकोना, लदेरा, सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरूली, पठा पनिहार, अकबई बड़ी, समूदन टेकनपुर, बोना, बेरू, बरगंवा, सुल्तानपुर, इटायल, सिंमिरया, अरू, गेडोलकला, डबरा, रामगढ़, बुजुर्ग, कर्रा, चांदपुर, मगरोरा, बरोठा, लोहगढ़, सालबई, मिलधन, सर्वा, धिरोरा, झांडोली, करियावटी, जतरथी, जरावनी, नुन्हारी, विजकपुर, भेसनारी, चौमो, खडबई, बारोल, चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक, सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा, देवरा, कौसा कुल 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में—पिछोर. पश्चिम में—भितर वार पिपरिया. उत्तर में—ग्वालियर. दक्षिण में—जिला दतिया.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	—	—	तह. पिछोर मुख्यालय- पिछोर.	वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, धई, अरूसी, बडेराबुजुर्ग, सरनावत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनौती, सकतपुरा, जनकपुर पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुट्टी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हरा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा धमनिका गढी कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	डबरा के पूर्व में—सेवड़ा. पश्चिम में—डबरा. उत्तर में—ग्वालियर. दक्षिण में—जिला दतिया.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 10 मार्च 2023

क्र. 2267-भू-अर्जन-23-क्र. 04-23-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क्र. (6) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

ग्राम चारपुरा		तहसील नरसिंहगढ़		
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी	भूमि	0.177	—	0.177

## अनुसूची (2)

स. क्र. (1)	भूस्वामी का नाम (2)	सर्वे नम्बर (3)	कुल रकबा (4)	प्रभावित रकबा (5)	विवरण (6)
1	रोडसिंह, गोपाल, कमला बाई पिता नत्था सम्पत बाई बेवा नत्था जाति काछी.	47/1	2.140	0.033	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.
2	पर्वतसिंह खेमचन्द्र, सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी.	48/2	2.051	0.144	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.
कुल योग . . .			4.191	0.177	

(2) भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जून 2023

क्र.-07अ-82-19-20-भू-अर्जन-23-4597.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पहरगुवां पटवारी हल्का नम्बर-60, तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07अ-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र.-08अ-82-19-20-भू-अर्जन-23-4594.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा इमलिया, पटवारी हल्का नम्बर-61, तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08अ-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र.-10अ-82-19-20-भू-अर्जन-23-4596.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा मुडिया गुसाई, पटवारी हल्का नम्बर-61, तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10अ-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र.-11अ-82-19-20-भू-अर्जन-23-4593.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमराअटा, पटवारी हल्का नम्बर-61, तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11अ-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र.-13अ-82-19-20-भू-अर्जन-23-4595.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिथौली, पटवारी हल्का नंबर-61, तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13अ-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषण एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अर्वाइड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.-41अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-1837.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमरा अहीर, पटवारी हल्का नंबर-12, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि तथा राजस्व अभिलेख अद्यतन के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 26 अप्रैल 2023

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. वा 1-री-रा. प्र. क्र. 0020-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01, पर ग्राम-मोहम्मदपुर-तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-नागझिरी, प. ह. नं. 22, तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	नागझिरी/22	24	0.019
			24	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	नागझिरी/22	29	0.013
			29	0.004
			15	0.018
			111	0.016
			110/1/1	0.018
			105/1	0.007
			105/2	0.021
			96	0.015
			95/3	0.011
			81/1	0.006
			81/2	0.008
			82/1	0.006
			83/1	0.006
			83/2	0.003
			84	0.016
			139	0.008
			137	0.018
			136/2	0.035
			193	0.012
			196	0.014
			197	0.027
			763/2	0.047
			762	0.032
			757	0.004
			755/2	0.029
			755/3	0.028
			655	0.028
			659	0.003
			670/1	0.013
			669	0.014
			660/1	0.019
			660/5	0.054
			660/2/1	0.013
			660/2/2	0.013
			660/2/3	0.012
			543	0.016
			544	0.036
			548/1	0.017
			548/2	0.017
			549/1	0.015
			549/2	0.009
			550	0.009
			553/3/1/1	0.013
			553/3/1/2	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	नागझिरी/22	556/2	0.027
			556/4	0.01
			558	0.024
			561	0.031
			562	0.025
			578	0.003
			579/1	0.005
			580/1	0.005
			580/2	0.013
			580/4	0.008
			580/4	0.021
			591/1	0.033
			591/3/1	0.025
			591/4	0.024
			591/6	0.009
			700/1	0.033
			701/2	0.059
			717/6	0.028
			700/1	0.036
			701/1/4	0.012
			701/1/1	0.017
			701/1/3	0.022
			696/2	0.035
			696/4/1	0.016
			696/3	0.021
			695/1	0.02
			695/6	0.01
			695/2/1	0.016
			695/2/2	0.008
			599/1	0.008
			599/2	0.055
			600	0.031
			601/1/1/5	0.017
			681/3	0.025
			652	0.006
			653	0.018
			654/2	0.005
			654/3	0.004
			654/4	0.004
			654/1	0.008
		योग	68	1.561

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

## प्रारूप "ख"

## [नियम 5 का उपनियम (2)]

खरगोन, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. वा. 1 री-रा. प्र. क्र. 0045-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01, पर ग्राम-मोहम्मदपुर-तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-डाबरिया, प. ह. नं. 29, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	डाबरिया/29	91/2	0.019
			91/1	0.011
				0.002
			91/3	0.016
			90	0.006
			79	0.032
			81/5	0.007
			81/4	0.010
			81/3	0.014
			81/2/3	0.018
			81/1	0.016
			82/4	0.007
			82/3	0.014
			82/2	0.006
			82/1	0.009
83/2	0.016			
83/1	0.019			
योग			16	0.222

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ओम नारायण सिंग, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जून 2023

क्र. 7602-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—जामन्यापाड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.408 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.380
5	0.596
8	0.882
10	0.606
13	0.046
16	0.152
20	0.125
23	0.151
24/2	0.029
25	0.052
26/2	0.021
27	0.121
30	0.554
31	0.019
32	0.158
34	0.857
38	1.122
39	0.023
40	0.757
41	0.069
42	0.113
98	0.275
100	0.002

(1)	(2)
92	1.732
90	0.102
91	1.077
85	0.137
84	0.658
86/1	0.623
83/2	0.072
124	1.503
126	0.861
127	0.150
73/5	0.052
73/6	0.112
129/4	0.114
107	0.099
7	0.006

योग . . 14.408

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार बड़ी रेलवे लाईन योजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7604-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—मछलाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.459 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
12/14	0.275
12/15	0.201

(1)	(2)	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
26/1	0.327	(1)	(2)
26/2	0.213	33	0.710
26/3	0.301	37/1	0.102
29	0.281	37/2	0.129
30/1	0.348	37/3	0.007
30/2	0.001	38/1	0.265
30/4	0.052	38/2	0.279
31/2	0.008	38/3	0.216
45/2	0.061	30/1	0.275
46	0.203	30/2	0.105
44/1	0.011	17	0.856
43/1	0.092	27/1	1.000
43/2	0.070	27/2	0.500
42/1	0.380	27/3	0.418
42/2	0.010	18/2	0.020
41	0.024	18/3	0.324
40	0.022	18/4	1.607
39/1/1	0.259	3/5/1	0.105
39/1/2	0.313	3/5/2	0.049
37	0.007	23	0.012
योग . . .	3.459	113/2	0.836
		योग . . .	7.815

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7606-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—गोलपुरा (सुल्तानपुरा)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.815 हेक्टेयर.

क्र. 7608-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—धोलाहनुमान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.626 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)	63/2	0.397
268	0.934	65/1	0.898
71	1.364	67/2	0.158
70	0.217	50/78	0.500
69	0.619	69	0.368
63/2	0.265	70	0.575
64/2	0.251	योग . .	4.991
65	3.405	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
272	0.510	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
266/2	0.018		
74	0.043		
योग . .	7.626		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.		
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		

क्र. 7610-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—गोलपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.991 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
60	0.272
61/1/2	0.585
61/2/2	0.238
63/1	1.000

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—कालूखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.835 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7/2	0.512
7/5	0.113
7/6	0.728
7/7	0.407
7/8	0.293
7/9	0.280
7/10	0.817
4/1	0.003
5/1	0.018
5/2	0.052

(1)	(2)
13	0.121
14	1.258
15	0.124
19/1/1	0.015
19/2	0.054
21/1	1.867
21/2	0.063
21/4	0.008
21/5	0.953
27/1/1	0.127
8	0.022
योग . .	<u>7.835</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7614-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—बावड़ीखोदरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.074 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4	0.516
45	0.391
46	0.167
योग . .	<u>1.074</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7618-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—कड़दा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.305 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
117	0.756
112/1/1	0.190
112/1/2	0.191
112/1/3	0.191
112/1/4	0.191
116/3	0.071
114/1	0.282
114/2	0.88
114/3	0.002
105/1	0.523
105/4/1	0.025
105/4/2	0.024
105/4/3	0.024
105/5	0.115
106	0.416
107	0.102
108	0.060
109	0.221
110	0.178
112/2	1.059
113/1	0.100
113/2	0.076

(1)	(2)	(1)	(2)
113/3	0.083	126/2	0.748
90	0.061	134	2.842
91	0.100	135	0.382
9	0.418	131	0.240
10	1.129	132/1	0.525
11	0.742	132/2	0.514
12/1	0.036	137	0.038
12/2	0.165	133	0.219
20	0.018	6	0.137
21	0.246	85	0.359
54/2/1	0.155	138	0.196
54/4/1/1	0.248	139	0.143
54/4/1/2	0.248		
54/4/2	0.497		
55/1/1	0.069		
55/2	0.088		
57/1/1	0.117		
योग . .	9.305	योग . .	7.275

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7620-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—लालगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.275 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
9	0.470
84	0.356
87	0.106

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7622-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—बीजलपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.525 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
34/1	0.383
34/2	2.142
योग . .	2.525

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7624-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—झिकन्याबर्डी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.382 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.411
1/3	0.941
2	0.087
5	0.470
10/1	0.031
10/2	0.021
16/1	1.000
16/7	0.800
16/10	0.621
योग . .	4.382

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 जून 2023

क्र. 7692-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—गंधवानी  
(ग) ग्राम—जलोख्या  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.803 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
70/4/1	0.569
70/4/2	0.234
योग . .	0.803

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 मई 2023

प्र. क्र. 0017-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—फुलवारी, प. ह. नं. 024  
(घ) क्षेत्रफल—0.2610 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
300/1/1	0.0520	निजी भूमि
301/1	0.0500	निजी भूमि
302/1	0.0120	निजी भूमि
308/1/1	0.1100	निजी भूमि
308/2/2	0.0370	निजी भूमि
कुल रकबा	0.2610	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0021-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—चौपरा, प. ह. नं. 001  
(घ) क्षेत्रफल—0.270 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
131/1/1	0.040	निजी भूमि
131/1/3	0.140	निजी भूमि
205/1/1/1	0.030	निजी भूमि
205/1/1/3	0.060	निजी भूमि
कुल रकबा	0.270	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0015-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—रेमजीसागर, प. ह. नं. 019  
(घ) क्षेत्रफल—1.4389 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
330/1/1	0.0500	निजी भूमि
330/1/3	0.0920	निजी भूमि
337/1	0.0270	निजी भूमि
338	0.0050	निजी भूमि
337/3	0.0540	निजी भूमि
336/2/2	0.1000	निजी भूमि
336/1	0.0350	निजी भूमि
342/1	0.0066	निजी भूमि
342/3	0.0033	निजी भूमि
339/2/3	0.0660	निजी भूमि
339/1/1	0.0380	निजी भूमि
339/2/1	0.0580	निजी भूमि
343/1	0.0400	निजी भूमि
343/3	0.0900	निजी भूमि
354/1	0.0250	निजी भूमि
354/3	0.1600	निजी भूमि
352/1/1	0.0250	निजी भूमि
352/1/2/1	0.0300	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
352/1/3/1/1	0.0200	निजी भूमि
352/1/3/2/1	0.0100	निजी भूमि
349/1	0.0700	निजी भूमि
349/3	0.0600	निजी भूमि
345/1	0.0200	निजी भूमि
353/3/1	0.0300	निजी भूमि
340/2	0.0050	निजी भूमि
350/1/1	0.0210	निजी भूमि
350/1/2	0.0200	निजी भूमि
350/1/3	0.0200	निजी भूमि
350/1/4	0.0200	निजी भूमि
350/1/5	0.0200	निजी भूमि
353/1/1	0.0350	निजी भूमि
157/1	0.0330	निजी भूमि
341/1/1/1	0.0250	निजी भूमि
341/2/1	0.0500	निजी भूमि
341/1/1/2	0.0250	निजी भूमि
341/2/2	0.0500	निजी भूमि

कुल रकबा . . . 1.4389

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0016-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—बमुरी, प. ह. नं. 019  
(घ) क्षेत्रफल—1.0040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
252/2	0.0600	निजी भूमि
257/1	0.0700	निजी भूमि
254/1/1	0.0500	निजी भूमि
256/1	0.0400	निजी भूमि
255/1/1	0.0200	निजी भूमि
255/1/2	0.0200	निजी भूमि
261/1	0.0450	निजी भूमि
262/1	0.0900	निजी भूमि
262/3	0.1700	निजी भूमि
261/2/2/2	0.1400	निजी भूमि
259/1	0.1600	निजी भूमि
258/1	0.0140	निजी भूमि
248/1/1	0.1150	निजी भूमि
251/1/2	0.0050	निजी भूमि
251/1/3	0.0050	निजी भूमि
कुल रकबा . . . 1.0040		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0014-अ-82-वर्ष-2022-2023.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—सिमरीवैश्य, प. ह. नं. 026  
(घ) क्षेत्रफल—2.2150 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
13/1	0.0050	निजी भूमि
15/1	0.0800	निजी भूमि
15/3	0.0300	निजी भूमि
16/3	0.0100	निजी भूमि
17/3	0.0050	निजी भूमि
19/1	0.0150	निजी भूमि
19/3	0.2100	निजी भूमि
20/1/1	0.0500	निजी भूमि
20/1/3	0.0400	निजी भूमि
20/4/1/1	0.0500	निजी भूमि
20/4/3/1	0.0400	निजी भूमि
21/3/1	0.0100	निजी भूमि
22/2/1	0.0250	निजी भूमि
22/3/1	0.0550	निजी भूमि
22/5/1	0.0100	निजी भूमि
22/5/3	0.0200	निजी भूमि
66/1/1	0.0300	निजी भूमि
66/3/1	0.0350	निजी भूमि
74/1/1	0.0550	निजी भूमि
74/2/1	0.0550	निजी भूमि
76/1/1/2	0.0460	निजी भूमि
76/1/2/2	0.0460	निजी भूमि
76/2/1	0.0800	निजी भूमि
77	0.0180	निजी भूमि
82/1/1	0.1500	निजी भूमि
84/1	0.0500	निजी भूमि
87/2/1	0.0200	निजी भूमि
87/2/2	0.0200	निजी भूमि
87/2/3	0.0400	निजी भूमि
113/2/1	0.0700	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
			(1)	(2)	(3)
114/2	0.0250	निजी भूमि	102/1	0.0100	निजी भूमि
115/1	0.1200	निजी भूमि	102/3	0.0100	निजी भूमि
116/1/1	0.0700	निजी भूमि	103/1	0.0448	निजी भूमि
116/1/3	0.0300	निजी भूमि	103/3	0.0792	निजी भूमि
115/2	0.1500	निजी भूमि	198/1	0.0100	निजी भूमि
116/2/1/1	0.0600	निजी भूमि	191/2/1	0.0600	निजी भूमि
116/2/1/2	0.0300	निजी भूमि	189/1/2	0.0500	निजी भूमि
117/2	0.1250	निजी भूमि	189/2/2/1/2	0.0250	निजी भूमि
118/1/3	0.1350	निजी भूमि	189/2/3/1/2	0.0100	निजी भूमि
118/2/1/1/1/1/1	0.0600	निजी भूमि	189/1/1/1/1	0.0100	निजी भूमि
118/2/2	0.0400	निजी भूमि	195/4/1	0.1500	निजी भूमि
कुल रकबा . . .	2.2150		195/4/3	0.0300	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.			195/1/3/1	0.0700	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.			195/1/3/3	0.0800	निजी भूमि
			195/1/2/1/2	0.1140	निजी भूमि
			191/1/1/1/1/2	0.0480	निजी भूमि
			191/1/1/1/2/2	0.0700	निजी भूमि
			197/1/2	0.0200	निजी भूमि
			64/4/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0110	निजी भूमि
			कुल रकबा . . .	0.9020	

प्र. क्र. 0012-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- जिला—पन्ना
- तहसील—देवेन्द्रनगर
- ग्राम—बड़ौरा, प. ह. नं. 019
- क्षेत्रफल—0.9020 हेक्टेयर.

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0019-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता

है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—नुनाही, प. ह. नं. 026  
(घ) क्षेत्रफल—0.7210 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
14/4/1	0.0650	निजी भूमि
15/2/1	0.0100	निजी भूमि
11/3	0.0500	निजी भूमि
12/3	0.0100	निजी भूमि
16/1	0.0200	निजी भूमि
25/3	0.0600	निजी भूमि
26/3	0.0100	निजी भूमि
54/3	0.0700	निजी भूमि
55/1	0.0050	निजी भूमि
65	0.0200	निजी भूमि
67/5/1	0.0350	निजी भूमि
68/3	0.0550	निजी भूमि
69/3	0.0100	निजी भूमि
117/1	0.0150	निजी भूमि
118/1	0.0300	निजी भूमि
120/1	0.0150	निजी भूमि
127/1	0.0200	निजी भूमि
128/1/1/1	0.0040	निजी भूमि
128/1/1/2	0.0040	निजी भूमि
128/1/1/3	0.0040	निजी भूमि
128/2/1	0.0120	निजी भूमि
129/1	0.0100	निजी भूमि
168/1/1	0.0110	निजी भूमि
168/2/1	0.0110	निजी भूमि
167/1	0.0150	निजी भूमि
225/1/2	0.0100	निजी भूमि
213/2/1	0.100	निजी भूमि
211	0.0400	निजी भूमि
कुल रकबा	0.7210	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0018-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—फुलदरी, प. ह. नं. 024  
(घ) क्षेत्रफल—1.0790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
6/1	0.0200	निजी भूमि
6/3	0.1200	निजी भूमि
7/1	0.0040	निजी भूमि
8/1/1	0.0100	निजी भूमि
8/1/3	0.1840	निजी भूमि
163/1	0.0100	निजी भूमि
163/3	0.0120	निजी भूमि
162/1/1	0.0380	निजी भूमि
162/1/3	0.2000	निजी भूमि
161/1	0.0110	निजी भूमि
213/1/1	0.0300	निजी भूमि
213/1/3	0.1100	निजी भूमि
160/2	0.0620	निजी भूमि
217/2	0.1400	निजी भूमि
208/1	0.0280	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
210/3	0.1000	निजी भूमि	266/1	0.2300	निजी भूमि
कुल रकबा . .	1.0790		266/2/1	0.0500	निजी भूमि
			266/2/3	0.0700	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.			266/3/1	0.0500	निजी भूमि
			266/3/3	0.0700	निजी भूमि
			267/1	0.0100	निजी भूमि
			267/3	0.0150	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.			268/1	0.0400	निजी भूमि
			268/3	0.0500	निजी भूमि
			303	0.0100	निजी भूमि
			305/1	0.1100	निजी भूमि
			308/2	0.0500	निजी भूमि
			309/1	0.0400	निजी भूमि
			307/2/1	0.3400	निजी भूमि
			307/2/3	0.0100	निजी भूमि
			315/1/1	0.1300	निजी भूमि
			316/1/2	0.0600	निजी भूमि
			कुल रकबा . .	2.3750	

प्र. क्र. 0024-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—जमीनप्रताप सिंह, प. ह. नं. 028  
(घ) क्षेत्रफल—2.3750 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
222	0.0100	निजी भूमि
223/1	0.2200	निजी भूमि
223/3	0.3000	निजी भूमि
216/1	0.1900	निजी भूमि
265/2/2	0.2600	निजी भूमि
214/1	0.0600	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0022-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि

कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—जिगदहा, प. ह. नं. 027  
(घ) क्षेत्रफल—0.3130 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
767/1/3	0.0700	निजी भूमि
767/2/1	0.0300	निजी भूमि
771/1	0.0100	निजी भूमि
769/1	0.0400	निजी भूमि
770/1/3	0.0100	निजी भूमि
770/2/3	0.0300	निजी भूमि
770/3/3	0.0300	निजी भूमि

788/2/3	0.0400	निजी भूमि
789	0.0100	निजी भूमि
790/2/2	0.0100	निजी भूमि
790/2/3	0.0100	निजी भूमि
790/2/4	0.0100	निजी भूमि
790/2/5	0.0100	निजी भूमि
800	0.0030	निजी भूमि
कुल रकबा . .	0.3130	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 मई 2023

क्र. 416-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—झांझ  
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—00024 झांझ  
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1775	0.180	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली
1784/1/1	0.043		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	रेल लाइन के निर्माण हेतु.
1784/1/2	0.032	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1784/2	0.075			
1792/1	0.412	0.052		
1798/1	0.180			
1798/2	0.160	0.130		
1798/3	0.140			
1813/1	0.030			
1813/2/1	0.128			
1813/2/2	0.032	0.014		
1813/2/3	0.032			
1821/1	0.010			
1821/2	0.008			
1821/3	0.008	0.044		
1821/4	0.008			
1821/5	0.008			
1821/6	0.008			
1822/1	0.040			
1822/2	0.040	0.012		
1824	0.130	0.002		
1828/1/1/1	0.044	0.004		
1828/1/1/1/2	0.004	0.004		
1828/1/1/2/1	0.010	0.010		
1828/1/1/2/2/1	0.005	0.005		
1828/1/1/2/2/2	0.005	0.005		
1828/1/1/3	0.006	0.006		
1828/1/1/4	0.004	0.004		
1828/1/1/5	0.004	0.004		
1828/1/1/6	0.004	0.004		
1828/1/1/7	0.004	0.004		
1828/1/1/8	0.004	0.004		
1828/1/1/9	0.004	0.004		
1828/1/1/10	0.004	0.004		
1828/1/1/11	0.004	0.004		
1828/1/1/12	0.004	0.004		
1828/1/1/13	0.010	0.010		
1828/1/2/1	0.040	0.010		
1828/1/2/2	0.020	0.010		
1828/1/2/3	0.010	0.010		
1828/1/2/4/1	0.010	0.010		
1828/1/2/4/2	0.002	0.002		
1828/1/2/4/3	0.004	0.004		
1828/1/2/4/4	0.002	0.002		
1828/1/2/4/5	0.002	0.002		
1828/1/2/5	0.020	0.010		
1828/1/2/6	0.010	0.010		
1828/2/1/1/1/1	0.114	0.008		
1828/2/1/1/2	0.010	0.010		
1828/2/1/1/3/1	0.006	0.006		
1828/2/1/1/3/2	0.004	0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1828/2/1/1/4	0.004	0.004		
1828/2/1/1/5	0.004	0.004		
1828/2/1/1/6	0.004	0.004		
1828/2/1/1/7	0.010	0.010		
1828/2/1/1/8	0.010	0.010		
1828/2/1/1/9	0.010	0.010		
1828/2/1/1/10	0.004	0.004		
1828/2/1/1/11	0.004	0.004		
1828/2/1/1/12	0.004	0.004		
1828/2/1/1/13	0.004	0.004		
1828/2/1/1/14	0.004	0.004		
1828/2/2/1	0.004	0.004		
1828/2/2/2	0.004	0.004		
1828/2/2/3	0.006	0.006		
1828/2/2/4	0.006	0.006		
1828/2/3	0.008	0.008		
1828/2/3/2	0.005	0.005		
1828/2/3/3	0.005	0.005		
1828/2/3/4	0.005	0.005		
1828/2/3/5	0.005	0.005		
1828/2/3/6	0.004	0.004		
1828/2/4/1	0.014	0.005		
1828/2/4/2	0.004	0.004		
1828/2/4/3	0.004	0.004		
1828/2/4/4	0.004	0.004		
1828/2/4/5	0.004	0.004		
1828/2/4/6	0.002	0.002		
1828/2/5/1	0.010	0.010		
1828/2/5/2	0.010	0.010		
1828/2/6/1	0.012	0.010		
1828/2/6/2	0.004	0.004		
1828/2/6/3	0.030	0.006		
1836/1	0.020			
1836/2	0.030		0.070	
1836/3	0.030			
1837/1/1	0.020			
1837/1/2	0.010		0.025	
1837/2	0.040			
1838/1	0.118			
1838/2	0.010			
1838/3	0.010			
1838/4	0.010			
1838/5	0.010			
1838/6	0.010		0.070	
1838/7	0.010			
1838/8	0.010			
1838/9	0.010			
1838/10	0.010			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1838/11	0.010			
1838/12	0.010			
1838/13	0.010			
1838/14	0.010			
1838/15	0.004			
1838/16	0.004			
1838/17	0.004			
1839	0.740	0.178		
1846	0.750	0.110		
1971/1	0.040			
1971/2	0.020	0.013		
3517/1/1/1/1	1.932			
3517/1/1/1/2	0.048			
3517/1/1/2	0.032			
3517/1/1/3/2	0.004			
3517/1/1/3/3	0.004			
3517/1/1/3/4	0.004			
3517/1/1/3/5	0.004			
3517/1/1/3/6	0.004			
3517/1/1/3/7	0.004			
3517/1/1/3/8	0.004			
3517/1/1/3/9	0.004			
3517/1/1/3/10	0.004			
3517/1/1/3/11	0.004			
3517/1/1/4/1	0.048			
3517/1/1/5	0.200			
3517/1/2/1	2.000	2.300		
3517/1/3/1	1.536			
3517/1/3/1/1/2	0.010			
3517/1/3/2	0.010			
3517/1/3/3	0.010			
3517/1/3/4	0.010			
3517/1/3/5	0.010			
3517/1/3/6	0.004			
3517/1/4/1/1	1.384			
3517/1/4/2	0.004			
3517/1/5/1/1	1.120			
3517/1/5/2	0.010			
3517/1/5/3	0.010			
3517/1/5/4	0.020			
3517/1/5/5	0.010			
3517/1/5/6	0.010			
3517/1/5/7	0.010			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3517/1/5/8	0.010			
3517/1/5/9	0.010			
3517/1/5/10	0.010			
3517/1/6/1	0.068			
3517/1/6/2	0.032			
3517/2	0.020			
3695	0.310	0.310		
3688	0.160	0.120		
निजी भूमि का योग . .	13.338	3.860		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 19 मई 2023

क्र. 455-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपदबनास
- (ग) ग्राम—खैरही
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—कोठार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.170 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
153/1	0.045	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई
153/2	0.040	पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रेल लाईन के निर्माण हेतु.
153/3	0.045		
153/4	0.040		
कुल योग . .	0.170		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मई 2023

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1329-अधिकारों का अर्जन-2023.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्प्लेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम नेर प. ह. नं. 28 रा. नि. मं.-सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	नेर	382	0.155
		प. ह. नं. 28	12	0.154
		कुल योग	02	0.309

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1330-अधिकारों का अर्जन-2023.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्प्लेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम देवर्धा प. ह. नं. 19 रा. नि. मं.-सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची					
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	देवर्धा	10	0.008	
		प. ह. नं. 109	13/1	0.045	
			12/1	0.086	
			11/2	0.057	
			11/3	0.049	
			5/1/1	0.060	
			5/2/1	0.029	
			11/1	0.166	
			4/1	0.097	
			3	0.118	
		कुल योग		10	0.716

#### प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1331-अधिकारों का अर्जन-2023.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पंच माइक्रो काम्पलेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम जमुनिया प. ह. नं. 20 रा. नि. मं.-सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	जमुनिया	392/4	0.108
		प. ह. नं. 20	392/3	0.112

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			392/1	0.135
			392/2	0.122
			393/1	0.041
			393/3	0.044
			393/4	0.019
			393/2	0.020
			394	0.101
			414	0.053
			410/3	0.030
			411/3	0.079
			411/1-2	0.210
			410/2	0.131
			410/1	0.015
			409/1	
			409/2	0.116
			409/3	
			408/2	0.063
			408/1	0.055
			406	0.073
			407	0.040
			251/3	0.077
			551/2	0.059
			247/2	0.063
			251/1	0.053
			252	0.199
			248/2	0.088
			248/1	0.228
		कुल योग		2.336

अतुल सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 15 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-553-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	परसवाही	7.255	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 मई 2023

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82) 2023-24-342.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	शहपुरा	बांकीमाल	1216/1	0.03	कार्यपालन यंत्री
		प. ह. नं. 42	1216/2	0.03	जल संसाधन
		रा. नि. म. शहपुरा.	1216/3	0.04	संभाग, डिण्डौरी.
			1216/4	0.05	
			निजी भूमि का योग . .	0.15	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2022-23-343.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम			एजेंसी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पिपराडी रैयत प. ह. नं. 30 रा. नि. म. शहपुरा.	436	0.08	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
निजी भूमि का योग . .				<u>0.08</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2023-24-344.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम			एजेंसी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कारीगढ़हरी माल प. ह. नं. 61 रा. नि. म. शहपुरा.	269 293 274/2	0.04 0.01 0.04	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
निजी भूमि का योग . .				<u>0.09</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2023-24-345.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मंगेला	287	0.10	कार्यपालन यंत्री	बिलगांव मध्यम
		प. ह. नं. 43	36/1	0.03	जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
		रा. नि. म. शहपुरा.				
निजी भूमि का योग . .				0.13		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2023-24-346.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कारीगढ़हरी रैयत	33/2	0.06	कार्यपालन यंत्री	बिलगांव मध्यम
		प. ह. नं. 61	33/1	0.06	जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
		रा. नि. म. शहपुरा.	46	0.34		
निजी भूमि का योग . .				0.46		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2022-23-347.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरगांव	1824/1	0.08	कार्यपालन यंत्री	बिलगांव मध्यम
		प. ह. नं. 40	1824/2	0.09	जल संसाधन	सिंचाई परियोजना
		रा. नि. म. शहपुरा.	1825	0.06	संभाग, डिण्डौरी.	शीर्ष कार्य हेतु.
			1809/1	0.10		
			1809/2	0.10		
निजी भूमि का योग . .				0.43		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2022-23-349.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कंचनपुर माल	20	0.03	कार्यपालन यंत्री	बिलगांव मध्यम
		प. ह. नं. 62	31/2	0.03	जल संसाधन	सिंचाई परियोजना
		रा. नि. म. शहपुरा.	30/1	0.21	संभाग, डिण्डौरी.	शीर्ष कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			31/1/1	0.04		
			63/1	0.02		
			28/1	0.08		
			127/4	0.02		
			80/5	0.04		
			81/3	0.01		
निजी भूमि का योग . . .				<u>0.48</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2022-23-348.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पथरकटा	183/4	0.05	कार्यपालन यंत्री	बिलगांव मध्यम
		प. ह. नं. 62	218	0.13	जल संसाधन	सिंचाई परियोजना
		रा. नि. म. शहपुरा.	177/1	0.07	संभाग, डिण्डौरी.	शीर्ष कार्य हेतु.
			178/1	0.07		
			177/3	0.06		
			178/3	0.05		
निजी भूमि का योग . . .				<u>0.43</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2023

पत्र क्र. 305-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—तमरी ठाकुर  
(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

46 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 307-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—बराती  
(घ) क्षेत्रफल—0.011 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

600 0.001

762 0.001

682 0.001

959 0.001

54 0.001

140 0.001

288 0.001

388 0.001

484 0.001

893 0.001

820 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.011

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.011

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 309-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—झलवार  
(घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

176	0.001
37	0.001
358	0.001
428	0.001
506	0.001
608	0.001
702	0.001
824	0.001
905	0.001
1001	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.010

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 311-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—फरहदा  
(घ) क्षेत्रफल—0.012 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

67	0.001
182	0.001
438	0.001
570	0.001
812	0.001
858	0.001
957	0.001
1033	0.001
1153	0.001
1295	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.010

ब. म. प्र. शासन की भूमि

1324/339 0.001

728 0.001

म. प्र. शासन की भूमि . . . 0.002

अ+ब का योग . . . 0.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 313-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—बेलहाईकला  
(घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

#### अ. निजी पट्टे की भूमि

29	0.001
66	0.001
106	0.001
160	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.004

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.004

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 315-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—बरेही रामप्रसाद  
(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

#### अ. निजी पट्टे की भूमि

41 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.001

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 317-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—तमरी  
(घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
49	0.001
115	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	
	0.002
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	
	0.000
अ+ब का योग . . .	
	0.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 319-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—मौलैया  
(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
55	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	
	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000
अ+ब का योग . . .	0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 321-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—बेलहाई खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
11	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	
	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000
अ+ब का योग . . .	0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 323-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—शिवपुर  
(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

114 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 325-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—डिघवार  
(घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

91 0.001

20 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 327-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नईगढ़ी  
(ग) ग्राम—मड़ना  
(घ) क्षेत्रफल—0.024 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

1019 0.024

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.024

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.024

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जीरो वैल्योसिटी वाल्व चैम्बर निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 329-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—बरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

##### अ. निजी पट्टे की भूमि

15 0.001

63 0.001

168 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.003

##### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.003

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 331-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज  
(ग) ग्राम—ढेरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

##### अ. निजी पट्टे की भूमि

17 0.001

162 0.001

228 0.001

281 0.001

319 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.005

##### ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.005

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 333-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) ग्राम—मऊगंज  
(घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
37	0.001
156	0.001
301	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2023

क्र. 166-भू-अर्जन-कार्य-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—मरहा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.956 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
469	0.336
473	0.268
474	0.192
475	0.160
योग . .	<u>0.956</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत नौबस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी की कठार माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-073A-82-22-23-भू-अर्जन-23-4263

सागर, दिनांक 26 मई 2023

चुकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एवं मकानों का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम हनौता सिंचाई परियोजना  
(2) भूमि का विवरण :
1. जिला सागर
  2. तहसील खुरई
  3. ग्राम दलपतपुर मालगुजारी
  4. पटवारी हल्का नं. 38
  5. अर्जित भवन/परिसम्पत्तियों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्ग मी. 4346.81

स. क्रं.	भूमि का मद	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा	भू-धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल(वर्ग मी.)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शासकीय	निर्मयसिंह पिता निरंनसिंह यादव	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान पक्का टीनसेड	24.09
2	शासकीय	रामबाबू पिता पहाडसिंह यादव	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान पक्का टीनसेड	24.09
3	शासकीय	कृष्णकुमार पिता छत्तरसिंह ठाकुर	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा टीनसेड	31.35
4	शासकीय	रविशंकर पिता गनेशराम अहिरवार	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	30.00
5	शासकीय	देवेन्द्र पिता हजारी अहिरवार	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	15.84

6	शासकीय	मगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार अनन्तराम पिता जालम अहिरवार	71	2.760	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	76.76
7	शासकीय	प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी	75/164	0.130	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	18.00
8	शासकीय	पुष्पेन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह कुर्मी	75/164	0.130	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	15.55
9	शासकीय	लक्ष्मीबाई पति मुकेश राजपूत	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा/पक्का	29.44
10	शासकीय	सचिन पिता प्रकाश चंदेल	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा टीनसेड	110.67
11	शासकीय	मुन्ने खां पिता रज्जाक खां	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	58.66
12	शासकीय	रामू पिता उमेद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	29.90
13	शासकीय	लाडो पति उमेद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय	31.55 1.44
14	शासकीय	रज्जन पिता उमेद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	26.87
15	शासकीय	संतोष पिता उमेद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा क्षतिग्रस्त	21.42
16	शासकीय	शारदा पति पप्पू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा टीनसेड शौचालय पक्का	15.84 1.44
17	शासकीय	रानी पति लखू आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय	32.10 1.44
18	शासकीय	गोविन्द पिता खचोरा सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	51.69 1.44
19	शासकीय	प्रकाश पिता दिलीप सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा क्षतिग्रस्त	14.88
20	शासकीय	रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय	42.33 1.44
21	शासकीय	बबलू पिता अमोल आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू क्षतिग्रस्त	18.20
22	शासकीय	अमोल पिता सुक्के आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	53.49 1.44
23	शासकीय	पर्वत पिता भूरे आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	42.24 1.44
24	शासकीय	धनीराम पिता सुम्मे सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	40.71 1.44
25	शासकीय	मुन्नीबाई पति उधम सौर	117/1	1.87	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	53.82 1.44
26	शासकीय	लीला पिता सुम्मे सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर पक्का शौचालय	20.52 1.44

27	शासकीय	रामवती पति रामप्रसाद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	35.77
28	शासकीय	गनपत पिता जगन आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय	17.64 1.44
29	शासकीय	बतीबाई पति मुलू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	42.48
30	शासकीय	रामसेवक पिता मुलू आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान पक्का मकान कच्चा	24.12 12.39
31	शासकीय	शोभाराम पिता भवर सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	16.80 1.44
32	शासकीय	जगदीश पिता भवर सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	30.81
33	शासकीय	सुहागरानी पति भवर सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय मकान पी.एम.आवास	12.32 1.44 20.00
34	शासकीय	दुरजन पिता मुलू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	16.40 1.44
35	शासकीय	घनश्याम पिता मुलू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर पक्का शौचालय	71.69 1.44
36	शासकीय	रामलाल पिता मुलू आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	8.37 1.44
37	शासकीय	नेतराम पिता रामलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	39.60
38	शासकीय	नर्मदा पिता रामलाल आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	16.72
39	शासकीय	मुन्नी सौर पति परमानंद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा खंडहर मकान कच्चा क्षतिग्रस्त पक्का शौचालय मकान कच्चा कबेलू	45.00 20.00 1.44 23.20
40	शासकीय	सुकालबाई पति भवर सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा पक्का शौचालय	29.52 1.44
41	शासकीय	लखन आदिवासी पिता बंबू आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय	71.19 1.44
42	शासकीय	पुष्पेन्द्र दांगी पिता हाकमसींग दांगी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	47.12
43	शासकीय	तुलसीराम पिता बाबूलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	45.36
44	शासकीय	तुलई पिता बाबूलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	20.91
45	शासकीय	कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू पक्का शौचालय मकान पी.एम.आवास	108.29 1.44 20.00

46	शासकीय	पंपू पिता मुन्नालाल आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	63.70
						पक्का शौचालय	1.44
47	शासकीय	हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	50.76
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पी.एम.आवास	20.00
48	शासकीय	चंद्रेश पिता हिम्मतसिंग सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	38.34
						पक्का शौचालय	1.44
49	शासकीय	भीकम पिता बलीराम सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	12.95
50	शासकीय	गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	34.10
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पी.एम.आवास	20.00
51	शासकीय	महेश पिता मिश्रीलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	57.34
52	शासकीय	बूदाबाई पति मिश्रीलाल	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	14.04
53	शासकीय	बाबू सौर पिता गोपी सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	15.95
54	शासकीय	रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	19.44
55	शासकीय	विजय पिता भंवरलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	66.96
						पक्का शौचालय	1.44
56	शासकीय	रम्मू पिता गुमन सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	20.28
						पक्का शौचालय	1.44
57	शासकीय	आजादरानी पिता जुगराज सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	36.26
58	शासकीय	पार्वती पति दुर्गा सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	पक्का शौचालय	1.44
						मकान कच्चा	77.40
59	शासकीय	संतोष पिता दुर्गा सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	46.11
60	शासकीय	हरीराम पिता दोजे सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	87.40
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पी.एम.आवास	20.00
61	शासकीय	पर्वत पिता भंवर आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	32.13
62	शासकीय	खिम्मा सौर पिता बबू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	पक्का शौचालय	1.44
						मकान कच्चा	76.67
63	शासकीय	लीला पिता बाबूलाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	32.96
						पक्का शौचालय	1.44

64	शासकीय	रामकिशन पिता हरीसिंह सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	39.68
65	शासकीय	मानकुंवर पति जाहरसिंह आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	33.15
						पक्का शौचालय	1.44
66	शासकीय	सुन्दर पिता परमानंद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	43.07
67	शासकीय	चुन्नू पिता रामप्रसाद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	31.62
68	शासकीय	रामबाई पति रामप्रकाश	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	11.55
						मकान पी.एम.आवास	20.00
						शौचालय	1.44
69	शासकीय	कल्लो पति लल्लू	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	14.72
70	शासकीय	संदीप पिता खुशाल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	58.09
71	शासकीय	खुशाल पिता भागीरथ सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	25.56
72	शासकीय	शिवराज पिता बल्ले	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	18.91
73	शासकीय	देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	28.56
74	शासकीय	राजेन्द्रसिंह पिता श्रीरामसिंह दांगी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	12.58
75	शासकीय	फूलसींग पिता मानसिंह गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	143.53
						मकान पी.एम.आवास	20.00
76	शासकीय	कमल पिता सुखराम गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कबेलू छप्पर	19.25
						मकान कच्चा चबूतरा	8.16
77	शासकीय	चन्द्राबाई पति सुखराम गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	17.92
						चबूतरा कच्चा	9.90
						पक्का शौचालय	1.44
78	शासकीय	पुरुषोत्तम पिता बलवंत	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	33.74
						पक्का शौचालय	1.44
79	शासकीय	गौतम पिता बुद्धे आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	17.34
80	शासकीय	नारायण पिता रामदीन गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	22.80
81	शासकीय	वीरन पिता जगन सिंह गौड	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा टीनसेड	82.00
82	शासकीय	सूरज पिता परमसिंह	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	196.16
						पक्का शौचालय	2.88
83	शासकीय	नन्नू पिता कम्मोद सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	116.49
						पक्का शौचालय	1.44

84	शासकीय	धनसिंह पिता रमचे सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	25.92
						पक्का शौचालय	1.44
85	शासकीय	राजेन्द्र पिता कमल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	28.80
86	शासकीय	निरन पिता कमल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	49.16
87	शासकीय	कमल पिता रतन आदिवासी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	63.80
						मकान पी.एम.आवास	20.00
88	शासकीय	मग्गो पति हरकिशन	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	75.72
						पक्का शौचालय	1.44
89	शासकीय	अरविन्द्र पिता हरकिशन सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	23.20
90	शासकीय	रतन पिता मंगल सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	104.26
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पी.एम.आवास	20.00
91	शासकीय	गुलाब रानी बेवा ग्यारसी	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	67.20
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पी.एम.आवास	20.00
92	शासकीय	नंदू पिता ग्यारसी सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा	55.50
93	शासकीय	राजबाई पति बबू सौर	117/1	1.870	शासकीय आबादी	मकान कच्चा कबेलू	27.36
94	शासकीय	भूरी पति जुझार	117/1	1.870	शासकीय आबादी	पक्का शौचालय	1.44
95	शासकीय	प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी	94	2.410	शासकीय चारागाह	मकान कच्चा टीनसेड	40.01
96	शासकीय	सवालसिंह पिता मचलसिंह राजपूत	94	2.410	शासकीय चारागाह	मकान कच्चा/पक्का	70.68
						पक्का शौचालय	1.44
						योग :-	4346.81

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी,

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा परियोजनातर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा अनुमोदन किया गया है।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

क्र.-8अ-82-23-24-भू-अर्जन-23-4264

चुकि/उपमूचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनीता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनीता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनीता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एवं मकानों का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम हनीता सिंचाई परियोजना  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला सागर  
 2. तहसील खुरई  
 3. ग्राम आसौली  
 4. पटवारी हल्का नं. 39  
 5. अर्जित भवन/परिसम्पत्तियों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर 13368.92

स.क्र.	भूमि का मद	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा	भू-धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
1	शासकीय	हरिबाई पति रतनसिंह	59/1	5.030	चारागाह	मकान कच्चा	27.23
2	शासकीय	चैनसिंह राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत	59/1	5.030	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर+टीनशेड पक्का शौचालय	134.22 1.44
3	शासकीय	मुन्ना आदिवासी पिता फूलसिंह आदिवासी	67	0.590	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर+टीनशेड	29.12
			89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान पक्का+टीनशेड	33.80
4	शासकीय	खूबसींग आदिवासी पिता मुन्ना आदिवासी	67	0.590	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर	12.25
5	शासकीय	कल्लू सिंह चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार	77	0.090	आबादी गाँवठान	पक्का शौचालय	1.44
6	शासकीय	देवी अहिरवार पिता मनसुख अहिरवार	77	0.090	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	45.60
7	शासकीय	टीकाराम अहिरवार पिता गोपीलाल अहिरवार	77	0.090	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	52.25

8	शासकीय	अशोकरानी अहिरवार पति गोपीलाल अहिरवार	77	0.090	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	52.25
9	शासकीय	गजराज चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	68.48
						पक्का शौचालय	1.44
10	शासकीय	मंदूलाल यादव पिता माखन लाल यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान पक्का	39.68
						मकान कच्चा	21.32
11	शासकीय	श्रीराम यादव पिता माखन लाल यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	5.76
						मकान पक्का	42.58
12	शासकीय	माखन सिंह पिता हरप्रसाद यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा कबेलू	36.99
13	शासकीय	विक्रम सिंह यादव पिता हरप्रसाद यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान पक्का	44.18
						मकान कच्चा	8.00
14	शासकीय	राधे यादव पिता विक्रम यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान पक्का+कच्चा	28.34
15	शासकीय	सोनु यादव पिता विक्रम यादव	82	0.250	शासकीय रास्ता	मकान कच्चा	30.38
						मकान पक्का	8.40
16	शासकीय	प्रताप सेन पिता मंगल सेन	90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	67.50
						पक्का शौचालय	1.44
17	शासकीय	मुलू चढ़ार पिता अजुद्धी चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	30.82
						मकान कबेलू छप्पर	27.84
						पक्का शौचालय	3.57
18	शासकीय	सोनु पिता गजराज चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	26.40
						मकान कच्चा	50.56
19	शासकीय	तुलसी चढ़ार पिता आलम चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	60.48
20	शासकीय	नंदराम चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	37.20
21	शासकीय	देशराज चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा टपरा	23.40
22	शासकीय	कमला चढ़ार पत्नि दम्मा चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	18.06
23	शासकीय	शैलेन्द्र चढ़ार पिता नर्मदा चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड	65.72
						पक्का शौचालय	1.44
24	शासकीय	नर्मदा प्रसाद चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	52.03
25	शासकीय	सबरसींग पिता तुलसीराम चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	23.40
						मकान कच्चा कबेलू	61.32
						पक्का शौचालय	1.44
26	शासकीय	गोलू चढ़ार पिता सबरसींग	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड	85.12
27	शासकीय	शीलरानी सौर पत्नि बलू सौर	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टपरा	21.00
28	शासकीय	संतोष चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	22.32
						मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड	57.30
						पक्का शौचालय	3.20
29	शासकीय	सीताराम चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	60.56
						पक्का शौचालय	1.44
30	शासकीय	कमल चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	75.30
						पक्का शौचालय	4.50
31	शासकीय	राजेन्द्र चढ़ार पिता कमल चढ़ार	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	23.80

32	शासकीय	रामसेवक पिता लज्जू आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	51.75
						मकान पक्का फाउण्डेशन	33.80
						पक्का शौचालय	1.44
33	शासकीय	राजभान सहरिया पिता तेजसिंह सहरिया	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड	28.81
34	शासकीय	खूबसींग आदिवासी पिता लज्जू आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	टीनशेड	34.31
35	शासकीय	उदयराज यादव पिता जयराम यादव	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	89.01
						पक्का शौचालय	1.68
36	शासकीय	गुड्डा आदिवासी पिता कुदक आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	37.53
37	शासकीय	सूरज सींग पिता गुड्डा आदिवासी टीकाराम पिता गुड्डा आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	26.98
38	शासकीय	रामू आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	कच्चा मकान	24.48
39	शासकीय	लालचंद आदिवासी पिता गोविंद आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड	13.30
40	शासकीय	गोविंद आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	51.19
41	शासकीय	तेजसिंह सहरिया पिता टुन्डे सहरिया	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	99.23
						पक्का शौचालय	1.80
42	शासकीय	नरेन्द्र आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	42.00
43	शासकीय	रामदयाल आदिवासी पिता टुन्डे आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	13.20
						मकान पक्का	32.20
						पक्का शौचालय	3.78
44	शासकीय	नरेश आदिवासी पिता बृजलाल आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	42.10
45	शासकीय	रविलाल आदिवासी पिता कुदक आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर	80.32
46	शासकीय	गुलाब आदिवासी पिता जालम आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	61.42
47	शासकीय	रंजनसिंह आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कबेलू छप्पर+टीनशेड	61.82
						पक्का शौचालय	1.44
48	शासकीय	मोहन आदिवासी पिता कुड्डीलाल आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	कच्चा टीनशेड	12.24
						मकान फाउण्डेशन	12.25
49	शासकीय	संतोष आदिवासी पिता मोहन आदिवासी	89	0.920	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	14.00
						पक्का शौचालय	1.44
50	शासकीय	मुकेश सेन पिता मंगल सेन	90	0.100	चारागाह	मकान पक्का	21.76
						मकान कबेलू छप्पर	66.60
						पक्का शौचालय	1.44
51	शासकीय	हीरालाल आदिवासी पिता मोहन आदिवासी	90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा	30.24
52	शासकीय	केशरबाई पति शिबू अहिरवार	90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	63.30
						पक्का शौचालय	1.44
53	शासकीय	बाबूलाल आदिवासी पिता मुन्नालाल आदिवासी	90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	32.96
54	शासकीय	बेटीबाई आदिवासी पति मुन्नालाल आदिवासी	90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा	15.64

55	शासकीय	जमनाबाई आदिवासी पति हलकई आदिवासी	90	0.100	चारागाह	मकान अर्ध पक्का	18.20
						मकान कच्चा कबेलू	27.71
56	शासकीय	पूरन चढ़ार पिता अमोली चढ़ार	92	0.320	चारागाह	मकान कच्चा	42.88
57	शासकीय	सुरेन्द्र आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी	92	0.320	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर+टीनशेड	43.52
58	शासकीय	विजय सेन पिता मंगल सेन	92	0.320	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर+फाउण्डेशन	53.64
59	शासकीय	बबलू अहिरवार पिता शिबू अहिरवार	92	0.320	चारागाह	मकान कबेलू छप्पर+टीनशेड	36.63
						90	0.100
60	शासकीय	महेन्द्र आदिवासी पिता जगन आदिवासी	220	0.030	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	66.08
61	शासकीय	बादल सिंह पिता जगन आदिवासी	220	0.030	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	52.46
						पक्का शौचालय	1.44
62	शासकीय	संतोष सौर पिता जगन सौर	220	0.030	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा+टीनशेड	38.28
63	शासकीय	बलराम पिता चरणसींग यादव	222	0.080	शासकीय	मकान कच्चा	53.52
						मकान पक्का	23.46
						शौचालय	1.44
64	शासकीय	रामसरखी पति चरणसींग यादव	222	0.080	शासकीय	मकान कच्चा	63.60
65	शासकीय	श्रीराम सेन पिता फूलसिंह सेन	240	0.100	चारागाह	मकान कच्चा+टीनशेड	73.24
66	शासकीय	बबलू यादव पिता पन्नालाल यादव	240	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	29.76
						पक्का शौचालय	1.44
67	शासकीय	प्रताप पिता शिबू अहिरवार	240	0.100	चारागाह	मकान पक्का	33.62
						पक्का शौचालय	1.44
68	शासकीय	कैलाश पिता शिबू अहिरवार	240	0.100	चारागाह	कच्चा कबेलू	34.70
69	शासकीय	शिबू अहिरवार पिता सोमल अहिरवार	240	0.100	चारागाह	कच्चा कबेलू	125.96
						पक्का शौचालय	1.44
70	शासकीय	शोभाराम यादव पिता भूरे यादव	249	0.020	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	63.66
						मकान कच्चा कबेलू	17.74
						पक्का शौचालय	1.44
71	शासकीय	नारायण यादव पिता शोभाराम यादव	249	0.020	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+टीनशेड छत	26.09
72	शासकीय	रामसरखी यादव पिता बबलू यादव	240	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	23.69
73	शासकीय	त्रिलोकसिंह यादव पिता मुंशी लालयादव दीवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	50.02
						मकान कच्चा कबेलू	72.27
						पक्का शौचालय	1.44
74	शासकीय	विष्णुप्रसाद यादव पिता तुलाराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	39.20
75	शासकीय	हरिओम यादव विष्णुप्रसाद यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	120.96
						पक्का शौचालय	1.44
76	शासकीय	रामकरन यादव पिता विष्णुप्रसाद यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा छत पाटे खप्पर	69.56
						पक्का शौचालय	1.44
77	शासकीय	बृजमोहन यादव पिता चुन्नीलाल यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	87.07
						मकान कच्चा कबेलू	18.09
78	शासकीय	रामेश्वर यादव माता कुसुमरानी यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	50.30
						शौचालय पक्का	1.44

79	शासकीय	अवधेश यादव पिता कृष्णबिहारी यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	32.34
80	शासकीय	मूरत सिंह यादव पिता रामकिशन यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	23.97
			90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	43.84
81	शासकीय	रामकिशन यादव पिता भूरे यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का, पक्का प्रथम तल	71.40
			90	0.100	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	92.42
82	शासकीय	गजानंद प्रसाद तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	21.84
83	शासकीय	राजेन्द्र तिवारी पिता गजानंद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	शौचालय पक्का	1.44
						मकान पक्का	44.84
						शौचालय पक्का	1.44
84	शासकीय	शिवनारायण यादव पिता धीरज यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मंदिर पक्का	52.26
						मकान पक्का कबेलू	45.57
85	शासकीय	गोविन्द यादव पिता धीरज यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	क्षतिग्रस्त शौचालय	1.44
						पक्का मकान	55.80
86	शासकीय	धीरज यादव पिता रामसहाय यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	97.65
						मकान कच्चा	26.88
87	शासकीय	नरेश यादव पिता वीरसिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	42.84
						मकान कच्चा	13.26
88	शासकीय	वीरसिंह यादव पिता नाथूराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	46.90
						कच्चा कबेलू	18.90
89	शासकीय	शेरसिंह यादव पिता लक्ष्मण सिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	कच्चा कबेलू	23.36
90	शासकीय	देवीसींग, वीरसींग, हरगोविन्द, अच्छेलाल, रतिराम, रम्मू विनीता पिता हरीसींग, कृपाशानी वेवा हरीसींग यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	38.08
91	शासकीय	बदनसिंह यादव पिता लक्ष्मणसिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	82.68
92	शासकीय	देवाराम तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	45.27
93	शासकीय	जयरामसिंह यादव पिता भूरेसिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	90.28
						मकान पक्का	48.97
			92	0.320	चारागाह	मकान कच्चा	70.56
94	शासकीय	फूलसिंह सेन पिता धनसिंह सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	99.02
						पक्का शौचालय	1.44
95	शासकीय	रगवर सेन पिता गोरेलाल सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	19.13
96	शासकीय	गोलू सेन पिता लखन सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	8.68
97	शासकीय	धमेन्द्र सेन पिता रामदयाल सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	21.35
98	शासकीय	कामेल पिता गोरेलाल सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	25.30
99	शासकीय	सुदामा पिता बालाप्रसाद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा+टीनशेड	22.32
100	शासकीय	रामनाथ तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	51.45
101	शासकीय	जगभान तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	38.18
102	शासकीय	विवेक यादव पिता बलराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा, छत खप्पर +टीनशेड	46.35
						पक्का शौचालय	1.44

103	शासकीय	लालसिंह यादव पिता रामसहाय यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का	148.68
104	शासकीय	तुलसीराम पिता बुद्धे अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का	118.78
105	शासकीय	भागीरथ अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	30.81
						मकान कच्चा	86.85
						पक्का शौचालय	1.44
106	शासकीय	दयाराम अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	34.20
107	शासकीय	कमलेश अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	32.64
108	शासकीय	हलकई अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	19.89
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान कच्चा	17.10
109	शासकीय	रामरतन सिंह पिता अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	75.34
						मकान पक्का	2.70
						पक्का शौचालय	1.44
110	शासकीय	हरवाबाई पति अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	16.96
111	शासकीय	पप्पू अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	49.40
112	शासकीय	गोवर्धन अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	16.80
113	शासकीय	रामसेवक अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	17.10
						पक्का शौचालय	1.44
114	शासकीय	सुरशीला अहिरवार पति रामसेवक अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	38.40
115	शासकीय	तुलसाबाई पति कुंदन सिंह सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	68.36
116	शासकीय	राजकुमार सेन पिता कुंदन सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	42.70
117	शासकीय	भैयालाल पिता हरप्रसाद सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	7.54
118	शासकीय	मनोज चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	42.48
119	शासकीय	मर्दन चढ़ार पिता हरचंद्र चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	54.32
						पक्का शौचालय	1.44
120	शासकीय	हरीसिंह सेन पिता कुददी सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	76.56
			67	0.590	चारागाह	मकान कच्चा	42.55
						पक्का शौचालय	1.44
121	शासकीय	गजराज चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	39.60
122	शासकीय	चन्द्रभान चढ़ार पिता हीरालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	23.76
123	शासकीय	रघुराज यादव पिता हजारीलाल यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	77.44
124	शासकीय	भावसिंह विश्वकर्मा पिता मोहनलाल विश्वकर्मा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	78.48
						पक्का शौचालय	1.44
125	शासकीय	जयसिंह पिता कुददी सेन	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	20.16
126	शासकीय	सुनील यादव पिता सेवाराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	21.28
						मकान कच्चा	53.22
						पक्का शौचालय	1.44
127	शासकीय	अरविन्द यादव पिता सेवाराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	42.84

128	शासकीय	कपिल यादव पिता बलराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	31.60
129	शासकीय	हरिबाई यादव पति बलराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	58.42
130	शासकीय	अशोक यादव पिता बाबूलाल यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	58.99
131	शासकीय	हरिसिंह अहिरवार पिता हलकई अहिरवार	376	1.690	आबादी गाँवठान	कच्चा टपरा	6.20
132	शासकीय	सुनील कुमार नेमा पिता राजाराम नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	92.30
133	शासकीय	रूपेश नेमा पिता राजाराम नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	9.10
134	शासकीय	रमेशप्रसाद नेमा पिता हजारीलाल नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	18.20
135	शासकीय	सुधीर नेमा पिता रमेशप्रसाद नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	18.20
136	शासकीय	नवनीत नेमा पिता महेश नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	75.08
137	शासकीय	डॉ. महेश नेमा पिता हजारीलाल नेमा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	5.52
						मकान पक्का	54.18
138	शासकीय	कमला बाई पति बहादुर दांगी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	69.87
						क्षतिग्रस्त शौचालय	1.44
139	शासकीय	वीरसिंह दांगी पिता बन्नुसिंह दांगी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	13.44
140	शासकीय	राजेश राजपूत पिता रघुवीर राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	57.97
141	शासकीय	गंधर्व सिंह पिता बन्नु दांगी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	24.44
142	शासकीय	इन्द्रराज राजपूत पिता निर्भय राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	35.46
						मकान कच्चा	17.08
						पक्का शौचालय	1.44
143	शासकीय	जितेन्द्र सिंह पिता इन्द्रराज सिंह	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	12.58
						पक्का शौचालय	4.84
144	शासकीय	रघुराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	12.58
						पक्का शौचालय	1.44
145	शासकीय	रगराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू+शौचालय	13.26
146	शासकीय	रामकिशन चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	59.10
147	शासकीय	ऊधम चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	63.84
						पक्का शौचालय	1.44
148	शासकीय	चन्द्रपाल यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मंदिर पक्का	17.39
149	शासकीय	चन्द्रपाल यादव पिता भगवानसिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	34.24
						मकान पक्का	95.10
150	शासकीय	हरगोविंद चढ़ार पिता पन्नी चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	54.57
151	शासकीय	राजू, गोलू, राहुल, पिता स्व.रामगोपाल विश्वकर्मा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	70.77
152	शासकीय	रामनारायण पिता धर्मचन्द्र विश्वकर्मा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	40.05

153	शासकीय	उमाशंकर पिता रामनारायण विश्वकर्मा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू छत पाटे + टीनशेड	35.50
154	शासकीय	भगवान सिंह पिता तुलाराम यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	100.21
155	शासकीय	माधव प्रसाद पिता भगवान सिंह यादव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	54.54
						मकान पक्का	47.04
156	शासकीय	प्रेमनारायण पिता धर्मचंद्र विश्वकर्मा	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	85.36
						पक्का शौचालय	1.44
157	शासकीय	डेलन पिता काशीराम कुर्मी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	98.19
158	शासकीय	हरनाम कुर्मी पिता काशीराम कुर्मी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का	139.01
159	शासकीय	रोशनसिंग पिता निर्भयसिंग राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	59.96
						मकान कच्चा	50.82
160	शासकीय	अम्बिका तिवारी पिता सीताराम तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा छत पाटे+खप्पर	38.88
161	शासकीय	चन्द्रनाराण तिवारी पिता सीताराम तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/कबेलू	104.25
						पक्का शौचालय	1.44
						मकान पक्का	12.00
162	शासकीय	निर्मला तिवारी पति स्व. लक्ष्मीनारायण तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	36.21
						पक्का शौचालय	1.44
163	शासकीय	अशोक तिवारी पिता लक्ष्मीनारायण तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	36.21
164	शासकीय	लक्ष्मीबाई पति राकेश तिवारी सीमाबाई पति दीपक तिवारी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	36.21
165	शासकीय	मंगल चढ़ार पिता फूलसिंह चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	55.58
						पक्का शौचालय	3.52
166	शासकीय	अमान चढ़ार पिता हल्कू चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	28.42
						पक्का शौचालय	1.44
167	शासकीय	परसादी पिता अमान चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	28.42
168	शासकीय	गोवर्धन चढ़ार पिता अमान चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	28.42
169	शासकीय	राजेश पिता आशाराम चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	61.10
170	शासकीय	रामस्वरूप पिता भैयालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा+टीन+खप्पर	43.31
171	शासकीय	तुलसीराम चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	15.12
172	शासकीय	रामसेवक चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	43.20
						पक्का शौचालय	1.44
173	शासकीय	नारान पिता भैयालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	14.04
174	शासकीय	भैयालाल चढ़ार पिता लच्छू चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	86.19
						पक्का शौचालय	1.44
			362	0.290	चारागाह	पक्का चबूतरा	25.50
175	शासकीय	गंदाबाई चढ़ार पति आशाराम चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा, छत खप्पर +पाटे	19.20
176	शासकीय	महेश चढ़ार पिता आशाराम चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	49.68
						पक्का शौचालय	1.44

177	शासकीय	राजकुमार चढ़ार पिता क्षमाधार चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का कबेलू	143.92
						पक्का शौचालय	1.44
178	शासकीय	रामगुलाम चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	50.05
						पक्का शौचालय	1.44
179	शासकीय	धर्मेन्द्र चढ़ार पिता ऊधम चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	50.05
180	शासकीय	महारानी चढ़ार पति जयराम चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	कच्चा कबेलू	103.32
181	शासकीय	शंकर चढ़ार पिता जुझार चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	86.24
						पक्का शौचालय	1.44
182	शासकीय	बालकिशन चढ़ार पिता पन्नालाल चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	48.97
						पक्का शौचालय	1.44
183	शासकीय	राजपाल ठाकुर पिता बसंत ठाकुर	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	108.42
184	शासकीय	प्रशांत पिता रमेश रैकवार सचिन पिता रमेश रैकवार कंछेदी पिता मौनसिंग	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	11.66
185	शासकीय	अहिल्याबाई पति रामबाबू लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा छत पाटे+ खप्पर की	122.45
186	शासकीय	शिवराज लोधी पिता शिवलाल लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	126.18
187	शासकीय	शिवलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	46.20
						पक्का शौचालय	3.04
188	शासकीय	गोपीलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का छत फरसी	83.71
189	शासकीय	हाकम लोधी पिता गोपीलाल लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	81.72
						पक्का शौचालय	1.44
190	शासकीय	भारत लोधी पिता इमरत लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	192.64
191	शासकीय	सुधीर राव पिता दत्ताराव	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	206.03
192	शासकीय	राजाराम लोधी पिता पजन सिंह	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का/कच्चा	59.67
						मकान कच्चा कबेलू	12.35
193	शासकीय	मेहरवान लोधी पिता राजाराम लोधी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा/पक्का	178.72
194	शासकीय	दयाल आदिवासी पिता प्यारेलाल आदिवासी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	23.79
195	शासकीय	कमला आदिवासी पति प्यारेलाल आदिवासी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	41.60
						शौचालय पक्का	1.44
196	शासकीय	लालाराम आदिवासी पिता प्यारेलाल आदिवासी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	39.44
197	शासकीय	बसंत ठाकुर पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	295.85
						मकान कच्चा कबेलू	181.82
198	शासकीय	संजीवसिंह पिता बसंतसिंह ठाकुर	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	149.31
						मकान कच्चा	108.90
199	शासकीय	चरनसिंग सौर पिता हरिराम सौर	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	49.11
200	शासकीय	विशाल आदिवासी पिता हरिराम आदिवासी	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	32.50

201	शासकीय	राजकुमार राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा कबेलू	61.80
						मकान पक्का	33.60
						शौचालय पक्का	2.76
202	शासकीय	संतोष चढ़ार पिता रघवर चढ़ार हरिसिंह चढ़ार पिता रघवर चढ़ार	376	1.690	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	76.44
		हरिसिंह चढ़ार पिता रघवर चढ़ार	77	0.090	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	19.38
203	शासकीय	ब्रजलाल अहिरवार पिता दरऊ अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	53.72
						शौचालय पक्का	1.44
204	शासकीय	दिनेश अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	20.38
205	शासकीय	रामरानीबाई पति रामलाल अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	38.26
206	शासकीय	हरगोविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा	56.42
		अरविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार					
207	शासकीय	भुजबल अहिरवार पिता हलकई अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान पक्का छत फरसी	37.76
208	शासकीय	श्यामरानी अहिरवार पति मल्थू अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान पक्का	24.09
						मकान कच्चा	24.85
209	शासकीय	हरलाल अहिरवार पिता जवार अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान कच्चा छत सीमेंट की	44.25
210	शासकीय	परसू अहिरवार पिता उददेत अहिरवार	408	0.120	आबादी गाँवठान	मकान पक्का/कच्चा	74.20
						मकान कच्चा	6.51
						शौचालय-नहानी, अर्ध पक्का	5.25
211	शासकीय	तेजाबाई आदिवासी पति नन्ना आदिवासी	429	0.040	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	58.96
						पक्का शौचालय	1.44
212	शासकीय	प्रतापसिंह ठाकुर पिता नल्थूसिंह ठाकुर	429	0.040	चारागाह	मकान कच्चा कबेलू	43.68
						मकान पक्का	45.15
						मकान कच्चा	70.14
213	शासकीय	कम्मोदी पिता मल्थू आदिवासी	429	0.040	चारागाह	मकान कच्चा	108.90
214	शासकीय	गनेश पिता जवार अहिरवार	429	0.040	चारागाह	मकान कच्चा	63.03
						पक्का शौचालय	1.44
215	शासकीय	गनपत पिता उददेत अहिरवार	429	0.040	चारागाह	मकान कच्चा	53.54
<b>योग</b>							<b>13368.92</b>

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अतिरिक्त श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अतिरिक्त श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा परियोजनातर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा अनुमोदन किया गया है।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के सम्म (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आवेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-2439-री-2-2023

धार, दिनांक 6 मार्च 2023

( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मालगढ़ तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (01)

ग्राम :- मालगढ़

तहसील :- गंधवानी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	0.948	0.000	0.948
	योग	0.948	0.000	0.948

## अनुसूची (02)

छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मालगढ़ की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम :- मालगढ़

तहसील :- गंधवानी

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )		
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	सत्यनारायण, मनोहर, जगदीश, घनश्याम पिता दिनदयाल नि. अमझेरा	29/2	2.790	0.000	2.790	0.071	0.000	0.071
2	नाना नाबा, पिता राधासिंह सर, माता सीताबाई, सीताबाई बेवा राधासिंह नि. तिमाल्या	25	2.445	0.000	2.445	0.014	0.000	0.014
3	दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादुर पिता बाबू	30/3	0.157	0.000	0.157	0.157	0.000	0.157
4	जामसिंह, फूलसिंह पिता झाबल्या	30/5	0.470	0.000	0.470	0.221	0.000	0.221
5	दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादुर पिता बाबू	31/1	0.721	0.000	0.721	0.100	0.000	0.100
6	दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादुर पिता बाबू	31/3	0.031	0.000	0.031	0.000	0.000	0.000
7	बलाबाई बेवा हकरिया, रमेश, महेश, पिरम पिता हकरिया, दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह	23/12	0.209	0.000	0.209	0.006	0.000	0.006
8	लच्छा पिता सकरिया	23/11	0.314	0.000	0.314	0.247	0.000	0.247
9	दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादुर पिता बाबू	23/2	0.439	0.000	0.439	0.119	0.000	0.119
10	दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादुर पिता बाबू	32/3	0.397	0.000	0.397	0.013	0.000	0.013
	योग		7.576	0.000	7.576	0.948	0.000	0.948

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार आध्यात्म 2013 का धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

भूमि/मकानों का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - गवा

(घ) क्षेत्रफल - 8.870 हे. भूमि, 1586.14 वर्ग मीटर  
मकान

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसम्पत्ति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	लालजीराम पिता कनीराम जाति तेली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	104/2/1/1	0.507	0.050		बांध पहुंच मार्ग के लिये
		104/2/1/2	1.011	0.172		
2	गीताकंवर बेवा जगन्नाथसिंह, देवव्रत ना बा जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	416/1	7.074	7.074	कुआ	
3	प्रमूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	440/3	0.809	0.580		
4	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	440/4/4	0.405	0.032	कुआ	
5	फूलसिंह पिता फतेहसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	440/4/5	0.060	0.060		
6	चन्दरसिंह पिता प्रमूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	442/3	0.902	0.902		
	<b>कुल योग :-</b>	<b>7</b>	<b>10.768</b>	<b>8.870</b>		

## निजी भूमि में स्थित मकान

स.क्र.	मूल भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	रकबा (वर्ग मी.)	भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारत सिंह अभयसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	444/1	1	कच्चा मकान	90.44	लाखनसिंह कृष्णपुरारी पिता अमयसिंह	मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है।
2		444/1	2	पक्का मकान पीएम आवास	34.65	लाखनसिंह पिता अमयसिंह	
3	धनसिंह पिता फतेसिंह	444/4	3	पक्का मकान पीएम आवास	53.28	धनसिंह पिता फतेहसिंह जाति लोड़ा	स्वयं
				कच्चा मकान	29.25		
4	कल्लूसिंह पिता फतेसिंह	444/3	4	टीन शेड	20.72	कल्लूसिंह पिता फतेसिंह जाति लोड़ा	स्वयं
5	हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	445/6	5	पक्का मकान पीएम आवास	70.40	भगवानसिंह पिता हरीसिंह	मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
6		445/6	6	कच्चा मकान	61.85	हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह	स्वयं
7		445/6	7	कच्चा मकान	56.00	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ सिंह	मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है।
8		445/6	8	कच्चा मकान	70.92	बापूलाल पिता जगन्नाथ	
				2 पक्के चबूतरे	9.00		
9		445/6	9	कच्चा मकान	72.00	श्याम सिंह पिता बापूलाल	
10		445/6	10	पक्का मकान पीएम आवास	32.80	राजाराम पिता बापूलाल	
				टीन शेड	36.05		
11		445/6	11	टीन शेड	44.20	सदी बाई पति जगन्नाथ	
				पक्का चबूतरा	8.16		
12		दयालसिंह पिता बनेसिंह जाति लोड़ा	445/1	12	पक्का मकान	69.66	दयालसिंह पिता बनेसिंह
				टीन शेड	26.00		
				कच्चा मकान	48.00		
13	जितेन्द्र पिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी	445/4/5	13	कच्चा मकान	62.90	भैयालाल पिता नारायणसिंह	मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। संबंधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।
14		445/4/1	14	कच्चा मकान	68.40	रामबाबू पिता नारायणसिंह	स्वयं। संबंधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।

15	रामबाबू पिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी	445/4/1	15	टीन शेड	28.12	जितेन्द्र पिता नारायणसिंह	मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। संबंधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।
16		103/1	16	कच्चा मकान	75.00	गंगाराम पिता गवा जी	स्वयं
				पक्का चबूतरा	6.00		
17	गंगाराम पिता गवाजी जाति लोड़ा	103/1	17	कच्चा मकान	42.84	विक्रमसिंह पिता गंगाराम	मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है। नाबालिग होने से पुर्नवास लाभ का पात्र नहीं जिस कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया है।
18		18	कच्चा मकान	55.47	नरेश पिता गंगाराम		
19		19	कच्चा मकान	28.70	देवराज पिता अंतरसिंह		
20	प्रमूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर	442/2	20	पक्का मकान	93.60	चंदरसिंह पिता प्रमूलाल	मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है।
				कच्चा मकान	6.00		
				टीन शेड	44.00		
				3 पक्के चबूतरे	3.35		
21		442/2	21	कच्चा मकान	62.40	सरजनसिंह पिता प्रमूलाल	
22	हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	445/6	22	कच्चा मकान	87.04	फतेसिंह पिता रामलाल	मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
23	प्रमूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर	442/2	23	कच्चा मकान	50.54	मांगीलाल पिता प्रमूलाल	मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
				टीन शेड	38.40		
कुल योग					1586.14 वर्ग मीटर		

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र क्रमांक 156/रीडर/2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 एवं पत्र क्रमांक 26/रीडर/2023 श्यामपुर दिनांक 19.04.2023 के अनुसार संभावित दूब परिवारों की सूची

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति		परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	संभावित पात्र परिवार			रिमार्क
	18 वर्ष से उपर	विधवा/ तलाकशुदा/ अन्य					परिवार			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निजी भूमि में										
1	लाखनसिंह पिता अभयसिंह	लाखनसिंह	स्वयं	30	पि.वर्ग				1	
2	कृष्णमुरारी पिता अभयसिंह	कृष्णमुरारी	स्वयं	28	पि.वर्ग	1				
3	धनसिंह पिता फतेसिंह	धनसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग				1	
4	कल्लूसिंह पिता फतेसिंह	कल्लूसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग				1	
5	भगवानसिंह पिता हरिसिंह	भगवानसिंह	स्वयं	26	पि.वर्ग				1	
6	हरिसिंह पिता जगन्नाथसिंह	हरिसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग				1	
7	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह	इन्दरसिंह	स्वयं	42	पि.वर्ग				1	

8	बापूलाल पिता जगन्नाथ	बापूलाल	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
9		संतोष बाई	पुत्री	21	पि.वर्ग	1			
10	श्यामसिंह पिता बापूलाल	श्यामसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
11	राजाराम पिता बापूलाल	राजाराम	स्वयं	24	पि.वर्ग			1	
12	सदीबाई पति जगन्नाथ	सदीबाई	स्वयं	85	पि.वर्ग		1		
13	दयालसिंह पिता बनेसिंह	दयालसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
14	गंगाराम पिता गवाजी	गंगाराम	स्वयं	60	पि.वर्ग			1	
15		पप्पू	पुत्र	24	पि.वर्ग			1	
16	विक्रमसिंह पिता गंगाराम	विक्रमसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग			1	
17	नरेश पिता गंगाराम	नरेश	स्वयं	30	पि.वर्ग			1	
18	चंदरसिंह पिता प्रभुलाल	चंदरसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
19	सरजनसिंह पिता प्रभुलाल	सरजनसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
20	फतेसिंह पिता रामलाल	फतेसिंह	स्वयं	72	पि.वर्ग			1	
21	मांगीलाल पिता प्रभुलाल	मांगीलाल	स्वयं	50	पि.वर्ग			1	
22		भूली बाई	माता	74	पि.वर्ग		1		
23		लाखन सिंह	भाई	32	पि.वर्ग		1		
24		सोनार सिंह	भाई	31	पि.वर्ग			1	
योग :-						2	3	19	
कुल योग कॉलम न.(9+10+11)						24 परिवार			

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/घ-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिश्नर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081/13/राजस्व-2/2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।
- समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपये की सहायता प्राप्त करेगा।
7. प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल एक बार पचास हजार रुपये "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा।
9. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
10. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय
12. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।
13. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।
16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
17. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये क्रीडा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुम्बों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

30. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 में रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अधिसूचना में प्रकाशित मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वैशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तो निर्णय लेने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-3938-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 1 जून 2023

प्रारूप- "क"  
(नियम-4)

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित नगर परिषद वार्ड नंबर 2 घोघरी तहसील छपारा परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/स) सिवनी 4 तहसीलदार, छपारा 5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी लखनादौन जिला सिवनी 7 नगर अध्यक्ष/पार्षद घोघरी नगर पंचायत छपारा
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	छपारा
ग	ग्राम /नगर	घोघरी
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.31 हे.
ङ	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.31 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम घोघरीमाल परियोजना क्षेत्र 0.31 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.
7	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	हाँ
8	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच.-7 जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
अधिसूचना भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता  
का अधिनियम 2013

क्र.-976-भू अर्जन-प्र.क्र.-4-अ-82-23-24

जबलपुर, दिनांक 7 जून 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

चूंकि नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य प्रचलित है तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप रिसेविंग स्टेशन बनाने हेतु ग्राम कोसमघाट की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

## अनुसूची

भूमि का विवरण			क्षेत्रफल हेक्टर में	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6
जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन जबलपुर	नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप रिसेविंग स्टेशन बनाने हेतु
जबलपुर	जबलपुर	कोसमघाट प0ह078	1- ख0नं0 361/1 रकवा 0.77 है0 मेसे रकवा 0.2696 हे0 2-ख0नं0 362 रकवा 1.07 है0 मेसे रकवा 0.5672 हे0 3-ख0नं0 386/2/1 रकवा 1.374 है0 मेसे 0.1719 हे0		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कालम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
- अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा ,अर्थात कय/विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
- अधिनियम की धारा 11 ( 15 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो फाईल फिये जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.